श्रम संगम

वर्ष: 6 अंक: 1

जनवरी–जून 2020

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा प्रकाशित जर्नल

लेबर एंड डेवलपमेंट

लेबर एंड डेवलपमेंट संस्थान की एक छमाही पत्रिका है, और यह सैद्धांतिक विश्लेषण एवं आनुभविक अन्वेषण के जरिए श्रम के विभिन्न मुद्दों का प्रसार करने के लिए समर्पित है। इस पत्रिका में आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक मुद्दों के साथ–साथ विधिक पहलुओं पर बल देते हुए श्रम एवं संबंधित विषयों के क्षेत्र में उच्च शैक्षिक गुणवत्ता वाले लेखों का प्रकाशन किया जाता है। साथ ही, विशेषकर विकासशील देशों के संदर्भ में उन लेखों पर अनुसंधान टिप्पणियों एवं पुस्तक समीक्षाओं का भी इसमें प्रकाशन किया जाता है।

अवार्ड्स डाइजेस्टः श्रम विधान का जर्नल

अवार्ड्स डाइजेस्ट एक तिमाही जर्नल है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र के अद्यतन मामला विधियों का सार प्रकाशित किया जाता है। इस जर्नल में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक अधिकरणों तथा केंद्रीय सरकारी औद्योगिक अधिकरणों द्वारा श्रम मामलों के बारे में दिए गए निर्णय प्रकाशित किए जाते हैं। इसमें श्रमकानूनों से संबंधित लेख, उनमें किए गए संशोधन, अन्य संगत सूचना शामिल होती है। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं और श्रमिकों, श्रम कानूनों के परामर्शदाताओं, शैक्षिक संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के मध्यस्थों, प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं और श्रम कानून के विद्यार्थियों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

श्रम विधान

श्रम विधान तिमाही हिन्दी पत्रिका है। श्रम कानूनों और उनमें समय–समय पर होने वाले बदलावों की जानकारी को आधारिक स्तर (Grass Roots Level) तक सरल और सुबोध भाषा में पहुंचाने के लिए इस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इस पत्रिका में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के लिए अधिनियमित मौजूदा कानूनों की सुसंगत जानकारी, उनमें होने वाले संशोधनों, श्रम तथा इससे संबद्ध विषयों पर मौलिक एवं अनूदित लेख, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं के प्रकाशन के साथ–साथ श्रम से संबंधित मामलों पर उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा केंद्रीय प्रशासनीक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए फैसलों को सार के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

चंदे की दरः लेबर एंड डेवलपमेंट पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 150 रुपए तथा संस्थानों के लिए 250 रुपए है। अवार्ड्स डाइजेस्ट पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 240 रुपए तथा संस्थानों के लिए 300 रुपए है। श्रम विधान पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 240 रुपए तथा संस्थानों के लिए 300 रुपए है। चंदे की दर प्रति कैलेण्डर वर्ष (जनवरी–दिसम्बर) है। ग्राहक प्रोफार्मा संस्थान की वेबसाइट www.vvgnli.gov.in पर उपलब्ध है। ग्राहक प्रोफार्मा पूरी तरह भरकर डिमांड ड्राफ्ट सहित जो वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के पक्ष में एवं दिल्ली / नौएडा में देय हो, इस पते पर भेजेः

प्रकाशन प्रभारी
वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर–24, नौएडा–201301, उत्तर प्रदेश
ई–मेलः publications.vvgnli@gov.in

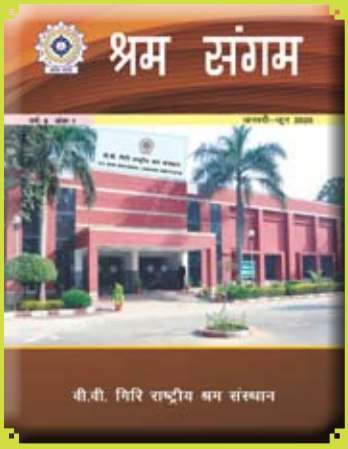

मुख्य संरक्षक
डॉ. एच. श्रीनिवास
महानिदेशक

संपादक मंडल
डॉ. संजय उपाध्याय
वरिष्ठ फेलो

डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
फेलो

श्री बीरेंद्र सिंह रावत
वरिष्ठ हिंदी अनुवादक

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर-24, नौएडा-201301
उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित

पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाओं की मौलिकता का दायित्व स्वयं लेखकों का है तथा पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान उत्तरदायी नहीं है।

मुद्रण: चन्दु प्रेस
डी-97, शकरपुर
दिल्ली-110092

श्रम संगम

वर्ष: 6, अंक: 1, जनवरी-जून 2020

अनुक्रमणिका

❍	महानिदेशक की कलम से	2
❍	चंद्रशेखर वेंकट रमन – डॉ. संजय उपाध्याय	3
❍	कोविड-19 और बदलता समाज – डॉ. शशि बाला	7
❍	निष्ठुर प्रजाति (कविता) – बीरेंद्र सिंह रावत	9
❍	आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते कदम – राजेश कुमार कर्ण	10
❍	राजभाषा सम्मान	19
❍	हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता का परिणाम	19
❍	महात्मा गाँधी का 150वां जयंती समारोह: संस्थान के कार्यकलाप	20
❍	प्रिय बापू सादर नमन..... (कविता) – नरेंद्र कुमार मिश्र	21
❍	अहिंसक समाज में स्त्री का योगदान: महात्मा गाँधी – प्रोफेसर सुमन जैन	22
❍	गाँधी जी और ग्रामीण विकास – डॉ. सतीश कालेश्वरी	23
❍	नारी-सशक्तिकरण का आधार: परिवार, समाज और सरकार – सुषमा जुगरान ध्यानी	26
❍	श्रद्धांजलि बापू को..... (कविता) – नरेंद्र कुमार मिश्र	28
❍	गाँधी के स्त्री-विषयक विचार – डॉ. शिव पूजन प्रसाद पाठक	29
❍	बापू (कविता) – डॉ. सविता जेमिनी	31
❍	विस्तारवादी चीन की धूर्तता और भारतीय सैनिकों का अदम्य साहस – बीरेंद्र सिंह रावत	32
❍	आधुनिक भारत में गाँधीवादी दर्शन – रुचिका चौहान	38
❍	व्यापक असर वाली नई शिक्षा नीति – राजेश कुमार कर्ण	40
❍	वह जो आदमी है न (कहानी) – हरिशंकर परसाई	45
❍	स्वाधीन भारत में गाँधीवादी दर्शन – राजेश कुमार कर्ण	47
❍	क्या आप जानते हैं? – बीरेंद्र सिंह रावत	48

महानिदेशक की कलम से...

भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में हिंदी सहित कुल 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है परंतु संविधान में राजभाषा का दर्जा हिंदी को ही प्राप्त है। यह इस बात का प्रमाण है कि हिंदी न केवल बहुसंख्यक भारतीयों की भाषा है अपितु अन्य भाषा समुदायों को जोड़ने की कड़ी भी है जो देश के सामासिक एवं सामूहिक स्वरूप को साकार करती है। हिंदी भाषा के सरल, सहज एवं सुबोध होने के कारण वास्तव में यह एक संपर्क भाषा है और इसे सही मायनों में राष्ट्रीय भाषा का सम्मान दिलाने हेतु हमें अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के प्रति अधिक ईमानदारी से काम करना होगा ताकि हम इसे आदर्श राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित कर सकें। इसके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम बिना किसी हिचकिचाहट के अधिकाधिक कार्य हिंदी में करें और राजभाषा पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी साहित्यिक सृजनशीलता को विकसित करें एवं निखारें।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा संबंधी नियमों/अधिनियमों का अनुपालन इस संस्थान में बखूबी किया जा रहा है। इसी क्रम में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), नौएडा के तत्त्वावधान में 20 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, सैक्टर – 62 नौएडा में आयोजित नराकास (कार्यालय), नौएडा की 39वीं बैठक में निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गयाः i) वर्ष 2018–19 के दौरान राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन संबंधी कार्यकलापों में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए *प्रोत्साहन पुरस्कार,* तथा ii) पिछले कई वर्षों से राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की दिशा में निरंतर और सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए *राजभाषा रत्न* ।

पत्रिका अनवरत इसी प्रकार आकर्षक रूप में हमारे बीच आती रहे तथा हिंदी के प्रचार–प्रसार में सदैव सफलता प्राप्त करे, इसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

एच श्रीनिवास

(डॉ. एच. श्रीनिवास)

चंद्रशेखर वेंकट रमन

डॉ. संजय उपाध्याय*

भारतवर्ष में हमेशा से ही विचारकों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों की एक लंबी परंपरा रही है। इसी परंपरा से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है महान भौतिक शास्त्री और वैज्ञानिक सी. वी. रमन के नाम से विख्यात चंद्रशेखर वेंकट रमन जिनके महान अनुसंधान के परिणामस्वरूप किसी भारतीय को विज्ञान के क्षेत्र में विश्व का सर्वोत्तम सम्मान 'नोबेल पुरस्कार' प्राप्त हुआ। सी. वी. रमन एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा 'भारत रत्न' से भी विभूषित किया गया है।

परिचय

चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 07 नवम्बर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नामक स्थान में हुआ था। आपके पिता चंद्रशेखर अय्यर एस. पी. जी. कॉलेज में भौतिकी के प्राध्यापक थे। आपकी माता पार्वती अम्मल एक सुसंस्कृत परिवार की महिला थीं। वर्ष 1892 में आपके पिता चन्द्रशेखर अय्यर विशाखापत्तनम के श्रीमती ए.वी. एन. कॉलेज में भौतिकी और गणित के प्राध्यापक होकर चले गए। उस समय आपकी अवस्था चार वर्ष की थी। आपकी प्रारंभिक शिक्षा विशाखापत्तनम में ही हुई। वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और विद्वानों की संगति ने आपको विशेष रूप से प्रभावित किया।

शिक्षा

आपने बारह वर्ष की अल्पावस्था में ही मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। उसी दौरान आपको श्रीमती एनी बेसेंट के भाषण सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके लेख पढ़ने का भी अवसर मिला। आपने रामायण तथा महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया। इससे आपके हृदय पर भारतीय गौरव की अमिट छाप पड़ गई। आपके पिता उच्च शिक्षा के लिए आपको विदेश भेजने के पक्ष में थे, किन्तु एक ब्रिटिश डॉक्टर ने आपके स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें आपको विदेश न भेजने का परामर्श दिया। फलतः आपको स्वदेश में ही अध्ययन करना पड़ा। आपने वर्ष 1903 में चेन्नै के प्रेसीडेंसी कॉलेज में प्रवेश ले लिया। आप स्नातक स्तर की परीक्षा में विश्वविद्यालय में अकेले ही प्रथम श्रेणी में आए। आप को भौतिकी में स्वर्ण पदक दिया गया। आपको अंग्रेजी निबंध पर भी पुरस्कृत किया गया। आपने वर्ष 1907 में मद्रास विश्वविद्यालय से गणित में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर की डिग्री विशेष योग्यता के साथ हासिल की। आपने इसमें इतने अंक प्राप्त किए थे, जितने इससे पहले किसी ने प्राप्त नहीं किए थे।

युवा विज्ञानी

आपने शिक्षार्थी के रूप में अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य किए। वर्ष 1906 में आपका प्रकाश विवर्तन पर पहला शोध पत्र लंदन की फिलॉसोफिकल पत्रिका में प्रकाशित हुआ। उसका शीर्षक था–'आयताकृत छिद्र के कारण उत्पन्न असीमित विवर्तन पट्टियाँ'। जब प्रकाश की किरणें किसी छिद्र में से अथवा किसी अपारदर्शी वस्तु के किनारे पर से गुजरती हैं तथा किसी पर्दे पर पड़ती हैं, तो किरणों के किनारे पर रंगीन प्रकाश की पट्टियाँ दिखाई देती हैं। यह घटना 'विवर्तन' कहलाती है। विवर्तन गति का सामान्य लक्षण है। इससे पता चलता है कि प्रकाश तरगों से निर्मित है।

वृत्ति एवं शोध

उन दिनों आपके समान प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए भी वैज्ञानिक बनने की सुविधा नहीं थी। अतः आप भारत सरकार के वित्त विभाग की प्रतियोगिता में बैठ गए। आप इस प्रतियोगिता परीक्षा में भी प्रथम आए और जून 1907 में

* *वरिष्ठ फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

आप असिस्टेंट एकाउंटेंट जनरल बनकर कलकत्ता चले गए। उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि आपके जीवन में स्थिरता आ गई है। आप अच्छा वेतन पाएँगे और एकाउंटेंट जनरल बनेंगे। बुढ़ापे में ऊँची पेंशन प्राप्त करेंगे। पर आप एक दिन कार्यालय से लौट रहे थे कि आपने एक साइन बोर्ड देखा, जिस पर लिखा था 'इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन आफ साइंस'। मानो आपको बिजली का करेंट छू गया हो। तभी आप ट्राम से उतरे और एसोसिएशन कार्यालय में पहुँच गए। वहाँ पहुँच कर अपना परिचय दिया और एसोसिएशन की प्रयोगशाला में प्रयोग करने की आज्ञा पा ली।

तत्पश्चात आपका तबादला पहले रंगून और फिर नागपुर हो गया। अब आपने घर में ही प्रयोगशाला बना ली थी और समय मिलने पर आप उसी में प्रयोग करते रहते थे। वर्ष 1911 में आपका तबादला फिर कलकत्ता हो गया, तो यहाँ पर एसोसिएशन की प्रयोगशाला में प्रयोग करने का फिर अवसर मिल गया। आपका यह क्रम वर्ष 1917 तक निर्विघ्न रूप से चलता रहा। इस अवधि के बीच आपके अंशकालिक अनुसंधान का क्षेत्र था–ध्वनि के कंपन और कार्यों का सिद्धांत। आपका वाद्यों की भौतिकी का ज्ञान इतना गहरा था कि वर्ष 1927 में जर्मनी में प्रकाशित बीस खंडों वाले भौतिकी विश्वकोश के आठवें खण्ड के लिए वाद्ययंत्रों की भौतिकी का लेख आपसे तैयार करवाया गया। सम्पूर्ण भौतिकी कोश में आप ही ऐसे लेखक थे जो जर्मन नहीं थे।

कलकत्ता विश्वविद्यालय में वर्ष 1917 में भौतिकी के प्राध्यापक का पद सृजित हुआ तो वहाँ के कुलपति आशुतोष मुखर्जी ने उसे स्वीकार करने के लिए आपको आमंत्रित किया। आपने उनका निमंत्रण स्वीकार करके उच्च सरकारी पद से त्याग–पत्र दे दिया।

कलकत्ता विश्वविद्यालय में आपने कुछ वर्षों में वस्तुओं में प्रकाश के चलने का अध्ययन किया। इनमें किरणों का पूर्ण समूह बिल्कुल सीधा नहीं चलता है। उसका कुछ भाग अपनी राह बदलकर बिखर जाता है। वर्ष 1921 में आप विश्वविद्यालयों की कांग्रेस में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में ऑक्सफोर्ड गए। वहां जब कि अन्य प्रतिनिधि लंदन में दर्शनीय वस्तुओं को देख अपना मनोरंजन करने में मशगूल थे, वहीं आप सेंट पॉल के गिरजाघर में उसके फुसफुसाते गलियारों का रहस्य समझने में लगे हुए थे। जब आप जलयान से स्वदेश लौट रहे थे, तो आपने भूमध्य सागर के जल में उसका अनोखा नीला व दूधियापन देखा। कलकत्ता विश्वविद्यालय पहुँच कर आपने पार्थिव वस्तुओं में प्रकाश के बिखरने का नियमित अध्ययन शुरु कर दिया। इसके माध्यम से लगभग सात वर्ष उपरांत, आप अपनी उस खोज पर पहुँचें, जो बाद में चलकर 'रमन प्रभाव' के नाम से विख्यात हुई। आपका ध्यान इस बात पर भी गया कि जब एक्स किरणें प्रकीर्ण होती हैं, तो उनकी तरंग लंबाइयाँ बदल जाती हैं। तब प्रश्न उठा कि साधारण प्रकाश में भी ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए?

आपने पारद आर्क के प्रकाश का स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रोस्कोप में निर्मित किया। इन दोनों के मध्य विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ रखे तथा पारद आर्क के प्रकाश को उनमें से गुजार कर स्पेक्ट्रम बनाए। आपने देखा कि हर एक स्पेक्ट्रम में अंतर पड़ता है। हर एक पदार्थ अपनी–अपनी प्रकार का अंतर डालता है। तब श्रेष्ठ स्पेक्ट्रम चित्र तैयार किए गए, उन्हें मापकर तथा गणना करके उनकी सैद्धांतिक व्याख्या की गई। प्रमाणित किया गया कि यह अंतर पारद प्रकाश की तरंग लंबाइयों में परिवर्तित होने के कारण पड़ता है। रमन प्रभाव का उद्घाटन हो गया। आपने अपनी इस खोज की घोषणा 28 फरवरी 1928 को की। *वर्ष 1987 से भारत में यह दिन 'राष्ट्रीय विज्ञान दिवस' के रूप में मनाया जाता है।* राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के दिन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

रमन प्रभाव

रमन प्रभाव के अनुसार, जब कोई एकवर्णी प्रकाश द्रवों और ठोसों से होकर गुजरता है तो उसमें आपतित प्रकाश के साथ अत्यल्प तीव्रता का कुछ अन्य वर्णों का प्रकाश देखने में आता है। वर्ष 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार चंद्रशेखर वेंकट रमन को उनकी इसी खोज के लिए प्रदान किया गया था। रमन की पूरी शिक्षा–दीक्षा भारत में ही हुई। स्वयं 200 रु. का स्पेक्ट्रममापी अभिकल्पित कर केवल लगन, परिश्रम और एकनिष्ठ अनुसंधान के बल पर आप इतनी महत्वपूर्ण खोज कर सके। शुरू में रमन ने सूर्य के प्रकाश को बैंगनी फिल्टर से गुजार कर प्राप्त बैंगनी प्रकाश किरण पुंज को द्रव से गुजारा। निर्गत प्रकाश पुंज मुख्यतः तो बैंगनी रंग का ही था, परन्तु इसे हरे फिल्टर से गुजारने पर इसमें बहुत कम परिमाण में हरी किरणों का अस्तित्व भी देखने में आया। रमन प्रभाव रासायनिक यौगिकों की आंतरिक संरचना समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह प्रभाव वैज्ञानिकों के लिए काफी महत्वपूर्ण खोज है।

60 से ज्यादा विभिन्न द्रव्यों पर प्रयोग दोहराने के बाद यह सुनिश्चित हो गया कि सभी द्रव्य रमन स्पेक्ट्रम

दर्शाते हैं। द्रव्य बदलने से केवल उससे प्रकीर्णित स्पेक्ट्रमी रेखा का रंग बदलता है। अभी तक के प्रयोगों में सिर्फ देखकर प्रभाव की पुष्टि की जा रही थी। किन्तु रमन जानते थे कि जब तक रमन–रेखाओं की तरंगदैर्ध्यों और उनकी आपेक्षिक तीव्रता का मापन नहीं किया जाएगा तब तक न तो प्रभाव की संतोषजनक व्याख्या की जा सकेगी और न ही वैज्ञानिक जगत में मान्यता प्राप्त होगी। इसके लिए उन्होंने एक क्वार्ट्ज स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग किया, जिसके परिमाणात्मक परिणाम 31 मार्च 1928 के इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स में प्रकाशित हुए।

यह एक अद्भुत प्रभाव है, इसकी खोज के एक दशक बाद ही लगभग 2000 रासायनिक यौगिकों की आंतरिक संरचना निश्चित की गई थी। इसके पश्चात ही क्रिस्टल की आंतरिक रचना का भी पता लगाया गया। रमन प्रभाव के अनुसार प्रकाश की प्रकृति और स्वभाव में तब परिवर्तन होता है जब वह किसी पारदर्शी माध्यम से निकलता है। यह माध्यम ठोस, द्रव और गैसीय कुछ भी हो सकता है। यह घटना तब घटती है जब माध्यम के अणु प्रकाश ऊर्जा के कणों को प्रकीर्णित कर देते हैं। यह उसी तरह होता है जैसे कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर गोटियों को छितरा देता है। फोटोन की ऊर्जा या प्रकाश की प्रकृति में होने वाले अतिसूक्ष्म परिवर्तनों से माध्यम की आंतरिक अणु संरचना का पता लगाया जा सकता है।

रमन प्रभाव की उपयुक्त व्याख्या केवल क्वांटम सिद्धांत के आधार पर ही की जा सकती है, जहां एकवर्णी (निश्चित तरंगदैर्ध्य के) प्रकाश पुंज को ऊर्जा युक्त कणों (अथवा फोटोनों) के प्रवाह के रूप में देखा जाता है। ये फोटॉन जब माध्यम (माना वायु) के कणों से टकराते हैं तो उनमें या तो प्रत्यास्थ संघट्ट होता है जिससे अनिवार्यतः आपतित आवृत्ति की ही तरंगें उत्सर्जित होती हैं (रेले प्रकीर्णन) या फिर अप्रत्यास्थ संघट्ट होता है जिससे आपतित विकिरणों से अधिक तरंगदैर्ध्य (या कम आवृत्ति) की स्पेक्ट्रमी रेखाएं (स्टॉक रेखाएं) भी प्राप्त हो सकती हैं और कम तरंगदैर्ध्य (या अधिक आवृत्ति) की स्पेक्ट्रमी रेखाएं (एण्टी स्टॉक रेखाएं) भी। अप्रत्यास्थ संघट्ट से प्राप्त विकिरणों का प्रक्रम रमन प्रकीर्णन कहलाता है और इसके परिणामस्वरूप प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाएं 'रमन रेखाएं' कहलाती हैं।

शुरूआती दौर में रमन प्रभाव का उपयोग भौतिकीविदों द्वारा शोध अध्ययनों में किया गया। पहले 7 वर्षों में इस प्रभाव को आधार बना कर 700 से अधिक वैज्ञानिक शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। एक ओर सैद्धांतिक भौतिकी की दृष्टि से इस प्रभाव ने क्वांटम भौतिकी को सुदृढ़ आधार प्रदान करने का कार्य किया तो वहीं दूसरी ओर प्रायोगिक भौतिकविदों को क्रिस्टलों और अणुओं की संरचनाओं के अध्ययन के लिए एक अत्यन्त दक्ष, सरल तकनीक प्रदान की। फिर धीरे–धीरे भौतिकविदों की इस नई तकनीक में रूचि कम होने लगी। पर तब तक रसायनज्ञों के बीच एक विश्लेषणात्मक औजार के रूप में यह तकनीक लोकप्रिय होने लगी थी।

रसायनज्ञों के मत में प्रत्येक पदार्थ का अपना विशिष्ट स्पेक्ट्रम होता है। अतः पदार्थ को नष्ट किए बिना मिश्रणों का भी रासायनिक विश्लेषण इस तकनीक द्वारा किया जा सकता था और पदार्थ कार्बनिक हो या अकार्बनिक उसके चिह्न रमन स्पेक्ट्रम में पहचाने जा सकते थे। साथ ही स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता की तुलना से उनके सापेक्ष परिमाण की उपस्थिति का आकलन भी किया जा सकता था। यह एक व्यापक तकनीक थी और इसका उपयोग द्रवों के अतिरिक्त गैसों और ठोसों के लिए भी किया जा सकता था।

किंतु द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद सुग्राही संसूचकों और इलेक्ट्रॉनिकी में हुए विकास के कारण वैज्ञानिकों को अवरक्त स्पेक्ट्रममिति रमन स्पेक्ट्रममिति से सरल लगने लगी और रमन प्रभाव के अनुप्रयोगों की ओर रूझान कुछ कम हुआ। किंतु शीघ्र ही लेजर की खोज के बाद 1960 से रमन प्रभाव फिर से वैज्ञानिक अन्वेषकों में लोकप्रिय हो गया।

लेजर और रमन प्रभाव

रमन प्रभाव के संसूचन में सबसे कठिन समस्या यह थी कि रमन रेखाएं बहुत क्षीण होती थीं इसलिए उनके संसूचन के लिए अत्यंत तीव्र प्रकाश स्रोत की आवश्यकता थी। लेजर ने न केवल ऐसा अत्यंत तीव्र प्रकाश स्रोत प्रदान किया वरन प्रकीर्णित प्रकाश में ऐसे नए प्रभाव प्रवर्तित किए जिन्होंने रमन स्पेक्ट्रममिति में नए आयाम जोड़ दिए। परिणामस्वरूप रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनेक परिवर्तन विकसित हुए। इनमें जिन मूल संकल्पनाओं का उपयोग किया गया है उनमें सुग्राहिता वृद्धि के लिए पृष्ठवर्धित रमन, स्थानिक विभेदन में सुधार के लिए रमन माइक्रोस्कोपी और अत्यंत विशिष्ट सूचना प्राप्ति के लिए रेजोनेंस रमन मुख्य हैं। इन संकल्पनाओं के समाकलन से अनेक भिन्न–भिन्न रमन स्पेक्ट्रम तकनीकें विकसित की गई हैं। डाटा प्रबंधन के लिए कंप्यूटरों का अनुप्रयोग जुड़ जाने के बाद 1980 के दशक के उत्तरार्ध से व्यावसायिक

रमन स्पेक्ट्रममापी उपलब्ध हो गए और अब कोई भी क्षेत्र रमन प्रभाव के अनुप्रयोगों से अछूता नहीं रहा है।

रमन प्रभाव के अनुप्रयोग

जहां भी सैंपल को बिना क्षति पहुंचाए, द्रुतगति से पदार्थ विशेष के कुछ कण पहचान कर निष्कर्ष निकाले जा सकते हों, वहां रमन प्रभाव सबसे अधिक प्रभावी तकनीक प्रदान करता है। अभिनव रमन स्पेक्ट्रममिति के कुछ अनुप्रयोग नीचे दिए गए हैं:

- औषधियों, पेट्रोकैमिकलों और प्रसाधन सामग्रियों के निर्माण प्रक्रमों के अध्ययन, मॉनीटरन और गुणवत्ता निर्धारण में।
- अपराध विज्ञान में पैकेट्स या बक्सों को बिना खोले उनके अन्दर विद्यमान विशिष्ट पदार्थों (जैसे मादक पदार्थों) के संसूचन (डिटेक्शन) में।
- पेंट उद्योग में जैसे–जैसे पेंट सूखता है तो उसमें क्या रसायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, रसायनज्ञ यह अध्ययन कर सकते हैं।
- स्टैंड–ऑफ रिमोट रमन नामक तकनीक का उपयोग करके, जिसमे प्रायः प्रकाश संकलन के लिए टेलिस्कोप का और रमन रेखाओं को संसूचक तक ले जाने के लिए ऑप्टिक फाइबरों का उपयोग होता है, हानिकारक या रेडियोएक्टिव पदार्थों का सुरक्षित दूरी से अध्ययन किया जा सकता है।
- रमन स्पेक्ट्रम का उपयोग करके प्रकाश रसायनज्ञ और प्रकाश–जीववैज्ञानिक 10^{11} तक औसत आयु के क्षणजीवी रसायनों तक के स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं।
- भूगर्भशास्त्री और खनिज–वैज्ञानिक रत्नों और खनिजों की पहचान तथा विभिन्न दशाओं में खनिज–व्यवहार आदि का अध्ययन करने के लिए इस तकनीक का उपयोग करते हैं।
- कार्बन नैनोट्यूबों एवं हीरों की गुणवत्ता और गुणों के अध्ययन के लिए रमन प्रभाव का उपयोग किया जा रहा है।
- जीवन–अध्ययनों जैसे डीएनए/आरएनए विश्लेषण में, रोग निदान, एकल सेल विश्लेषण आदि में भी व्यापक पैमाने पर रमन प्रभाव उपयोग में लाया जा रहा है।

रमन प्रभाव के भावी अनुप्रयोगों संबंधी अनुसंधान

स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक नैनोटैक्नोलॉजी का रमन प्रभाव के साथ उपयोग करके ट्यूमर्स की जांच के लिए अनुसंधान कर रहे हैं जिसके द्वारा कुछ कैंसरयुक्त कोशिकाओं की उपस्थिति भी दर्ज की जा सकेगी। इसके लिए ऐसे विशिष्ट नैनोकण अभिकल्पित किए गए हैं जो इन्जेक्शन द्वारा रक्त प्रवाह में पहुंचा देने पर केवल कैंसर कोशिकाओं की पहचान कर उनसे ही जुड़ेंगे। जब लेजर प्रकाश त्वचा पर डाला जाएगा तो ये नैनो कण विशिष्ट रमन सिग्नल परावर्तित करेंगे जिनके आधार पर कैंसर कोशिकाओं की उपस्थिति पहचानी जा सकेगी।

वैज्ञानिक ब्रह्मांड में विद्यमान प्रत्येक प्रेक्षित पदार्थ का रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त कर उसका डॉटाबेस तैयार कर रहे हैं। ब्रह्मांड की इस फिंगर प्रिंटिंग के बाद कहां क्या है, क्या घट बढ़ रहा है आदि ब्रह्मांड संबंधी सूक्ष्म जानकारी ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं की एक अत्यंत सूक्ष्मदृष्टि प्रस्तुत करेंगे। नशीली दवाइयों, प्रदूषणों और विस्फोटकों आदि के डाटाबेस पहले ही तैयार हो चुके हैं अब छोटे–छोटे रमन स्कैनरों का उपयोग करके स्मगलरों और आतंकवादियों को पकड़ना आसान हो गया है।

रोटरडम की 'रिवर डायग्नोस्टिक' नामक कम्पनी ने एक ऐसा बैक्टीरिया एनालाइजर विकसित किया है, जिसके द्वारा तत्काल रोगी के शरीर में विद्यमान रोगकारी सूक्ष्मजीवों की पहचान की जा सकेगी।

आशा है कि शीघ्र ही रक्त परीक्षण गुजरे कल की बात हो जाऐंगे, क्योंकि बाहर से ही रोगी के रक्त का रमन स्पेक्ट्रम लेकर इसमें विद्यमान ग्लुकोज, कोलेस्टरॉल, यूरिक अम्ल आदि का सटीक आकलन किया जा सकेगा।

समय के साथ रमन प्रभाव के अनुप्रयोग बढ़ते जा रहे हैं और यह 21वी शताब्दीं में रमन प्रभाव की विरासत के महत्व को दर्शाता है।

सम्मान

आप वर्ष 1924 में अनुसंधानों के लिए रॉयल सोसायटी, लंदन के फेलो बनाए गए। रमन प्रभाव के लिए आपको वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। रमन प्रभाव से अनुसंधान के लिए नया क्षेत्र खुल गया।

वर्ष 1948 में सेवानिवृति के बाद आपने बैंगलोर में रमन शोध संस्थान की स्थापना की और इसी संस्थान में शोधरत रहे। वर्ष 1954 में भारत सरकार द्वारा आपको भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया। आपको वर्ष 1959 में लेनिन शान्ति पुरस्कार भी प्रदान किया था।

कोविड–19 और बदलता समाज

डॉ. शशि बाला*

महामारियों का मानव सभ्यता के साथ बहुत गहरा संबंध रहा है। महामारियों ने न केवल हमारी जनसांख्यिकी (डेमोग्राफी) पर असर डाला है अपितु हमारी सोच व मानव की कभी हार न मनाने वाली इच्छा शक्ति को भी बढ़ाया है। मानव सर्वश्रेष्ठ जीव इसी कारण है क्योंकि वह विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन संघर्ष करने में कामयाब रहा है।

वर्ष 2019 का अंत होते–होते चीन से एक नए वायरस के बारे में दुनिया के सामने चौकने वाले तथ्य आने लगे। इस वायरस को कोरोना वायरस फैमिली के विस्तार के रूप में जाना गया। वैज्ञानिकों ने इसे 2019–nCOV नाम दिया। यह वायरस 2019 में पैदा हुआ, इसलिए 2019 को इसके नाम के साथ संलग्न कर दिया गया। नया वायरस होने के कारण नॉवेल और कोरोना फैमिली में होने पर COV नाम दिया गया। इस तरह कोविड–19, कोरोना वायरस बीमारी के नाम से जाना जाता है।

यह वायरस इतना खतरनाक है कि देखते ही देखते इसने वुहान शहर को बुरी तरह से संक्रमित कर अपनी चपेट में ले लिया और वहाँ पर मौत का तांडव करने लगा। चीन तथ्यों को छिपाने में लगा रहा। आंकड़े इस तरह से दुनिया के आगे रखे गए कि लगा सब कुछ ठीक हो गया। वुहान से दुनिया के दूसरे देशों को जाने वाली हवाई यात्रा पर भी कोई रोक नहीं लगाई गई। देखते ही देखते यह महामारी यूरोप की ओर अपना रुख कर गई। बड़ी संख्या में वहाँ पर व्यक्ति इस महामारी के शिकार होने लगे। यह समय 20 से 25 फरवरी 2020 के बीच का समय था, जब यूरोप में इस महामारी ने दस्तक दी। यूरोप, जहाँ मेडिकल साइंस हमेशा से ही बहुत उन्नत रहा है, उसकी यह दुर्दशा देखकर भारत और दुनिया के दूसरे देशों ने इस महामारी को रोकने के प्रयास प्रारंभ कर दिये। लेकिन अमेरिका ने अपने यहाँ लॉकडाउन न लगाने का ऐलान कर दिया, जिसका गंभीर परिणाम वह आज भी भुगत रहा है। वहाँ पर कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 8 मिलियन से ऊपर पहुँच चुकी है तथा मरने वालों की संख्या भी सबसे अधिक है।

भारत में इस महामारी ने मार्च के प्रारंभ में दस्तक दी। भारत सरकार ने तत्परता दिखते हुए चीन और यूरोप के उन सभी देशों से हवाई उड़ाने बंद कर दीं जहां पर यह बीमारी महामारी का रूप ले चुकी थी। महामारी की विकरालता देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने 24 मार्च 2020 को देश को संबोधित किया और इस चुनौती से मुकाबला करने के लिए देश की जनता से आह्वान किया। भारत में 25 मार्च 2020 से 21 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन–2 का ऐलान किया, इसमें लॉकडाउन को 03 मई 2020 तक बढ़ाया गया। लेकिन इसके अंतर्गत कंटेनमेंट जोन को छोड़ सभी जगह आवागमन पर ढील दे दी गई। इसके बाद भारत सरकार द्वारा पहले 17 मई 2020 तक, और फिर 18 मई 2020 से 31 मई 2020 तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया। समय–समय पर सरकार गाइडलाइंस बनाती रही, परंतु कोविड के संक्रमित लोगों की संख्या पर रोक न लग सकी। हाँ, कुछ समय के लिए इसके दोगुना होने की रफ्तार पर रुकावट जरूर लगा पाई।

भारत के संदर्भ में लॉकडाउन का फैसला लेना इतना आसान नहीं था। हमारा देश दुनिया का सबसे गहन जनसंख्या घनत्व वाला देश है, ऐसे में इस प्रकार का निर्णय बहुत मुश्किल था। भारत की एक बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। ऐसे में उसके रोजगार तथा खाने–पीने की जरूरतों का भी ध्यान रखना काफी कठिन कार्य था। सरकार के पास ऐसे प्रमाण कम ही थे कि कोविड से कौन सा क्षेत्र प्रभावित है और कौन सा नहीं, इसलिए आकस्मिक निर्णय लेना सरकार की आवश्यकता रही होगी ताकि वह सही प्रकार से इसको देश में चिह्नित कर सके। ऐसा होता हुआ नजर भी आया परंतु सामाजिक विषमताओं व सही जानकारी के अभाव में बहुत से व्यक्ति लॉकडाउन का उल्लंघन करते पाये गए। विभिन्न प्रदेशों की सरकारों ने मजदूरों के लिए योजना के अंतर्गत उनके खाते में कुछ रुपये भी दिये। लेकिन यह पैसा शायद उन मजदूरों को एक जगह पर रोक पाने में कामयाब न हो पाया। आखिरकार मजदूरों ने अपने–अपने घरों का रुख करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार लॉकडाउन द्वारा इस बीमारी को कुछ हिस्सों में रोकने की सरकार की कोशिश काफी हद तक विफल हो गई। भारत सरकार ने भी राज्यों को अपने विवेक व आवश्यकता के अनुसार लॉकडाउन को लगाने की छूट दे दी।

कोविड–19 के समय सबसे अधिक प्रभावित बच्चे और वृद्ध हुए। उनको इस महामारी से ग्रसित होने का सबसे अधिक खतरा था इसलिए ज्यादातर समय वे घर

* *फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

में व्यतीत कर रहे हैं। इससे न केवल इनके मनोवैज्ञानिक संतुलन पर असर पड़ रहा है अपितु इनकी शारीरिक पुष्टता को भी खतरा बढ़ गया है। बच्चे ज्यादातर समय कंप्यूटर के साथ बिता रहे हैं। वह उनकी आँखों व तार्किक बुद्धि के लिए काफी नुकसानदायक है। दोनों समूहों के लिए यह परिस्थिति काफी विषम है। यहाँ पर यह अति आवश्यक है कि घर के मुखिया को घर के प्रत्येक सदस्य को विभिन्न कार्यकलापों में संलग्न करना चाहिए एवं योग तथा व्यायाम के लिए भी प्रेरित करना चाहिए।

कोविड–19 ने हमारे सामाजिक ढांचे पर भी बहुत असर डाला है। मानव एक सामाजिक जीव है, अतः सामाजिक दूरी के बंधन मे रहना उसके लिए काफी मुश्किल है। आज सामाजिक दूरी का नारा चारों ओर गूंज रहा है क्योंकि कोविड–19 से बचने का सबसे कारगर हथियार यही है। इन परिस्थितियो में कुछ सामाजिक मानदंडों को छोड़ने तथा कुछ को बदलने की आवश्यकता है। यह हमारे विवेक और विवेचना पर आधारित है कि हम किस प्रकार से अपने समाज के काम आ सकें।

देश और समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए अति आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था पर कम से कम प्रभाव पड़े। अर्थव्यवस्था एक ऊर्जा स्रोत की तरह कार्य करती है जिसके बिना जैसे शरीर धीरे–धीरे जीर्ण होने लगता है इसी प्रकार समाज और देश भी जीर्ण होने लगते हैं। कोविड–19 में भारत सरकार ने भरसक प्रयास किया कि किसी प्रकार से कम से कम मृत्युदर रखते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को भी सुचारु रूप से पटरी पर बनाए रखे। इसमें हम अपने सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सराहनीय कार्य को देख सकते हैं ।

दूसरा बड़ा क्षेत्र जिसने लॉकडाउन के समय में भी अहम भूमिका निभाई है वह हमारा कृषि क्षेत्र है। इस बार गेहूँ का बंपर उत्पादन हुआ, जिससे सरकार न केवल देशवासियों की जरूरत के अनुसार खाद्य आपूर्ति करने में सक्षम रही अपितु गरीबों को भी मुफ्त खाद्य पदार्थ देने में सक्षम रही। इस सबके बावजूद भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारी कृषि अधिक आत्मनिर्भर तथा प्रौद्योगिकी उन्नत हो।

कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जिनको लॉकडाउन का सबसे अधिक प्रकोप झेलना पड़, इनमें विमानन, परिवहन तथा छोटे और मँझले उद्योग थे। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इन उद्योगों को 3 लाख करोड़ रुपये के जमानती राशि–मुक्त (Collateral-free) स्वचालित ऋण व 20,000 करोड़ रुपये के आनुषंगिक ऋण देने की घोषणा की। सरकार ने यह आर्थिक मदद इन उद्योगों को सुचारु रूप से कार्य करने के लिए प्रदान की।

कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के संदर्भ में हम यहाँ पर दो देशों का जिक्र कर सकते हैं, जिनमें से एक दक्षिण कोरिया है तथा दूसरा जापान। दोनों देशों में शुरुआत में तेजी से संक्रमण फैला लेकिन वहाँ की सरकारों ने जनता के सहयोग से बिना लॉकडाउन के जिस प्रकार से इस महामारी से बचाव किया तथा अपनी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित नहीं होने दिया वह सराहनीय था। फिर आखिर भारत में ऐसा क्या हुआ कि हम समय पर लॉकडाउन लगाने के बावजूद इस समस्या पर समय रहते पूर्ण नियंत्रण नहीं कर सके।

1. सता पक्ष और विपक्ष के बीच कोरोना से निपटने के लिए मतभेद।
2. कमजोर हेल्थ केयर जिसके कारण शुरुआत में न तो डॉकटरों के पास पर्याप्त संख्या में पी.पी.ई किट थी और न ही टेस्टिंग किट।
3. कमजोर फूड और चेन सिस्टम, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति तक समय रहते खाना नहीं पहुंचाया जा सका और अंततः प्रभावित व्यक्तियों का पलायन अपने गृह राज्य की ओर हुआ।
4. वर्क फ्रॉम होम का विचार इस महामारी के दौरान प्रचलित हुआ। परंतु भारत की जनसंख्या तथा साधनों को देखते हुए इसका इस्तेमाल बहुत पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम (मैटरनिटी बेनेफिट एक्ट) 2017 के अनुसार भी स्त्री को घर से कार्य करने का प्रावधान है। आई. टी. इंडस्ट्री में वर्क फ्रॉम होम का विचार पहले से चलन में था। इसका फायदा भी इस उद्योग में देखने को मिला। हमें बहुत से अन्य क्षेत्रों जैसे कि शिक्षा विभाग, रिटेल इत्यादि में इसका प्रचलन बढ़ाने की आवश्यकता है। ऑफिस में अपनी उपस्थिति दर्ज करने से अधिक आवश्यक है कार्य की उपस्थिति दर्ज कराना। यह संकल्पना तभी कामयाब हो सकेगी जब हम अपने कार्य को पूर्ण जिम्मेदारी व दक्षता से करना प्रारंभ करें।
5. सार्वजनिक परिवहन की कमी भी इस दौरान देखने में आई। ऑफिस तो खोल दिए गए परंतु सड़कों से सार्वजनिक परिवहन नदारद था। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों से ऑफिस चलाने का निर्देश था जिनके पास अपने प्राइवेट वाहन उपलब्ध थे, परंतु बहुत से ऑफिस इस नियम का इस्तेमाल अपनी सुविधा अनुसार करते नजर आए। वह भी लॉकडाउन को अप्रभावी करने में कम जिम्मेदार नहीं थे।
6. धर्म, जाति के विचारों से ऊपर उठकर व्यक्तियों का कुछ दायित्व देश के लिए भी है। महामारी में

धर्म के आधार पर बनी सोच को बदलने की अति आवश्यकता है। महामारी किसी धर्म या जाति को को नहीं पहचानती।

अनेकता में एकता एक अच्छा विचार है परंतु महामारियों के समय हमें मानवता के बंधन में रहने की अधिक आवश्यकता है। धर्म, जाति, पार्टी विचारधारा से ऊपर उठकर विवेक और मानव सभ्यता के बारे में विचार रखना अधिक आवश्यक है, जिसका एक उदाहरण हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को दुनिया के विभिन्न देशों में उपलब्ध कराकर प्रस्तुत किया। भारत ने दुनिया के आगे उदाहरण प्रस्तुत किया कि वह मानवता के लिए कार्य करने के लिए दृढ़ संकल्प है। भारत भी COVAXIN का परीक्षण कर रहा है और यदि यह कामयाब हुआ तो यह भारत का आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम होगा।

समय गुजरने के साथ शायद यह महामारी सिर्फ इतिहास के पन्नों पर ही रह जाए। परंतु इसका जो प्रभाव हमारे समाज पर पड़ा है वह लंबे समय तक रहने वाला है। हमारे रहन–सहन से लेकर खान–पान सभी पर इसका असर देखा जा सकता है। शिक्षा से लेकर कार्यस्थल पर हमारे कार्य करने के तरीके में भी आने वाले समये में काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यह समय बदलाव का है, हमें इन प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने को ढालना है। यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कुछ शब्द मेरे मन–मस्तिष्क में आते हैं–'यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ें, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चल सकते हैं, यदि आप नहीं चल सकते हैं तो घिसट कर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी आपको करना है वह अपने आपको गतिशील रखना है।' अर्थात हर परिस्थिति मे हमें आगे की ओर बढ़ते रहना है।

हमें अपनी इच्छा शक्ति से न केवल अपने समाज अपितु मानव सभ्यता के लिए कार्य करना है तभी हम एक मजबूत समाज और देश की परिकल्पना कर सकते हैं। जय हिंद !

निष्ठुर प्रजाति

बीरेंद्र सिंह रावत*

चीड़ की प्रजाति की तरह, चाहें सब गगन को छूना,
ऊंचा बढ़ते रहने की सोचें, चाहे नींव में हो सब सूना।
सोचे सदा सब कुछ अपना, भू–गर्भ, धरा हो या गगन,
वंश–बेल अपनी बढती जाए, खुश हो रहती सदा मगन।1।

वायु परागण के द्वारा ही, फैलता जाता है इसका आंचल,
भू–गर्भ में भी बढ़ता ही रहता, संचय न कर पाता भूजल।
इससे कारण प्राकृतिक जलस्रोत, हैं खत्म होने के कगार,
पर यह तो है बहुत खुदगर्ज, वंश–बेल ही है इसका हार।2।

चीड़ के पेड़ (फोटो साभार–डाउन टु अर्थ)

वनीकरण के साथ त्वरित, आर्थिक लाभ पा लेने के
उद्देश्य से राज्य सरकारें, करती रहती हैं सब खेल।
मात्र मध्यम दर्जे की इमारती लकड़ी मिलती है इससे,
इसके लिसे से मिलते पेंट, वार्निश, तारपीन का तेल।3।

निष्ठुर बहुत है यह प्रजाति, पत्तियां होतीं लंबी नुकीली,
गिरते ही धरा को ढंक देतीं, सूखकर होतीं गाढ़ी पीली।
हो जातीं अत्यंत प्रज्ज्वलनशील, जंगल नष्ट हैं हो जाते,
उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती, पादप दूजे न हैं उग पाते।4।

हे मानव श्रेष्ठ! मत अपना, निष्ठुर प्रजाति का यह पथ,
खुशनसीब है प्रभु कृपा से मिला है तुम्हें सत्ता का रथ।
धरती में नमी है जरूरी जैसे, दूजों के उग–बढ़ पाने को,
हों तत्पर, खुद की प्रगति संग दूजों की गति अपनाने को।5।

* वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते कदम

राजेश कुमार कर्ण*

1947 में ब्रिटिश शासन से मुक्त होने के बाद भी भारत कुछ संसाधनों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। लेकिन आज का भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। इन बीते सात दशकों में भारत ने विकास के कई महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिए हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को खत्म करने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ अपने मजबूत कदम बढ़ा दिए हैं। भारत ने बैलगाड़ी से लेकर चंद्रयान–2 तक का सफर अकेले अपने दम पर तय किया है। नए–नए आविष्कारों, खोजों और तकनीकी विकास से भारत ने विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के विकास को बनाए रखने के उद्देश्य से 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का आह्वान इसलिए तात्पर्यपूर्ण है, क्योंकि उसमें यह स्वप्न अंतर्निहित है कि देश अपनी किसी भी जरूरत के लिए परमुखापेक्षी न रहे। आत्मनिर्भरता सर्वोच्च राष्ट्रीय अभिलाषा है। इसमें स्वाधीनता और राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रतिभूति है। वास्तव में आत्मनिर्भर राष्ट्र ही सही मायने में संप्रभुता, स्वाभिमान और स्वाधीनता का आनंद ले पाते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के समक्ष अनेक चुनौतियों के होने के बावजूद, भारत को औद्योगिक क्षेत्र में मजबूती के लिए उन उद्यमों में निवेश करने की आवश्यकता है जिनमें भारत के वैश्विक ताकत के रूप में उभरने की संभावना है। आत्मनिर्भर भारत ही वास्तव में सशक्त, सच्चा और योग्य भारत होगा।

एक आत्मनिर्भर भारत के लिए अपने आह्वान में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश को समृद्ध बनाने के लिए पांच स्तंभों पर जोर दिया: अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, प्रणाली (आधुनिक तकनीक पर आधारित), जीवंत जनसांख्यिकी और मांग। पहला स्तंभ है अर्थव्यवस्था। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो इंक्रीमेंटल बदलाव नहीं बल्कि बहुत बड़ा परिवर्तन लाए। दूसरा स्तंभ है बुनियादी ढांचा जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा स्तंभ है हमारी प्रणाली जो बीती शताब्दी की रीति–नीति नहीं, बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली तकनीक चालित व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा स्तंभ है हमारी जनसांख्यिकी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हमारी जीवंत जनसांख्यिकी हमारी ताकत है, आत्मनिभर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवां स्तंभ है मांग। हमारी अर्थव्यवस्था में मांग और आपूर्ति चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। देश में मांग बढ़ाने के लिए, मांग को पूरा करने के लिए हमारी आपूर्ति चेन के हर हिस्सेदार का सशक्त होना बहुत जरूरी है। देश की मिट्टी की महक तथा मजदूरों के पसीने की खुशबू पर आधारित हमारी सप्लाई चेन–आपूर्ति की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए देश संकल्पबद्ध है। इसी संकल्प के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत निर्माण की दिशा में 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के अंतर्गत 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए 16 योजनाएं लागू की गई हैं। इनमें भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय दोनों ने ही पहल की है जिससे देसी कारोबारियों एवं छोटी इकाइयों को काफी फायदा हो रहा है। आत्मनिर्भर राहत पैकेज के माध्यम से न केवल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में सुधारों की घोषणा की गई, अपितु इसमें दीर्घकालिक सुधारों, जिनमें कोयला और खनन क्षेत्र जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं।

पूर्व की घोषणाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लिए गए निर्णयों को मिलाकर यह पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का है, जो भारत की सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 10% के बराबर है। इस पैकेज में भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें अल्पावधि में कोरोना संकट से उत्पन्न चुनौतियों को बेअसर करने और दीर्घावधि में अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता है। यह किसानों, उद्योगों और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किफायती लागत वाले स्थानीयकृत समाधान, गुणवत्ता वाले उत्पादों और कुशल प्रणालियों को सुनिश्चित करेगा और इस प्रकार देश को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम करेगा। आत्मनिर्भरता, आत्मबल और आत्मविश्वास से

* *आशुलिपिक ग्रेड–II, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

ही संभव है। आत्मनिर्भरता, ग्लोबल सप्लाई चेन में कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए देश को तैयार करती है और यह समय की मांग है कि भारत हर स्पर्धा में जीते, ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी भूमिका निभाए। इसी के मद्देनजर आर्थिक पैकेज में अनेक प्रावधान किए गए हैं जिससे सभी सेक्टर्स की क्षमता बढ़ेगी और गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी।

पिछले कुछ वर्षों से केन्द्र सरकार द्वारा की गई पहल और योजनाओं ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया है– चाहे वह गरीब व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए जनधन खाता–आधार–मोबाइल की तिकड़ी हो, युवा उद्यमियों के लिए उचित परिवेश तैयार करने के लिए स्टार्ट–अप इंडिया हो या फिर मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देना हो। गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपए का बंदोबस्त किया गया। मनरेगा के तहत रोजगार बढ़ाने के लिए 40 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि देने की व्यवस्था की गई। जनधन योजना में महिलाओं के खातों में पांच सौ रुपए की तीन किस्तें जमा की जा चुकी हैं। खाद्य प्रसंस्करण के तहत 35 हजार करोड़ रुपए के निवेश से 9 लाख कुशल एवं अर्द्धकुशल रोजगार के सृजन का अनुमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, कारखानों में नई तकनीकों या नई मशीनों के उपयोग पर बल दिया जा रहा है, सुई से लेकर प्लेन तक के देश में उत्पादन की बेहतर योजना बनाई जा रही है, उद्योगों के अनुकूल शिक्षा नीति में बदलाव किए गए हैं, अस्पतालों के उपकरणों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है ताकि सभी उपचार भारत में ही संभव हो, भारत अब डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है जहां ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। सरकार अनेकों कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है ताकि देश और नागरिकों का कल्याण हो और लोग आत्मनिर्भर हों। 'डिजिटल इंडिया' भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुँच सकें तथा प्रौद्योगिकी की मदद से लोगों के जीवन में बेहतर बदलाव लाया जा सके। आई.टी. क्रांति से 100% अधिक रोजगार उद्यमशीलता तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इंटरनेट/वेबसाईट के माध्यम से लोगों तक पहुंचने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए केन्द्र सरकार प्रतिबद्ध है।

कोरोना संकट के समय में स्थानीय उत्पादों ने ही हमारी मांग पूरी की है, इन्होंने हमें बचाया है। स्थानीय उत्पाद आज सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। आज जो विदेशी ब्रांड के सामान हैं वे कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया तो वे उत्पाद लोकल से ग्लोबल बन गए। आज हम सभी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना चाहिए। न सिर्फ स्वदेशी उत्पाद खरीदने चाहिए, बल्कि उनका गर्व से प्रचार–प्रसार भी करना चाहिए। जून 2020 के लद्दाख में सीमा विवाद के बाद चीन से क्षुब्ध होकर भारत के लोगों ने चीनी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू कर दिया। इसमें आत्मनिर्भरता का ही आह्वान है। चीन से सीमा विवाद के बीच भारत में आत्मनिर्भरता का प्रश्न तेजी के साथ चर्चा का विषय बना है। इस आह्वान के बीच केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक व्यवस्था एवं संप्रभुता की चुनौती के मद्देनजर 59 चीनी एप्स पर प्रतिबंध लगा दिया।

कोरोना महामारी के पहले देश में पीपीई किट का निर्माण न के बराबर था, अभी लगभग 5 लाख पीपीई और 5 लाख मास्क प्रतिदिन बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि, आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए बहुत ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। भारत करीब 16 अरब डॉलर के पीपीई का आयात करता था। कोरोना के कारण सब कुछ लगभग बंद होने के बाद भी भारत को अपनी जरूरत की चीजों के लिए विश्व के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा जबकि बड़े–बड़े देशों को हाथ फैलाना पड़ा। भारत ने अमेरिका, ब्राजील सहित कई देशों को कारोना के इलाज के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा दी और खुद अपने लिए भी रखी। यह आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण है। 'सर्वम् आत्म वशं सुखम' अर्थात जो हमारे वश में है, जो हमारे नियंत्रण में है, वही सुख है। आत्मनिर्भरता हमें सुख और संतोष देने के साथ–साथ सशक्त भी करती है। 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने का हमारा दायित्व, आत्मनिर्भर भारत के प्रण से ही पूरा होगा इस दायित्व को हम सभी देशवासी की प्राणशक्ति से ही ऊर्जा मिलेगी।

हमें अपनी संप्रभुता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी भी देश पर निर्भर नहीं होना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत ही सशक्त एवं अजेय भारत हो सकता है। आत्मनिर्भरता के तमाम क्षेत्र हैं। यहां ज्ञान, दर्शन, शोध, खाद्य की आत्मनिर्भरता है। भारत में हर तरह की क्षमता है। अंतरिक्ष अभियानों में भारत की कुशलता विश्व के लिए आश्चर्यजनक है। इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन नहीं मिलने पर खुद बनाया और आज हम अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में केवल आत्मनिर्भर राष्ट्र ही नहीं हैं, बल्कि दूसरे देशों की जरूरतों को सबसे कम कीमत पर पूरा कर रहे हैं। जब अमेरिका ने समझौता होने के बाद भी सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया तो हमारे वैज्ञानिकों ने उस चुनौती को स्वीकार किया और उसे पूरा करके दिखाया। जितने में एक सुपर कंप्यूटर खरीदना था उतने में हमने अपनी तकनीक ही विकसित कर ली। भारत आज कंप्यूटर विज्ञान

खासकर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दुनिया की बड़ी ताकत बनकर उभरा है। भारत में हर तरह की क्षमता है। यहां ज्ञान, दर्शन, शोध और खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता है।

भारत का जन जब चुनौतियों को स्वीकार करता है तो उसे पूरा करके दिखाता है। जब 1965 के युद्ध के समय भारत को अमेरिका ने गेहूं देने से मना कर दिया था तब हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं थे। हम दुनिया से अनाज खरीद करके लोगों का पेट भरने वाले राष्ट्र थे। तब हमें कद में छोटे किंतु संकल्पों में बड़े लाल बहादुर शास्त्री जी का सक्षम नेतृत्व प्राप्त था। जय जवान, जय किसान का नारा देते हुए उन्होंने कहा था, अन्न के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर होना है। हम गमलों में गुलाब की जगह गेहूं उपजाएंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो इस देश के नागरिक एक वक्त नहीं खाएंगे, लेकिन कटोरा लेकर गेहूं मांगने नहीं जाएंगे। उस संकल्प को भारत के किसानों ने स्वीकारा और अब भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है। विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में देश प्रथम स्थान पर है।

किसानों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने में कृषि बुनियादी ढांचे की प्रमाणित क्षमता को देखते हुए 'आत्मनिर्भर भारत पैकेज' में इस क्षेत्र के विकास पर काफी बल दिया गया है। इसमें 1 लाख करोड़ रुपये के कोष का प्रावधान है, जो प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओज), कृषि–उद्यमियों, कृषि–स्टार्टअप आदि को वित्त प्रदान करेगा जिससे किसानों के लिए कृषि बुनियादी ढांचे का समुचित विकास होगा। जनसंख्या में निरंतर बढ़ोतरी और लोगों के बढ़ते जीवन स्तर, जिससे विविध वस्तुओं की मांग पैदा होती है, के बावजूद भारत अपनी खाद्य सुरक्षा स्थिर बनाए रखने में सफल रहा है। किंतु आत्मनिर्भरता देने वाले किसान कम आमदनी, क्षीण लाभप्रदता और जोखिमपूर्ण आजीविका के साथ संघर्ष करते रहे हैं। किसानों की दुर्दशा से चिंतित केन्द्र सरकार 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए एक ठोस रूपरेखा तैयार किया है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत (2018–19) का डेढ़ गुणा बढ़ाने की सिफारिश स्वीकार किया और तदनुसार बढ़ोतरी किया। फसल और पशुधन बीमा, आय सहायता कार्यक्रमों, आसान ऋण आपूर्ति एवं कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन से लेकर कृषि विपणन और किसानों को व्यापार समूहों में संगठित करने तक अनेक क्षेत्रों में सुधार किए गए हैं। नाबार्ड के जरिए किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त आपात कार्यशील पूंजी जुटाई गई है।

कृषि विपणन और व्यापार के महत्व को समझते हुए केन्द्र सरकार ने एक व्यापक सुधार कार्यक्रम शुरू किया है जिसका लक्ष्य किसानों खासकर छोटे और सीमांत किसानों, जिनके पास बेचने के लिए बड़ी मात्रा में उपज नहीं है, को उनकी उपज का बेहतर दाम सुनिश्चित करना है। ऐसे किसान आसानी से बिचौलियों या दलालों के शिकार हो जाते हैं और लेनदेन की लागत के रूप में बड़ी राशि गंवा देते हैं। मोदी सरकार द्वारा किसानों के कल्याण और आवश्यक वस्तुओं से संबंधित कानून को लेकर बनाए गए हालिया कानून किसानों को आर्थिक स्वतंत्रता और विकल्प प्रदान करने की दिशा में एक तार्किक कदम है जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होंगे। कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) कानून, 2020 का उद्देश्य एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है, जहां किसानों के पास किसी भी ट्रेडिंग चैनल के माध्यम से अपनी उपज लाभकारी मूल्य पर बेचने का विकल्प हो। नए विधेयक के तहत किसानों को अंतर्राज्यीय व्यापार में शामिल किया जा सकता है। कानून यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा अधिसूचित बाजार परिसर के बाहर व्यापार करने पर किसी भी किसान या व्यापारी पर कोई बाजार शुल्क या उपकर नहीं लगाया जा सके। हालांकि किसानों के लिए कृषि उत्पाद बेचने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का बनाया जाना कृषक उत्थान का एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन हमें बुआई के समय कीमतों को अधिक अनुमानित बनाकर और उनकी उपज की खरीद को सुरक्षित कर किसानों की दीर्घकालिक भविष्य को सुरक्षित करने की भी आवश्यकता है। मोदी सरकार ने स्पष्टतः कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था यथावत रहेगी। वास्तव में अब किसानों के पास एमएसपी के अतिरिक्त भी उपज बेचने के कई विकल्प होंगे। मोदी सरकार एमएसपी में लगातार वृद्धि कर रही है। अब 2014 की तुलना में गेहूं की एमएसपी 41%, धान की 43%, मसूर की 73%, उड़द की 40%, मूंग की 60%, अरहर की 40%, सरसों की 52%, चने की 65% और मूंगफली की 32% ज्यादा हो गई है। किसान (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) मूल्य आश्वासन समझौता एवं कृति सेवा अधिनियम, 2020 किसानों को अपने भावी कृषि उत्पाद की बिक्री के लिए, कृषि–व्यवसाय फर्मों, प्रोसेसर, थोक व्यापारी, निर्यातक या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ पारस्परिक रूप से सहमत पारिश्रमिक मूल्य पर बेचने की सुरक्षा और अधिकार प्रदान करता है। आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून, 2020 यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनकी उपज के लिए पहले से अधिक पारिश्रमिक मूल्य मिले। यह राज्य मशीनरी के निरीक्षक राज को कम करता है जो किसानों और व्यापारियों की जमाखोरी और कालाबाजारी के बहाने परेशान करता रहा है।

किसानों को लुभाने वाली घोषणाओं के बजाय सरकार का जोर कृषि क्षेत्र को समृद्ध और किसानों को सशक्त बनाने पर रहा है। मोदी जी ने स्वयं के अनुभवों को गांधी

जी की शिक्षा के साथ एकीकृत करने में सफलता पाई है। मोदी सरकार ने शास्त्री जी के 'जय जवान–जय किसान' के नारे को आगे ले जाते हुए कई ऐसे काम किए हैं, जिनसे किसान तेजी से खुशहाली के मार्ग पर अग्रसर हैं। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कृषि बजट में 35.6% की वृद्धि हुई, 16.38 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए, माइक्रो इरिगेशन में 39.4% वृद्धि हुई, कृषि यंत्रीकरण का बजट 1248 गुणा किया गया, कृषि ऋण 57% अधिक दिया गया और कृषि ऋण में दी जाने वाली छूट में निवेश 150% बढ़ा। इसी कारण मोदी सरकार के छह वर्षों के कार्यकाल में खाद्यान्न उत्पादन 7.29, बागवानी का 12.4 और दलहन का 20.65 प्रतिशत बढ़ा है। फसल बीमा योजना से किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। इससे बीमित किसानों की संख्या 6.66 करोड़ से बढ़कर 13.26 करोड़ हो गई है। पीएम किसान सम्मान निधि और पीएम किसान पेंशन योजना के माध्यम से किसानों को सीधी सहायता देने का भी काम किया गया है। अब तक 10.21 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। 94 हजार करोड़ रुपये से अधिक धनराशि सीधे उनके खातों में भेजी गई है। पेंशन योजना से भी अब तक 19.9 लाख किसान जुड़ चुके हैं। मोदी सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये की कृषि मूलभूत संरचना निधि के अंतर्गत वित्तपोषण की एक नई केंद्रीय योजना भी शुरू की है। इसके अतिरिक्त मोदी सरकार ने आरसेप से बाहर आकर भी किसानों को चीन के नकारात्मक प्रभाव से बचाया। सरदार पटेल का कहना था, 'इस धरती पर अगर किसी को सीना तानकर चलने का हक है तो वह धन–धान्य पैदा करने वाले किसान को है।' मोदी सरकार ने किसानों को यह अधिकार देने का काम किया है। किसानों के कल्याण के लिए उठाए जा रहे इन कदमों का सुपरिणाम शीघ्र ही देश के समक्ष आएगा और आत्मनिर्भर भारत के लिए हो रहे प्रयासों में हमारे अन्नदाता किसानों की बराबर भूमिका होगी।

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अलावा विभिन्न राज्य सरकारों ने भी किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेष कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं जिनमें ओडिशा की 'कालिया' योजना, झारखंड की 'मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना' और तेलंगाना की 'ऋतु बंधु' उल्लेखनीय हैं, जिनका किसानों की आय और आजीविका पर रचनात्मक प्रभाव दिखायी दिया है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए उनका नए ढंग से मार्ग प्रशस्त किया गया है ताकि एक नए, उन्नतिशील और आत्मनिर्भर भारत का विकास किया जा सके।

कोविड–19 के वैश्विक फैलाव के कारण औद्योगिक विकास के साथ–साथ उत्पादन के स्वरूप और कंपनियों/उद्योगों की कार्यशैली में बड़े बदलाव होंगे। ऐसे में कृषि और अन्य क्षेत्रों को इन बदलावों के अनुरूप तैयार कर औद्योगिक विकास के साथ–साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेहतर योगदान दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों की पैकेजिंग या उनसे बनने वाले अन्य उत्पादों के निर्माण हेतु स्थानीय स्तर पर छोटी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देकर औद्योगिक उत्पादन श्रृंखला में ग्रामीण क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। कुछ छोटे–मोटे बदलावों और मामूली मदद से भारत का ग्रामीण क्षेत्र पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकता है। मोदी सरकार ने गांव के लोगों को उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक देने वाली 'स्वामित्व योजना' शुरू किया है। अब जब अपनी आवासीय जमीन के मालिकाना हक से लैस होंगे तो उनमें न केवल आत्मविश्वास का संचार होगा, बल्कि वे जरूरत पड़ने पर अपनी जमीन का क्रय–विक्रय कर सकेंगे तथा कर्ज भी ले सकेंगे। एक तरह से अब भू–संपत्ति का उपयोग वित्तीय संपत्ति के रूप में हो सकेगा। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार गांव–गरीबों को अधिकार संपन्न बनाने अथवा उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली जनकल्याणकारी योजनाओं को लक्ष्य तय करके पूरा कर रही है। पिछले छह वर्षों में पुरानी कमियों को दूर करने के लिए काम किया जा रहा है। आज देश में बिना भेदभाव के सबका विकास हो रहा है, पारदर्शिता के साथ सबको योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे ग्रामीण क्षेत्र विशेष रूप से कृषि में बहुत बदलाव आया है। गांव–आधारित लघु उद्योगों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और कारोबार के नए अवसरों का सृजन, ग्रामीण विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के योगदान का प्रमाण रहा है। भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय, विभाग, प्रत्येक विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसी के पास एक मजबूत आउटरीच संगठन या सेल है जो यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है कि ग्रामीण आबादी को इससे यथोचित लाभ हो।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से मृत्यु दर में कमी आई है और इस प्रकार देश में स्वस्थ जीवन शैली का उदय हुआ है। गांवों की बेहतर प्रगति और उनकी जीवंतता प्रवासन के लिए विवश करने वाली स्थितियों को नियंत्रित करेगी। परिवार और समुदाय समाविष्ट और संतुष्ट हो जाएंगे। शहर स्वच्छ और भीड़भाड़ से मुक्त होंगे। मलिन बस्तियों की संख्या कम होंगी और उनके अस्तित्व की अमानवीय स्थितियां भी नहीं होंगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में कहा गया है, भारत विकास संबंधी सभी नीतियों में रोग निरोधी और मुस्तैद स्वास्थ्य सेवा नीति के जरिये प्रभावी और सक्षम रक्षण प्रणाली तैयार करने और

''प्रत्येक उम्र में सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के उच्चतम संभव स्तर को प्राप्त करने तथा वित्तीय कठिनाई का सामना किए बिना किसी की भी अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए प्रतिबद्ध है।'' मजबूत और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों में निवेश एक समृद्ध और उत्पादक राष्ट्र की मजबूत नींव में निवेश के बराबर है। इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य खर्च में अपेक्षित वृद्धि करते हुए बेहतर आधारित संरचना, स्वास्थ्य रक्षण सेवा तक बढ़ती पहुंच तथा गुणवत्ता में सुधार पर विशेष जोर दिया जा रहा है परिणामस्वरूप शिशु एवं मातृ–मृत्यु दर घटी है। सुरक्षात्मक हेल्थकेयर के रूप में योग ने नए सिरे से अपनी पहचान स्थापित की है तथा यह देश–दुनिया में एक जन–आंदोलन बन रहा है। स्वच्छ जल मिशन और विस्तृत स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए की गयी है। कोरोना जैसी महामारी से इलाज के मार्ग में आ रही बाधा से सख्ती से निपटने के लिए केन्द्र सरकार ने महामारी रोग संशोधन विधेयक के जरिए 123 साल पुराने कानून में कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। अब स्वास्थ्यकर्मियों के विरुद्ध हिंसा को संज्ञेय और गैर–जमानती अपराध बनाया गया है।

आत्मनिर्भर भारत जिन पांच स्तंभों पर खड़ा होगा उनमें से बुनियादी ढ़ांचा एक ऐसा स्तंभ है जिसमें भारत की पहचान बनने की क्षमता है। हमारा जोर बुनियादी ढांचे के निर्माण पर होना चाहिए क्योंकि इसका सीधा संबंध लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने से है। परिवारों को बुनियादी सेवाएं (जैसे जल आपूर्ति, जलमल निस्तारण, शहरी परिवहन) उपलब्ध कराना और शहरों में सभी लोगों, विशेषकर गरीबों और उपेक्षित लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने वाली सुविधाओं का निर्माण करना मोदी सरकार की प्राथमिकता है। केन्द्र सरकार का स्मार्ट सिटीज मिशन ऐसे शहरों को प्रोत्साहन देता है जो अपने निवासियों को मूलभूत बुनियादी ढांचा और बेहतरीन गुणवत्ता वाला जीवन जीने की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इन सुविधाओं में स्वच्छता और निरंतरता वाले माहौल के साथ–साथ नागरिकों की समस्याओं के स्मार्ट समाधान उपलब्ध कराने की सुविधा भी शामिल है। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से अधिक विश्व स्तर के हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं।

आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मोदी सरकार ने प्रौद्योगिकी की दिशा में कई कारगर कदम उठाए हैं। नागरिक एवं सैन्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्धारित किया है। शोध और प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा संस्थानों एवं उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपाय किए गए हैं। एआई, 5जी तकनीक, ऊर्जा प्लेटफार्म, क्वांटम कंप्यूटिंग एवं वित्तीय प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यिक व सैन्य प्रयोगों को विकसित करने के लिए ज्यादा बजट का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में कोविड–19 के कारण बदली हुई परिस्थितियों में अधिकांश कंपनियों में ऑटोमेशन, घर से काम करने और अनुबंधित कामगारों को अधिक प्राथमिकता देंगी, ऐसे में आधुनिक तकनीकी प्रगति के अनुरूप कुशल श्रमिकों की मांग को पूरा करने और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौशल विकास के कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देना होगा। विशेषज्ञों के अनुसार, चीन से निकलने वाली अधिकांश कंपनियों के भारत में न आने का एक कारण भारतीय औद्योगिक क्षेत्र (खासकर तकनीकी के संदर्भ में) एक मजबूत आधारिक ढांचे का अभाव है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय उत्पादक किसी–न–किसी रूप में आयात पर निर्भर रहे हैं।

भारतीय आयात में 19 प्रतिशत चीनी सामान है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन, दवाओं के रसायन आदि प्रमुख हैं। चीनी सामान गुणवत्ता में कमजोर हैं किंतु सस्ता होने के कारण लोकप्रिय हैं। हमें चीन की आर्थिक जकड़न को तोड़ना होगा। इसके लिए देश के लोगों को आगे आना होगा और चीनी सामान का बहिष्कार करना होगा। सरकार चीन से सामान आना बंद नहीं कर पा रही है क्योंकि विश्व व्यापार के तहत भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था खोले रखने का आश्वासन दे रखा है। जब चीनी सामान लोग खरीदेंगे ही नहीं तो इसकी आवक धीरे–धीरे खत्म हो जाएगी और स्वदेशी वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। बड़े पैमाने पर रोजगार विनिर्माण से ही मिलता है। इसलिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए तो हमारा सामान भी गुणवत्ता में विदेशी सामान को टक्कर दे सकता है।

उद्योग मंडल एसोचैम का मानना है कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश को 15 बड़े आयात वाले उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और देश में उनके उत्पादन की क्षमता बढ़ानी चाहिए। एसोचैम ने ऐसे 15 उत्पादों को चिन्हित करते कहा है कि इनका घरेलू उत्पादन बढ़ाकर हम दो–तीन साल में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पा सकते हैं। इन उत्पादों में इलेक्ट्रॉनिक्स, कोयला, लौह–चादर, अलौह धातु और वनस्पति तेल आदि शामिल हैं। इन वस्तुओं के आयात पर काफी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। मोदीजी ने इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए उद्योग जगत से स्वदेशी को अवसर में बदलने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज जो चीजें हमें विदेश से मंगवानी पड़ती है, हमें विचार करना होगा कि कैसे वो देश में बने और फिर उसका किस तरह से निर्यात किया जा सके। भारत दुनिया का अगला मैन्यूफैक्चरिंग पावर हाउस बन सकता है, अगर यहां व्यापार माहौल बेहतर बनाया जाए, बुनियादी ढ़ांचे का विस्तार किया जाए, वित्त तक पहुंच में सुधार किया जाए, घरेलू कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ा जाए और श्रमिकों और प्रबंधकों

की क्षमताओं में सुधार किया जाए। हाल की कुछ नीतियां जैसे औद्योगिक गलियारे, डी–लाइसेसिंग और मेक इन इंडिया इत्यादि सही दिशा में उठाए गए कदम हैं। भारत बहुत सारी सामग्री का आयात करता है। यहां उद्योग व कल–कारखानों को चलाने के लिए भी विदेश से कच्चा माल लेने की जरूरत बढ़ रही है। हम निर्यात योग्य जो सामग्री या उत्पाद बनाते हैं, उसमें भी हम बहुत हद तक आयात पर निर्भर हैं। किसी भी उत्पादन के लिए आयात पर निर्भरता कम से कम करने में ही फायदा है। भारत को ज्यादा से ज्यादा ऐसे उत्पादन करने चाहिए, जो पूरी तरह से भारतीय हों। दुनिया की फैक्टरी बनने के लिए भारत की आत्मनिर्भरता प्राथमिकता होनी चाहिए। दुनिया में कोई देश तत्काल आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। वर्षों के प्रयास से धीरे–धीरे उत्पाद दर उत्पाद और क्षेत्र दर क्षेत्र आत्मनिर्भरता के लिए नीतिगत और व्यवहारगत दृढ़ता के साथ काम करना होगा। हमें अपना दूरगामी और स्थायी लाभ देखना होगा।

आज कोई भी कंपनी सीधे पीएमओ तक अपनी वस्तुओं या योजनाओं को पहुंचा सकती है। लोगों को गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल से जुड़ना होगा, ताकि देशी कंपनियों का सामान सरकार भी खरीदे। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन को बढ़ावा देने के इरादे से केन्द्र सरकार ने जेम पर बिकने वाले हर माल पर मूल उत्पादक देश का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया है। यह जानकारी देने पर ही जेम पोर्टल पर प्रॉडक्ट रजिस्टर कराया जा सकेगा। इसके साथ जेम की साइट पर मेक इन इंडिया का फिल्टर लगा दिया गया है जिससे खरीदार सिर्फ उन सामानों में से चुन सकेंगे, जिनमें कम से कम 50% सामान भारत का हो। इसका भारतीय व्यापार–उद्योग जगत ने स्वागत किया है तथा उन्होंने मांग की है कि दूसरे ई–कॉमर्स पोर्टल्स के लिए भी इसे अनिवार्य किया जाए। जेम पोर्टल की शुरुआत 2016 में की गई थी। केन्द्र सरकार के मंत्रालय, विभाग, पब्लिक सेक्टर यूनिट, राज्य सरकारें, सीआरपीएफ इस पोर्टल के जरिए सामान और सेवाओं की खरीददारी करते हैं। इससे कोई भी विक्रेता जुड़ सकता है। सरकार ने यह भी व्यवस्था बनाई है कि 200 करोड़ से कम के टेंडर अब केवल भारतीय उद्यमी भर पाएंगे।

स्वामी विवेकानंद ने एक बार लिखा था कि भारतीयों को खुद के लिए उत्पादन करना चाहिए और अन्य देशों में भी बाजार तलाशना चाहिए। उनकी बहुत इच्छा थी कि देश चिकित्सा उपकरणों, विनिर्माण, रक्षा विनिर्माण, कोयला एवं खनिज, खाद्य तेल और अन्य कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बने। महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई लड़ते हुए स्वदेशी अपनाने की अपील की थी और उन्होंने चरखे को स्वावलंबन का प्रतीक भी बना लिया था। देखते–देखते हर घर में चरखा चलने लगा था। स्वदेशी सामान की मांग होगी, तो ऐसे सामान बनाने वालों की संख्या और उनकी आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। महिलाओं, गरीबों की स्थिति सुधरेगी। जब पुनः 'लोकल के लिए वोकल' की बात उठी है तो स्वदेशी का नारा फिर जोर पकड़ने लगा है। हमारे पास खूब संसाधन हैं, असंख्य कुशल हाथ हैं जिनका उपयोग करके हम विभिन्न प्रकार के उपयोगी सामान विश्व स्तर पर बना सकते हैं।

स्वदेशी सामानों की मांग में वृद्धि के लिए कंपनियों के लिए एमएसएमई से खरीद अनिवार्य किया जा सकता है। जिस तरह विदेशी थोक रिटेल कंपनियों के लिए कम से कम 30% खरीद एमएसएमई से करना और कई विभागों के लिए खादी खरीदना अनिवार्य किया गया है, उसी तरह देसी ई–कॉमर्स कंपनियों और दूसरी कंपनियों के लिए भी एमएसएमई से खरीद अनिवार्य की जा सकती है।

कोरोना संकट से निपटने के बाद वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में संरक्षणवाद की प्रवृत्ति में तीव्रता आने की काफी संभावना है परंतु पूंजीवादी व्यवस्था में गुणवत्ता के साथ कीमत प्रतिस्पर्धा एक महत्वपूर्ण आयाम है। ऐसे में उच्च श्रम लागत वाले विकसित देशों में उद्योगों का स्थानांतरण लागत को बढ़ा देगा, जो उद्योगों के हितों के अनुकूल नहीं होगा। चीन के प्रति नकारात्मकता पूरे विश्व में व्याप्त हो गई है क्योंकि चीन ने अपने आर्थिक हितों को मानवीय जीवन से ऊपर रखा एवं आर्थिक हितों को कोई क्षति न पहुंचे इसलिए कोरोना वायरस से संबंधित सूचनाओं को शेष विश्व से छुपाया जिसके परिणामस्वरूप विश्व के 4 अरब लोग अपने घरों में कैद हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था चौपट होने के कगार पर पहुंच गई है। ऐसी स्थिति में अधिकांश देश चीन का विकल्प ढूँढने के लिए बाध्य होंगे और ऐसे में भारत एक उपयुक्त विकल्प हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों से भारत में कौशल विकास एवं आधारभूत संरचना निर्माण के क्षेत्र में अप्रत्याशित विकास हुआ है। उच्च जनांकिकीय लाभांश, सस्ता श्रम एवं श्रम कानूनों में सुधार आदि के चलते भारत में औद्योगिक विकास के लिए प्रबल संभावनाएं भी उत्पन्न हो रही हैं। अर्थात भारत विश्व का वर्कशाप बनने के लिए तैयार है।

संसद ने तीन प्रमुख श्रम सुधार विधेयक– इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020; ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडिशंस कोड 2020 और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 पारित किए हैं। बदले हालात में नए श्रम कानून कारोबार के अलावा खुद मजदूरों के हक में भी जरूरी हो गए थे। नए कानून के मुताबिक फिक्स्ड टर्म स्टाफ को भी स्थायी श्रमिकों की सारी सुविधाएं मिलेंगी। एक साल के ठेका पर काम करने वाले कर्मचारी को भी ग्रैच्युटी मिलेगी। कोविड–19 की चुनौतियों और भारत के लिए वैश्विक उद्योग–कारोबार के बढ़ते मौकों को ध्यान में

रखते हुए नए श्रम कानून नियोक्ता, कर्मचारी और सरकार तीनों के लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकते हैं। विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा भी श्रम सुधारों के तहत ऐसे कदम उठाए गए हैं जिनमें अधिक उत्पादन और नई स्थापित होने वाली इकाइयों को श्रम कानूनों के अनुपालन में कुछ छूट दी गई है। दुनिया के आर्थिक और श्रम संगठन बार–बार कहते रहे हैं कि श्रम सुधारों से ही भारत में उद्योग–कारोबार का तेजी से विकास हो सकेगा। यदि हम श्रम को शामिल कर विभिन्न मापदंडों पर बनाई गई वैश्विक रैंकिंग को देखें तो पाते हैं कि भारत उनमें अभी पीछे है। विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग में काफी सुधार के बाद भी भारत 63वें स्थान पर है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) के ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 के तहत वैश्विक सामाजिक सुरक्षा की रैंकिंग में भारत 82 देशों की सूची में 76वें क्रम पर है। ग्लोबल इकनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत 105वें स्थान पर है। इसी तरह विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में 140 देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भारत 58वें स्थान पर है। निस्संदेह नए श्रम कानूनों से भारत की श्रम संबंधी वैश्विक रैंकिंग में सुधार होगा और भारत को इसके बहुआयामी फायदे मिलेंगे। सरकार की कोशिश है कि श्रम और पूंजी के हितों में समन्वय बना रहे। उम्मीद है कि देश तेजी से आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के लिए नए श्रम कानूनों के तहत चारों श्रम संहिताओं से उत्पादन वृद्धि, निर्यात वृद्धि, रोजगार वृद्धि और ऊंची विकास दर के लक्ष्यों को प्राप्त करने की डगर पर आगे बढ़ेगा और इससे भारत वैश्विक उद्योग–कारोबार के क्षितिज पर भी अपनी नई पहचान बनाने में कामयाब होगा।

आत्मनिर्भरता का तात्पर्य है अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए, दूसरों की जरूरतों को पूरा कर सकने की क्षमता का होना। यह आत्मनिर्भरता स्वावलंबन से आगे की बात है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करता है जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है यानि सारा संसार एक परिवार है। अपने इस लोकाचार के साथ भारत कोरोना संकट की घड़ी में भी समस्त विश्व के साथ खड़ा है। भारत जब आत्मनिर्भरता की बात करता है तो आत्मकेंद्रित व्यवस्था की वकालत नहीं करता। भारत की आत्मनिर्भरता में संसार के सुख, सहयोग और शांति की चिंता होती है।

सामरिक नीति और आर्थिक नीति का सामंजस्य ही आत्मनिर्भर भारत का संकल्प की पूर्ति कर सकता है। हमें सैनिक दृष्टि से आत्मरक्षा में समर्थ होना चाहिए। आत्मनिर्भरता भी सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण कवच है। राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर हैं। चूंकि चीन तथा पाकिस्तान के साथ जारी गतिरोध लंबा खिंचने की आशंका है इसलिए भारतीय सैन्य बलों की रक्षा जरूरतों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। आतंकवाद और नक्सलवाद से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। सेना और सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण का काम जारी है। सरकार मेक इन इंडिया के तहत आधुनिक अस्त्र–शस्त्र, तोप, टैंक, लड़ाकू जहाज भारत में ही बनाने पर बल दे रही है और अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हुए इन रक्षा उपकरणों के निर्यात को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। 101 रक्षा उपकरणों की एक निगेटिव सूची जारी की गई है जिसके माध्यम से यह नीतिगत निर्णय लिया गया कि ये सारे उपकरण अब आयात नहीं होंगे, बल्कि इनका निर्माण यहां मौजूद कंपनियां ही करेंगी। इस एक निर्णय से एक साल में 52,000 करोड़ रुपए के विनिर्माण के अवसर पैदा हो गए। हमें उस दिशा में और तेजी से बढ़ना होगा, जहां हमें विदेश से एक भी मिसाइल या विमान खरीदने की जरूरत न पड़े। हमारी सामरिक आत्मनिर्भरता हमें आर्थिक व सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मददगार होगी। हम लोकल के लिए वोकल होंगे तो हमें भारत में आसानी से बनने वाली चीजें तो मिलेंगी ही, साथ ही इस प्रोत्साहन से वे चीजें भी भारत में बनने लगेंगी, जो आज नहीं बन पाती है।

भारत पिछले कई दशकों से सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना कर रहा था। भारत को ये चुनौतियां पूर्वोत्तर के साथ–साथ पश्चिमी व उत्तर–पश्चिमी सीमा की तरफ से मिल रही थी। प्रधानमंत्री ने लुक ईस्ट नीति के जरिए पूर्वोत्तर के इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास की रूपरेखा सुनिश्चित की। इसी प्रकार अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को समाप्त किया। आज पूर्वोत्तर राज्यों के साथ–साथ कश्मीर में भी शांति है, सौहार्द है और लोग विकास के साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में प्रधानमंत्री ने मित्रों के साथ मित्रता को खूब निभाया और शत्रुओं को भी उचित जवाब दिया। उन्होंने विदेश नीति में संवाद, संवेदना, सहकार, सक्रियता और साझेदारी को प्रमुखता दी।

भारत जब समृद्ध था, सोने की चिड़िया कहलाता था। किंतु जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया तो हम विकास के लिए तरसते रहे। आज भारत विकास की ओर सफलतापूर्वक कदम बढ़ा रहा है और विश्व कल्याण की राह पर भी अटल है। भारत की प्रगति में हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रही है। खुले में शौच से मुक्ति हो, टीबी हो, कुपोषण हो, पोलियो हो, भारत के अभियानों का असर दुनिया पर पड़ता ही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ भारत की सौगात है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल, मानव जीवन को तनाव एवं बीमारियों से मुक्ति दिलाने के लिए भारत का उपहार है। हमारी आयुर्वेदिक दवाएं भी विश्व का आकर्षण बन सकती

हैं। ऐसे उत्पाद बनाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ा जा सकता है। ऐसे भारतीय उत्पादों के लिए ही प्रधानमंत्री जी ने 'वोकल फॉर लोकल' के साथ 'आत्मनिर्भर भारत' का नारा दिया है। बदलते वैश्विक समीकरण में भारत के लिए आत्मनिर्भर होना सबसे अच्छा विकल्प है। आज हमारे पास साधन हैं, सामर्थ्य है, दुनिया का बेहतरीन टैलेंट है जिसके बूते हम श्रेष्ठ उत्पाद बनाएंगे, अपनी गुणवत्ता को बेहतर करेंगे तथा सप्लाई चेन को अत्याधुनिक बनाएंगे। आर्थिक स्वावलंबन से आत्मनिर्भर भारत की प्रतिध्वनि निकलती है। हमारा लक्ष्य है भारत को आत्मनिर्भर बनाना। भारत की संकल्पशक्ति ऐसी है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। हम ठान लें तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं, कोई राह मुश्किल नहीं है और आज तो चाह भी है और राह भी है। इस प्रकार का शुभ संकल्प देश के गौरव और क्षमता की वृद्धि के लिए सर्वथा स्वागतयोग्य है।

आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अभूतपूर्व सुधारों की प्रतिबद्धता के साथ अब देश का आगे बढ़ना अनिवार्य है। पिछले छह वर्षों में जो सुधार हुए, उनके कारण आज कोरोना संकट के इस समय में भी भारत की व्यवस्था अधिक सक्षम, अधिक समर्थ नजर आ रही है। आज विकास की योजनाएं, नीतियां, सिद्धांत, लाभांश और संकल्प सही परिणामों के साथ सही लोगों तक पहुंच रहे हैं। पिछले 6 वर्षों में कल्याणकारी योजनाओं से सामाजिक–आर्थिक न्याय, प्रतिष्ठा और लोककल्याण की वृद्धि हुई है। इन योजनाओं द्वारा देश के अंदर गांव–गांव तक प्रधानमंत्री आवास योजना में तीन करोड़ लोगों को आवास मिले। चार करोड़ लोगों को सौभाग्य योजना के तहत विद्युत कनेक्शन मिले। आठ करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन मिले। वर्ष 2015 से अबतक 23 करोड़ से अधिक लोगों को मुद्रा योजना के तहत जोड़ा गया। जनधन योजना के तहत 36 करोड़ से अधिक लोगों को भारत की वित्तीय सेवाओं से जुड़ने का अवसर मिला। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य लाभ मिलने की उम्मीद है। हर घर को नल, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य योजना, वन नेशन–वन राशन कार्ड, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने गांव और गरीब के कल्याण तथा विकास को सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं द्वारा दशकों से उपेक्षित रहे किसान को नई स्फूर्ति मिली। स्किल इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ–साथ युवाओं को एंटरप्रिन्योरशिप से जोड़कर युवा भारत को आत्मनिर्भर बनाया गया। भारत की अर्थव्यवस्था आज क्रयशक्ति के आधार पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

भारत ने अंतरिक्ष में स्वदेशी उपग्रह स्थापित कर सैटेलाइट की दौड़ में अपना अग्रणी स्थान बनाया है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत दिन–प्रतिदिन आत्मनिर्भर होता जा रहा है। संचार के क्षेत्र में देश ने महत्वपूर्ण एवं क्रांतिकारी प्रगति की है। गांव–गांव तक इंटरनेट व स्मार्टफोन पहुंच चुके हैं। केन्द्र सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से लोग अधिकांश सुविधा व जानकारी घर बैठे ले सकते हैं। भारत ने आईटी के क्षेत्र में भी कई उपलब्धियां हासिल करके पूरे विश्व को चकित कर दिया है। हमारे देश के प्रतिभाशाली युवा विदेशों में जाकर उन देशों को अपनी सेवाएं देते थे। लेकिन अब सरकार उन प्रतिभाशाली युवाओं के पलायन को रोकने के लिए और उनकी प्रतिभा का उपयोग अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने में लगाने के लिए कई सारी योजनाओं पर काम कर रही है। केन्द्र सरकार द्वारा स्टार्टअप स्टैंडअप योजना चलाई जा रही है जिसका मुख्य उद्देश्य है नए–नए इनोवेटिव आइडिया के जरिए नए–नए व्यवसायों को स्थापित करने हेतु युवाओं को प्रोत्साहित करना। इसके लिए युवाओं को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है ताकि युवा देश में ही रहकर अपने उद्योग धंधों को स्थापित कर सकें, भारत में रोजगार के अवसर पैदा हो सके, अधिक से अधिक वस्तुओं का निर्माण भारत में ही हो ताकि दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म हो और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बने।

भारत की गिनती अब दुनिया के औद्योगीकृत देशों की श्रेणी में की जाती है। सड़कों, बंदरगाहों के अलावा विश्वस्तरीय विनिर्माण में भी भारत आत्मनिर्भरता हासिल कर देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। कुछ क्षेत्रों में तो भारत लगभग आत्मनिर्भर होने के अंतिम चरण में है। भारत के आत्मनिर्भर होने में सबसे बड़ी भूमिका भारत के संविधान और भारत की लोकतंत्रात्मक प्रणाली ने निभाया है जिसमें भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार दिए हैं यानि जाति, धर्म, वर्ग, सम्प्रदाय किसी भी आदमी की उन्नति में बाधक नहीं है। भारत ने एक ओर जहां आत्मनिर्भर बनने के लिए अभूतपूर्व विकास का मार्ग अपनाया है वहीं दूसरी ओर अपने पूर्वजों के द्वारा दिए गए आदर्श मूल्यों, संस्कारों, समृद्ध परंपराओं को भी साथ लेकर चला है। भारत को अगर महाशक्ति एवं विकसित देश के रूप में उभरना है तो उसे हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना ही होगा। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2015 में 'मेक इन इंडिया' नीति की घोषणा की थी जिसका महत्वाकांक्षी लक्ष्य वर्ष 2022 तक राष्ट्रीय आय में उद्योगों का योगदान वर्तमान 17% से बढ़ाकर 25% करना तथा 10 करोड़ नए रोजगार पैदा

करना है। इससे भारत उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सकेगा और करोड़ों रोजगार पैदा होंगे।

नई शिक्षा नीति 2020 में देशी भाषाओं के विकास पर जोर दिया गया है। स्वदेशी भाषाओं में शिक्षा और कामकाज को बढ़ावा मिलने से सभी भारतीय भाषाओं के बीच आवाजाही बढ़ेगी। हमारी सभी प्रमुख भाषाएं अपने–अपने क्षेत्र में शिक्षा का माध्यम बनेंगी तो यह बाजार बहुत बड़ा हो जाएगा। आज के समय में किसी भी बात का महत्व विचार से ज्यादा बाजार से तय होता है। अभी कंप्यूटर प्रायः सारे काम अंग्रेजी माध्यम में ही करता है। इसके अठारह भारतीय भाषाओं में होने पर बाजार के विस्तार की संभावना भी चार गुना से अधिक ही होगी। भाषागत आदर्शों को यथार्थवादी नजरिए से देख–परख कर, एक व्यावहारिक दृष्टि विकसित कर विचार और बाजार के बीच संतुलन स्थापित करने का काम जारी है। इन प्रयासों से हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर मजबूत कदम बढ़ा सकते हैं क्योंकि सम्मान, स्वाभिमान और बराबरी का भाव इसी से जुड़ा है।

कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण, मैन्युफैक्चरिंग और निजी निवेश खर्च में बढ़ोत्तरी, जीएसटी, नए इन्सॉल्वेंसी कानूनों, मौद्रिक नियमों, आधार और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) जैसे संरचनात्मक सुधारों से मध्यम एवं लंबी अवधि में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। उन कारणों का भी निवारण होना चाहिए जिनके चलते बाजार में अपेक्षित मांग नहीं बढ़ रही है। किसी उद्योगपति से बिना मांग के उत्पादन की उम्मीद नहीं की जा सकती है और बिना उत्पादन के पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं बढ़ सकते। सरकार की कोशिश है कि इसके लिए लोगों की आय में वृद्धि कर बाजार में मांग बढ़ाई जाए।

भारत को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनने में भूख, गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, साम्प्रदायिक वैमनस्य, दंगा, लचर कानून–व्यवस्था, लैंगिक विभेद, बदहाल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं आदि बाधक हैं। इन बाधाओं को दूर करना होगा। इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है बशर्ते कि 'डेमोग्राफिक डिविडेंट' बताई जा रही विशाल युवा आबादी को समुचित अवसर मिले। अंतरिक्ष से लेकर समुद्र के गर्भ तक भारतीय मेधा की धमक है और आधी से ज्यादा आबादी अपनी नौजवानी की ऊर्जा से विकास का कोई भी लक्ष्य भेद सकती है। इसलिए इस मानव पूंजी को व्यावहारिक शिक्षा, कौशल, ज्ञान एवं नजरिए से लैस करना होगा जिससे देश उच्च विकास के पथ पर लगातार चलने के योग्य बन सकेगा।

भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मजदूरों, किसानों की समस्याओं को दूर करने के साथ–साथ संस्थागत सुधारों पर भी विशेष ध्यान देना होगा। हमें गांवों के विकास के लिए नई आर्थिक नीतियां बनानी होंगी। लघु एवं कुटीर उद्योगों जैसे ग्रामोद्योग, हथकरघा उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास पर भी विशेष ध्यान देना होगा ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हो, स्थानीय उत्पादों की पहचान मिल सके और लोकल सप्लाई चेन मजबूत बने। यदि ग्रामीणों एवं छोटे शहरों के युवाओं को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार गांव में ही प्रशिक्षण सुविधाएं मिल जाएं एवं स्थानीय लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों में रोजगार की राह खुल जाए तो केवल बेरोजगारी की समस्या का हल ही नहीं निकलेगा बल्कि पलायन की समस्या भी सुलझेगी। औद्योगीकरण की नीति में बदलाव करते हुए उद्योगों के विकेंद्रीकरण पर विशेष बल दिया जाना चाहिए जिससे विकास की धारा को गांवों, कस्बों एवं छोटे शहरों तक लाया जा सके।

विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए हमें विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित करना होगा। भारत में सस्ते श्रमिकों की बड़ी संख्या एवं एक बड़ा उपभोक्ता बाजार पहले से ही है। इससे चीन से हटकर दूसरे देशों की राह तलाश रही कई देशों की कंपनियां भारत का रूख कर सकती हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए न सिर्फ टैक्स प्रणाली आसान बनानी होगी, बल्कि ऋण और वित्त की कमी से निपटने के लिए मजबूत वित्तीय प्रणाली भी विकसित करनी होगी।

आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को केवल आर्थिक सुधारों से ही नहीं बल्कि श्रम सुधार, सिविल सेवा सुधार, कौशल सुधार, शिक्षा सुधार आदि जैसे समग्र सुधारों से भी संभव बनाया जा सकता है। इसके लिए केन्द्र सरकार प्रतिबद्ध है। केन्द्र के साथ–साथ राज्य सरकारों को भी इस महान यज्ञ में योगदान देना होगा। भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना हर भारतीय के दिल में पल रहा है। इसीलिए ऐसे क्षेत्रों की तलाश की जा रही है जहां पर इस सपने को साकार होने की भरपूर संभावनाएं हैं। देशवासियों की सहभागिता के साथ न केवल आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न साकार होगा, बल्कि इसके लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे के विकास को भी बल मिलेगा तथा बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि की सुविधाएं प्रत्येक व्यक्ति को मिल सकेंगी। आज जरूरत है कि हम क्षुद्र स्वार्थ, आलस्य, अलगाव, नकारात्मकता, प्रतिक्रियावादिता और भाग्यवादिता जैसे मनोभावों से बचें और आशावादी दृष्टि के साथ नवाचार, भरोसे वाले, ऊर्जस्वित और भविष्योन्मुख दृष्टिकोण को अपनाएं जिससे सशक्तिकरण और उत्पादकता–गुणवत्ता में वृद्धि हो। तभी जीवन संतुष्टि बढ़ेगी और देश की उन्नति होगी। ऐसा जीवंत भारत ही आत्मनिर्भर हो सकेगा।

राजभाषा सम्मान

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर–24, नौएडा को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), नौएडा द्वारा दिनाँक 29.01.2020 को राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, सैक्टर–62 नौएडा में आयोजित नराकास (कार्यालय), नौएडा की 39वीं बैठक में निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया:

i) वर्ष 2018–19 के दौरान राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन संबंधी कार्यकलापों में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए *प्रोत्साहन पुरस्कार*, तथा

ii) पिछले कई वर्षों से राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की दिशा में निरंतर और सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए *राजभाषा रत्न*।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), नौएडा के तत्वावधान में दिनाँक 26.12.2010 को वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर–24, नौएडा में आयोजित हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता (हिंदीतर भाषा–भाषी श्रेणी) में संस्थान की श्रीमती सुधा गणेश, आशुलिपिक ग्रेड–I ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक; श्री बीरेंद्र सिंह रावत, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक; श्री विनय कुमार शर्मा, सहायक प्रशासन अधिकारी तथा डॉ. सजय उपाध्याय, वरिष्ठ फेलो, वीवीजीएनएलआई पुरस्कार ग्रहण करते हुए

हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता का परिणाम

राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), नौएडा के तत्त्वावधान में गुरुवार, 26 दिसम्बर 2019 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), नौएडा के सदस्य कार्यालयों के लिए हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में नराकास (कार्यालय), नौएडा के 18 सदस्य कार्यालयों से 37 प्रतियोगियों ने भाग लिया तथा विजयी प्रतियोगियों के नाम इस प्रकार हैं:

क्रम सं.	प्रतियोगी का नाम	कार्यालय	पुरस्कार
1.	श्री अनूप कुमार मिश्रा	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन	प्रथम
2.	सुश्री पुष्पा रानी	सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉली पार्क्स ऑफ इंडिया	द्वितीय
3.	श्रीमती हेमलता	नवोदय विद्यालय समिति	तृतीय
4.	श्रीमती सुधा गणेश	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान	प्रथम (हिंदीतर)
5.	श्रीमती ई. राधिका	दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय	द्वितीय (हिंदीतर)
6.	श्रीमती तृष्णा ब्रह्मा	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण	तृतीय (हिंदीतर)
7.	श्री योगक्षेम शर्मा	हाइड्रो कार्बन महानिदेशालय	प्रोत्साहन
8.	श्री मुकेश मोबारसा	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल	प्रोत्साहन

सभी सफल प्रतियोगियों को 29.01.2020 को राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, सैक्टर–62 नौएडा में आयोजित नराकास (कार्यालय), नौएडा की 39वीं बैठक में नराकास (कार्यालय) के अध्यक्ष महोदय द्वारा पुरस्कृत किया गया।

महात्मा गाँधी का 150वां जयंती समारोहः संस्थान के कार्यकलाप

राष्ट्रपिता स्व. (श्री) महात्मा गाँधी के 150वें जयंती समारोह के अवसर पर वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने वर्ष 2019–20 में अनेक कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय किया। इन कार्यक्रमों के समुचित समन्वय के लिए डॉ. हेलन आर. सेकर, वरिष्ठ फेलो की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। सबसे पहले 18 जुलाई 2019 को '150 वर्ष–150 वृक्ष' नारे के तहत व्यापक वृक्षरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें संस्थान के संकाय सदस्यों, अधिकारियों तथा प्रोजेक्ट स्टाफ सहित समस्त कर्मचारियों ने भाग लेते हुए इसे सफल बनाया। हिंदी पखवाड़ा–2019 (14–30 सितंबर 2019) के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोंगिताओं में अधिकांश प्रश्न गाँधी जी और गाँधीवादी दर्शन पर पूछे गए। 29 सितंबर 2019 को संस्थान के स्टाफ के बच्चों के लिए गाँधी जी के जीवन–मूल्यों पर एक चित्रकारी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। 02 अक्टूबर 2019 को *'महात्मा गाँधी और ग्रामीण औद्योगिकीकरण'* पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत श्री नरेंद्र कुमार मिश्र, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम मॉडल अस्पताल के द्वारा गाँधी जी के आदर्शों पर काव्य–पाठ (दो कविताएं) के साथ हुई। इस कार्यशाला की अध्यक्षता डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक ने की तथा अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने महात्मा गाँधी के 150वें जयंती समारोह के अवसर पर संस्थान द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यकलापों के बारे में बताया। गाँधी जी के जीवन से विभिन्न उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने आज के संदर्भ में भी गाँधीवादी दर्शन की प्रासंगिकता को प्रतिबिंबित किया और काम के भविष्य के परिदृश्य में एक मानव–केन्द्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इसके पश्चात डॉ. रम्य रंजन पटेल, एसोसिएट फेलो, वीवीजीएनएलआई ने एक प्रस्तुतीकरण में औद्योगिकीकरण, विशेषकर ग्राम स्वराज अथवा ग्रामीण औद्योगिकीकरण, ग्रामीणों के शोषण, खादी के महत्व और अहिंसा के दर्शन पर फोकस किया। एक अन्य प्रस्तुतीकरण में प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, पूर्व संकाय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा 'ब्रेड लेबर' पर गाँधी जी के विचारों पर गहन चर्चा शुरु की गई। इस कार्यशाला में देश के विभिन्न भागों से सरकारी विभागों, सिविल सोसायटी संगठनों, ट्रेड यूनियनों, स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित लगभग 80 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का समन्वय डॉ. हेलन आर. सेकर, वरिष्ठ फेलो, वीवीजीएनएलआई ने किया।

इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संस्थान में 13 मार्च 2020 को *'गाँधी और महिला सशक्तिकरण'* पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक ने की तथा अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि आज एक ऐसी कार्यशाला, जिसमें गाँधी जी के आदर्शों, महिला सशक्तिकरण और राजभाषा को शामिल किया गया है, का उद्घाटन करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने गाँधी जी के आदर्शों पर चलते हुए लैंगिक समानता के महत्व पर बल दिया तथा कहा कि अगर हम उनके मूल सिद्धांतों में से कुछेक जैसे कि सत्य, अहिंसा, समानता और

स्वच्छता को भी पूरी ईमानदारी से अपना सकें तो यह उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस कार्यशाला में संस्थान के सभी संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। महात्मा गाँधी के 150वें जयंती समारोह के विभिन्न कार्यक्रमों की समन्वयक डॉ. हेलन आर. सेकर, वरिष्ठ फेलो ने इस समारोह के तहत आयोजित किए गए सभी कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही, उन्होंने गाँधी जी के जीवन दर्शन के बारे में एक बहुत ही सुंदर पॉवर पॉइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया। कार्यशाला के सह–समन्वयक श्री बीरेंद्र सिंह रावत, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक द्वारा सभी अतिथि वक्ताओं का स्वागत किया गया और उनकी उपलब्धियां बताते हुए कार्यशाला के अध्यक्ष एवं अन्य प्रतिभागियों से उनका परिचय कराया गया। अतिथि वक्ताओं में क्रमानुसार प्रो. सुमन जैन, प्रोफेसर (हिंदी), काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी ने *अहिंसक समाज में स्त्री का योगदान;* डॉ. सतीश कालेश्वरी, पूर्व उप महाप्रबंधक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने *गाँधी जी और ग्रामीण विकास;* श्रीमती सुषमा जुगरान ध्यानी, वरिष्ठ पत्रकार एवं पूर्व मुख्य उप संपादक, राष्ट्रीय सहारा ने *नारी–सशक्तिकरण का आधारः परिवार, समाज और सरकार;* और डॉ. शिव पूजन प्रसाद पाठक, असिस्टेंट प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय ने *गाँधी के स्त्री–विषयक विचार* पर बहुत ही अच्छे ढंग से अपने विचार रखे तथा डॉ. सविता जेमिनी, असिस्टेंट प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा गाँधी जी को समर्पित एक शानदार कविता *'बापू'* के माध्यम से उनके आदर्शों का वर्णन किया गया। अंत में, कार्यशाला समन्वयक डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो ने संस्थान के महानिदेशक, सभी अतिथि वक्ताओं व प्रतिभागियों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए सभी से अपना व परिवार का ध्यान रखते हुए गाँधी जी के आदर्शों पर चलने का आग्रह किया।

प्रिय बापू सादर नमन.....

नरेंद्र कुमार मिश्र*

बापू तुम कितने अच्छे हो, सकल जगत की हो तुम शान!
तुमने जीना हमें सिखाया, सत्य प्रेम का पाठ पढ़ाया,
पुलक उठे पीड़ित मन, औ जन जन का हो जब कल्याण,
बापू तुम कितने अच्छे हो, बापू तुम कितने सच्चे हो!
सकल जगत की शान।

भगत पटेल और जवाहर, सुभाष चंद्र हो या सावरकर
विचारों के प्रबल द्वंद में, करुण प्रेमरस को बरसा कर,
शत्रु हृदय भी जीता तुमने, दिनकर करते तब यश गान,
बापू तुम कितने अच्छे हो, बापू तुम कितने सच्चे हो!
सकल जगत की शान।

जाति–पाति का द्वंद हटाकर, छुआछूत का भेद मिटाकर,
तुमने दुर्जन को जब साधा, सज्जन भी करते सम्मान,
बाप तुम कितने अच्छे हो, बापू तुम कितने सच्चे हो!
सकल जगत की शान।

गाँधीवाद का मंत्र बनाकर, विश्व बंधु सा पाठ पढ़ा कर,
मंडेला के कंटक पथ को, करते तुम बिल्कुल आसान,
बापू तुम कितने अच्छे हो, बापू तुम कितने सच्चे हो!
सकल जगत की शान।

पथ से जब यूं हम भटके हैं, डर लगता है तुम रूठे हो,
बारंबार मैं तुम्हें मनाऊं, कर्मध्वजा मैं यूं फहराऊँ,
स्वच्छ बनू ,औ स्वच्छ बनाऊं, गाँधी दर्शन मैं फैलाऊँ ,
गर्वित हूं मेरा तन मन जब, बढे देश का तब अभिमान,
गाँधी तुम कितने अच्छे हो, गाँधी तुम कितने सच्चे हो!
सकल जगत की शान।

* *वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, कर्मचारी राज्य जीवन बीमा मॉडल अस्पताल, नौएडा*

अहिंसक समाज में स्त्री का योगदानः महात्मा गाँधी

प्रोफेसर सुमन जैन*

दक्षिण अफ्रीका से लेकर संपूर्ण भारतवर्ष गाँधी जी का कार्यक्षेत्र रहा है। उनके सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कार्यक्षेत्र में स्त्रियों की भागीदारी रही है। गाँधी जी के कार्यक्षेत्र का अवलोकन करते हुए उनके कार्यक्षेत्र में स्त्री की क्या अवधारणा रही है उसे समझा जा सकता है। गाँधी जी के दृष्टिकोण को समझने के लिए कोई सिद्धांत नहीं है, उनका कार्यक्षेत्र ही उनका सिद्धांत है। उन्होंने जीवन के समस्त कार्यों का निष्पादन कर्म करके ही किया है। गाँधी जी ने 'हरिजन' पत्रिका में लिखाः ''मैं स्त्रियों को, उनके मानस को अच्छी तरह से जानता हूँ। दक्षिण अफ्रीका में एक समय मेरे आस–पास स्त्रियाँ ही रह गई थीं क्योंकि पुरुष सब के सब जेल चले गए थे। हमारे उस परिवार में कोई साठ व्यक्ति थे, मैंने उन सब लड़कियों एवं स्त्रियों के पिता और भाई का स्थान ने लिया था।''

गाँधी जी का मानना है कि अहिंसा की नींव पर रची गई जीवन योजना में जितना और जैसा अधिकार पुरुष को अपने भविष्य रचना के लिए प्राप्त है, वैसा ही अधिकार स्त्री को भी अपना भविष्य तय करने को है। ''अहिंसक समाज में व्यवस्था में जो अधिकार मिलते हैं, वे किसी न किसी कर्तव्य या धर्मपालन से प्राप्त होते हैं। इसलिए यह भी मानना चाहिए कि सामाजिक आचार' व्यवहार के नियम स्त्री–पुरुष दोनों आपस में मिलकर और राजी–खुशी से तय करें। इन नियमों का पालन करने के लिए बाहर की किसी सत्ता या हुकूमत की जबरदस्ती काम न देगी। स्त्रियों के साथ अपने व्यवहार और बर्ताव में पुरुषों ने इस सत्य को पूरी तरह पहचाना नहीं। स्त्री को अपना मित्र या साथी मानने के बदले पुरुष ने अपने को उसका स्वामी माना है.....पुराने जमाने का गुलाम नहीं जानता था कि उसे आजाद होना है या कि वह आजाद हो सकता है। जब उस गुलाम को आजादी मिली तो उस समय उसे मालूम हुआ मानो उसका सहारा ही जाता रहा। औरतों को यह सिखाया जाता गया है कि वे अपने को पुरुषों की दासी समझे। इसलिए हमारा यह फर्ज है कि स्त्रियों को उनकी मौलिक स्थिति का बोध कराएं और उन्हें इस तरह की तालीम दें जिससे वे जीवन में पुरुषों के साथ बराबरी के दरजे से हाथ बंटाने लायक बनें।''

'सत्य के प्रयोग में गाँधी जी ने स्वीकार किया है कि बचपन में ही हमारा विवाह कस्तूर के साथ हुआ। हमारा व्यवहार अपनी पत्नी के साथ अच्छा नहीं था। पत्नी कस्तूर को लेकर गाँधी जी के मन में हमेशा शंका रहती थी। वे कस्तूर के साथ हमेशा स्वामित्व का व्यवहार करते थे। लेंकिन धीरे–धीरे बढ़ते हुए जीवन चरण में वे अपनी पत्नी को समझ पाए। 'बा' और 'बापू का जीवन' का अध्ययन करने पर चता चलता है कि 'बा' और 'बापू' अपने जीवन में एक–दूसरे के पूरक हैं। 'बा' का व्यक्तित्व बापू की तरह था। 'बा' के विषय में बापू ने लिखा है–''जिन कारणों से 'बा' ने जनता में इतना बड़ा आकर्षण पैदा किया था उसकी जड़ को मैं ढूंढ सकूं तो ढूंढू। 'बा' का जबरदस्त गुण महज अपनी इच्छा से मुझमें समा जाने का था। वह कुछ मेरे आग्रह से नहीं हुआ था। समय पाकर यह गुण 'बा' के अंदर स्वयं विकसित हो गया। मैं नहीं जानता था कि 'बा' में यह गुण छिपा हुआ है। मेरे शुरु के अनुभव के अनुसार 'बा' बहुत हठीली थी। मेरे दबाव डालने पर भी वह अपना चाहा ही करती। लेकिन जैसे–जैसे उनका सार्वजनिक जीवन उज्ज्वल बनता गया वैसे–वैसे 'बा' खिलती गई और पुख्ता विचार के साथ मुझमें यानि मेरे काम में समाती गई। शायद हिंदुस्तान का यह गुण अधिक से अधिक प्रिय है।''

गाँधी जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि स्त्री और पुरुष अधिकार पर किसी प्रकार का समझौता ठीक नहीं है। स्त्री पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए जो पुरुषों पर नहीं लगाया गया हो। उनके साथ समानता का व्यवहार आवश्यक है लेकिन समानता से तात्पर्य यह नहीं है कि वह समान धंधे भी करे। स्त्री के शस्त्र करने या शिकार करने पर कोई कानूनी बाधा तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो कार्य पुरुष करते हैं उनसे वे स्वभावतः अलग रहें। प्रकृति ने स्त्री–पुरुष को एक–दूसरे का पूरक बनाया है। जिस तरह उनमें जैविक विविधता है उसी तरह उनके कार्य भी मर्यादित हैं। उनकी जोड़ी अनोखी है, दोनों एक–दूसरे के सहारा हैं। यदि स्त्री और पुरुष दोनों अपनी जगह से विचलित हों तो दोनों का नाश हो जाता है। इसलिए स्त्री शिक्षा की योजना बनाते समय दोनों के काम की वरीयता का ध्यान रखना होगा। इस तरह स्त्री–पुरुष दोनों को अपने–अपने क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। ''मैं स्त्रियों की समुचित शिक्षा का हिमायती हूँ, लेकिन मैं यह भी मानता हूँ कि दुनिया की प्रगति में स्त्री अपना योग पुरुष की नकल करके प्रतिस्पर्धा करके नहीं दे सकती। वह चाहे तो प्रतिस्पर्धा कर सकती है लेकिन पुरुष की नकल करके वह उस ऊंचाई तक नहीं उठ सकती जिस ऊंचाई तक उठना उसके लिए संभव है। उसे पुरुष की पूरक बनना चाहिए।''

* *प्रोफेसर–हिंदी, महिला महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी*

गाँधी जी और ग्रामीण विकास

डॉ. सतीश कालेश्वरी*

विश्व की कुछ विशाल सस्कृतियां जैसे रोम, बेबिलोन, ग्रीस आदि की संस्कृति ऊंचे उठकर कुछ काल उपरांत समाप्त हो गईं, परंतु भारतीय संस्कृति आज भी अडिग खड़ी है। सदियों से भारत की सभ्यता व संस्कृति उदाहरणीय व उच्च कोटि की रही है। प्राचीन भारत में भौतिकता व आध्यात्म का अद्भुत समन्वय प्रत्येक गांव में देखने को मिलता था। परंतु विडम्बना यह है कि आधुनिकता की वर्तमान अंधी दौड़ में अपने गांवों को वह महत्व नही दिया जो दिया जाना चाहिए था।

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की अधिकांश जनसंख्या आज भी गांवों में रहती है और इस बात को गाँधी जी बार–बार स्मरण करवाते रहे कि गांवों के बिना भारत का कोई अस्तित्व नही है, हमारे गांव ही भारत है।

''मैं ऐसे भारत के लिए कार्य करूंगा जहां अत्यंत ग़रीब व्यक्ति यह अनुभव करे कि यह उसका अपना देश है जिसके निर्माण में उसकी भी प्रभावी भूमिका हो। ऐसा भारत जहां न कोई बड़ा होगा न कोई छोटा, ऐसा भारत जहां सभी समुदाय पूर्ण मैत्री भाव से रह सकें।"

महात्मा गाँधी

ग्रामीण विकास का अभिप्राय एक ओर जहां लोगों का बेहतर आर्थिक विकास करना है वहीं दूसरी और वृहत सामाजिक कायाकल्प करना भी है। हमारे देश के ग्रामीण परिवेश में लघु व सीमान्त कृषकों, खेती पर निर्भर मज़दूरों तथा अन्य श्रमिकों, शिल्पकारों व विभिन्न सेवाएं देने वाले परिवार बहुतायात में है। इनमें से अधिकांश परिवार ग़रीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर जैसे–तैसे अपना पेट पालने वाले हैं। बढ़ती हुई ग्रामीण जनसंख्या को काम दिलवाने, निर्धनता दूर करने, आर्थिक विषमता कम करने, व बढ़ते नगरीकरण की समस्या के समाधान हैं, गांवों में रोज़गार के अवसर बढ़ाना व ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निम्न आय वर्ग के लोगों को स्वावलम्बी बनाना, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना और उनके विकास के क्रम को आत्मपोषित करके उन्हें यथोचित सम्मान दिलाना।

भारत में ग्राम्य विकास की प्रक्रिया पुराने समय से चली आ रही है। यह अपने अन्दर एक इतिहास समेटे एवं संजोये हुये है। पुराने समय में कुछ राजाओं ने गांवों के विकास के लिए निःस्वार्थ प्रयास किये तथा कुछ अन्य राजाओं ने सिर्फ अपने–अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए इस ओर कुछ प्रयास किये। आज़ादी के पहले ग्राम्य विकास की ओर शासकों का ध्यान अधिकतर अपनी स्वार्थ प्रवृति को पूरा करने के लिए ही किया गया था।

जैसा कि ज्ञात है कि भारत पर विभिन्न कालखंडों मे बाहरी आक्रमण हुए हैं। मुग़लों के शासन के दौरान हमारे गांवों में जमींदारी के कुछ अप्रिय अनुभव तो हुए परंतु उस काल मे गांवों का आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन सुरक्षित व अक्षुण्ण था। जबकि इसके उलट ब्रिटिश साम्राज्य में गांवों के सभी संगठनों पर गहरी चोट पड़ी। लगान नक़द में प्राप्त करना, मालगुज़ारी प्रथा, कृषकों को कोई संरक्षण न देना, सूती वस्त्र उद्यागों को नष्ट करना, लघु और कुटीर उद्योगों का पतन, पंचायतों के अस्तित्व की सम्पूर्ण समाप्ति आदि ने ग्राम संगठन की नींव हिला दी। धीरे–धीरे भारत कच्चे माल का निर्यात कर विदेश से औद्योगिक माल का आयात करने लगा और इस तरह गांवों में निर्धनता और बेरोज़गारी पसरने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि जो शहर पहले गांवों पर निर्भर हुआ करते थे वो ही अब शहरों पर निर्भर हो गए और यह घटना बहुत बड़ी विडम्बना के तौर पर सम्मुख आई।

अंग्रेज़ी हुकुमत के दौरान सरकारी स्तर पर भारत में कोई भी ग्रामीण विकास कार्य नहीं किया गया। भूमि सम्बन्धी नियमों में उन्होंने अपनी आय के स्रोत बनाने हेतु अपने ढंग से बदलाव करने शुरू कर दिए। इस दौरान ज़मींदारों का एक ऐसा वर्ग खड़ा कर दिया गया जो किसानों के आर्थिक हालात एवं प्राकृतिक आपदाओं की चिन्ता ना करके उनसे ज़बरदस्ती भू–राजस्व वसूली का कार्य करता था। इन ज़्यादतियों के ख़िलाफ आम जन कुछ नही कर सकता था लेकिन इस दौरान सैकड़ों देशभक्तों ने

* *पूर्व उप महाप्रबंधक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, नई दिल्ली*

अपने आन्दोलनों व लेखन के माध्यम से किसानों की दशा सुधारने के लिए देशवासियों में जागरुकता बढ़ाने के कार्य प्रारम्भ किए।

भारत के चहुंमुखी विकास के लिए नियोजित विकास की कल्पना आज़ादी से पहले ही कर ली गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1938 में जवाहर लाल नेहरु की अध्यक्षता में एक नेशनल प्लानिंग कमेटी गठित की थी। आधुनिक भारत के निर्माता पण्डित जवाहर लाल नेहरु जब देश के पहले प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने नियोजित विकास को सही दिशा देने के लिए पचंवर्षीय योजनाओं का प्रारुप तैयार किया और उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया।

गाँधी जी का जीवन सच्चे अर्थों में ग्रामीण विकास के लिए ही बना था। भौतिकवादी सभ्यता के कारण जब गांव टूटने लगे तब उन्होंने देखा कि यह तो मनुष्य के लिए एक बड़ा सकंट है, इससे मानव सस्कृति का पतन होगा। हिन्द स्वराज में उन्होंने बताया है कि, "बड़े शहर खड़ा करना बेकार का झंझट है, उसमे लोग सुखी नहीं होंगे, ग़रीब अमीरों से लूटे जायेंगे। गाँधी जी आर्थिक विकास के उपादान के रुप में निरन्तर मनुष्य के श्रम के महत्त्व पर जोर देते रहे। गाँधी जी के आर्थिक विचारों का आधार विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था का सिद्धान्त है। उनका विश्वास था कि केन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था की बुनियाद हिंसा पर रखी गई है अतः विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था को वो लोकतंत्र का जीवन रक्त समझते थे। गाँधी जी का मानना था कि आर्थिक समृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि इसकी बागडोर गांवों के अधीन होनी चाहिए। यदि गांव समृद्ध लोगों से परिपूर्ण होंगे तो देश स्वयं ही समृद्ध हो जाएगा। वह पंचायती राज्य की परिकल्पना के दृढ़ समर्थक रहे। भारत से अफ्रीका गये मज़दूरों की समस्या हल करने के प्रयासों के दौरान ही गाँधी जी के सामने श्रमिकों का शोषण करने वाली अर्थ–व्यवस्था के सभी पहलू उजागर हुए। उनका यह भी मानना था कि एक पढे–लिखे व ग़ैर पढे–लिखे के काम का मूल्य एक सा होता है। क्योंकि दोनों अपने–अपने काम के ज़रिए अपनी आजीविका चलाते हैं। अपने काम के ज़रिए कमाई करने का पूरा अधिकार उन दोनों को है। अतएव किसान, कारीगर आदि श्रमिकों का श्रम समर्पित जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है।

गाँधी जी के इन विचारों और नारों ने देश में ग्रामीण उद्योग की उन्नति, अस्पृश्यता उन्मूलन, खादी ग्रामोद्योग, मद्यनिषेध, महिला उत्थान, बुनियादी एवं प्रौढ़ शिक्षा तथा राष्ट्रीयता व राष्ट्रीय भाषा के विकास को साकार रूप देने की दिशा में कई स्तरों से ग्रामीण विकास का विस्तृत कार्यक्रम और स्पष्ट रूपरेखा तैयार की गई। गाँधी जी के 1920 के असहयोग तथा स्वदेशी आन्दोलनों व खादी के प्रयोग ने ग्रामीण आत्मनिर्भरता एवं ग्राम्य विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किये।

ग्रामीण विकास के लिए, गाँधी जी के ग्रामोत्थान आंदोलन में, अनेक स्वैच्छिक संगठनों, समाज सुधारकों व वैयक्तिक प्रयासों ने गावों के पुनर्निमाण के कार्यक्रमों को अमली जामा पहनाने के लिए प्रोत्साहित किया और कहीं–कहीं ग्रामीण विकास के कुछ विशिष्ट कार्यक्रम भी शुरु किये गये। स्वतंत्रता से पूर्व व्यक्तिगत प्रयासों के तौर पर कुछ विशिष्ट आकार और प्रकार की परियोजनाएं प्रारम्भ की गईं जिन्हें व्यवहार के धरातल पर उतारकर परखा गया। भले ही सीमित रूप और सीमित मात्रा में उनका प्रभाव रहा हो लेकिन इन्हें अति उल्लेखनीय और विशिष्ट प्रयोगों के रूप में प्रसिद्धि हासिल हुई। महात्मा गाँधी का मानना था कि भारत गांवों का देश है और गांवों की आत्मनिर्भरता पर ही देश की आत्मनिर्भरता संभव है अतः हमें गांवों के उत्थान हेतु तेज़ी से प्रयास करने चाहिए। गाँधी जी के ग्रामीण विकास संबंधी विचारों की आज उतनी ही सार्थकता है जितनी कि आज़ादी की लड़ाई के समय थी।

गाँधी जी ने कहा था–"दिल्ली भारत नहीं है, भारत तो गांवों में बसता है।" अतः यदि हमें भारत को उन्नत करना है तो गांवों की दशा सुधारनी होगी। उन्होंने नारा दिया कि "गांवों को वापिस चलो।" इसी बात को ध्यान में रखकर ही महात्मा गाँधी के नेतृत्व में लड़ी गई आज़ादी की लड़ाई को गांव–गांव तक पहुंचाया गया और उन सबके मिले–जुले सकंल्प से ही देश को आज़ादी मिली। महात्मा गाँधी प्रत्येक गांव को स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाकर समानता पर आधारित ऐसे राष्ट्र के निर्माण के पक्षधर थे, जिसमें अमीरी–ग़रीबी, जाति, वर्ण व धर्म से सम्बन्धित भेदभाव या विषमताओं का कोई स्थान न हो।

आज आर्थिक उदारीकरण और संरचनात्मक बदलाव के दौर में बड़े नगर विकास की धुरी बनकर उभरे हैं। नवोन्मुखी रोजगार व सुविधाएं इन्हीं शहरों तक सिमट कर रह गई हैं। दूसरे, नये क्षेत्रों में बदलाव की गति शहरों में अधिक होने के कारण गांवों और शहरों के बीच की खाई बढ़ी है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण विकास हेतु नये दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

भारत गांवों का देश है। यहां की अधिकांश आबादी गांवों में निवास करती है जो न केवल निर्धन है अपितु निरक्षर भी है। भारतीय अर्थव्यवस्था ग्राम–प्रधान अर्थव्यवस्था है। ग्रामीण जनों का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि एवं श्रम है। इन सबका परिणाम है कि गांवों के लोग निर्धनता से ऊपर नहीं उठ पाते। आज गांवों में कई व्यक्ति ग़रीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, इन परिस्थितियों में किसी भी कल्याणकारी राज्य का यह कर्त्तव्य होता है कि वह समाज के इस कमज़ोर वर्ग के जीवनयापन की व्यवस्था करे। आज हमारी सरकारें भी इसी बात को दृष्टिगत रखते हए समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए कई योजनाएं तैयार कर रही हैं।

अधिकतर ग़रीब लोग मुख्यतः अकुशल श्रम से प्राप्त आय पर निर्भर रहते हैं। श्रमिकों की अपर्याप्त मांग के कारण अथवा सामान्य प्रकृति के अदृश्य संकटों जैसे प्राकृतिक आपदा अथवा वैश्विक महामारियों से उनके रोज़गार के अवसरों को गंभीर नुकसान होता है, जिसके फलस्वरूप ग़रीब ग्रामीण प्रायः जीविका की अंतिम दहलीज पर खड़े रह जाते हैं और उनकी अस्थायी ग़रीबी से चिरकालिक ग़रीबी में प्रवेश की संभावनाएं काफी प्रबल हो जाती हैं। अतः सरकारों को गांवों के विकास के प्रति ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह सत्य है कि बिना निचले तबके को सबल बनाये भारत जैसे कृषि प्रधान देश का सर्वांगीण विकास कभी नहीं हो सकता है।

हक़ीकत यह है कि देश की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण समुदाय द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिए जाने के बावजूद भी गांव विकास की दौड़ में पीछे छूटे हुए हैं, विकास की मुख्यधारा में समाहित होने से वंचित रह गए हैं। स्वतंत्रता के सात दशकों की अवधि बीत जाने के बावजूद भी देश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विभिन्न दृष्टिकोणों से व्यापक अंतराल मौजूद है। एक तरफ देश में चमचमाते, अनेक सुविधाओं से लैस, भव्य इमारतों से सुसज्जित शहर हैं जो स्मार्ट सिटी की अवधारणा को मूर्त्त रूप प्रदान कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मूलभूत सुविधाओं से वंचित, विकास की रोशनी से दूर तथा विभिन्न अभावों से जूझ रहे गांव हैं जहां देश की आत्मा निवास करती है।

वर्तमान में संरचनात्मक एवं प्रौद्योगिक परिवर्तनों के कारण जहां नगर विकास की धुरी बनकर उभरे हैं, वहीं दूसरी तरफ गांव विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं जिसकी वजह से ग्राम व शहर के मध्य खाई निरन्तर चौड़ी होती जा रही है। गांवों व शहरों के मध्य सामाजिक–आर्थिक विषमता की दरारें विस्तृत रूप धारण कर रही हैं। इन दरारों को कम करने हेतु जरूरी है कि ग्रामीण विकास के तहत विविध योजनाओं व कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

गाँधी जी ने ग्रामीण भारत के विकास की जो परिकल्पना की थी उसी के फलस्वरूप स्वतंत्रता के बाद विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से जब ग्रामीण विकास की प्रक्रिया सक्रिय रूप से प्रारम्भ करने की कोशिशें तो की गईं तो ग्रामीण जीवन में अनेक स्तरों पर कुछ हद तक परिवर्तन देखने को मिले और यही गाँधी जी का सपना था जिसकी वज़ह से दूरस्थ गांवों में पेयजल, बिजली, सिंचाई, यातायात, संचार, बैंकिंग आदि सेवाओं का विकास होने से देश के आर्थिक विकास में ग्रामीण लोगों की भागीदारी बढने के संकेत दिखाई देने लगे हैं। गाँधी जी के सपने को मूर्त रूप देने के लिए ही भारत सरकार ने महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की व्यवस्था की जो विश्व की सबसे बड़ी रोज़गार गारंटी योजना बनके उभरी। इस योजना को 7 सितंबर 2005 को विधान द्वारा नियमित किया गया है। इस योजना से जहां एक ओर ग्रामीणों को रोज़गार मिलता है वहीं इस अर्जित राशि का व्यय करके इन्हें देश की आर्थिकी को आगे बढ़ाने का अवसर भी प्राप्त होता है। आज मनरेगा के अतिरिक्त ग्रामीण विकास की अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्र सरकार के स्तर से देश में निम्नलिखित योजनाएं चल रही हैं जिसके द्वारा किसी ना किसी रूप में गांवों के निवासी लाभान्वित हो रहे हैंः दीनदयाल अपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, रोशनीः आदिवासियों के लिए कौशल योजना, स्वच्छ भारत मिशन, सांसद आदर्श ग्राम योजना, विरासत विकास और संवर्धन योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वरोज़गार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण, अंत्योदय अन्न योजना, ग्राम अनाज बैंक योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आम आदमी बीमा योजना, कुटीर ज्योति कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, और जन धन योजना आदि।

गाँधी जी ने ग्रामीण विकास के लिए जिन ठोस मानकों का लक्ष्य निर्धारण किया था, परिकल्पना की थी उन्हें पूर्ण रूप से भले ही हासिल ना किया जा सका हो लेकिन समय–समय पर देश के नीतिकारों ने गाँधी जी के विचारों को साकार रूप देने की पूरी कोशिश की है।

नारी–सशक्तिकरण का आधारः परिवार, समाज और सरकार

सुषमा जुगरान ध्यानी*

महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पहला नमन इसके लिए किया जाना चाहिए कि उन्होंने देश में आजादी की अलख जगाने के साथ महिलाओं की स्थिति पर भी गहन चिंतन किया। उनका मानना था कि समाज की मुख्यधारा में लाये बगैर महिलाओं की प्रगति संभव नहीं और उनकी प्रगति के बिना राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। पत्रकार और लेखक होने के नाते गाँधी जी 'यंग इंडिया' और 'हरिजन' जैसे पत्रों में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की भर्त्सना करते रहते थे। 'यंग इंडिया' में उन्होंने लिखा– '...यदि मैं स्त्री रूप में पैदा हुआ होता तो पुरुषों द्वारा थोपे गये किसी भी अन्याय का जमकर विरोध करता तथा उसके खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद करता।'

गाँधी जी की इसी सोच का परिणाम था कि बड़ी संख्या में महिलाएं आजादी की लड़ाई में कूद पड़ीं। उन्हें विश्वास था कि गाँधी जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही लड़ाई के परिणामस्वरूप अंग्रेजों को देश छोड़ना ही होगा और आजाद भारत गाँधी के विचारों को आत्मसात करते हुए महिला सशक्तिकरण की दिशा में लंबे डग भरता रहेगा। आंदोलनकारी स्त्रियों का विश्वास बहुत हद तक सच साबित हुआ क्योंकि आजादी के इन 74 सालों में देश की आधी आबादी ने सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। हालांकि अभी लंबी दूरी तय करनी है।

परिवार, समाज व सरकारों के प्रयास से आज घर से लेकर सार्वजनिक जीवन तक हर क्षेत्र में अपनी महत्ता और उपस्थिति दर्ज कराने की नारी की कोशिश फलीभूत दिखती है। लड़ाकू विमान उड़ाने और ट्रक–ट्रेन चलाने तक का हौसला रखने वाली नारी के लिए आज किसी कार्यक्षेत्र में प्रवेश वर्जित नहीं लेकिन ऐसे तमाम क्षेत्रों में उसकी उपस्थिति अपवादस्वरूप ही दर्ज होती है। इस रूप में उसका असली सशक्त होना तब माना जाएगा जब उसको कोई अचरज से पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। जैसे छोटे शहर कस्बों में कार चलाती महिला आज कौतुहल का विषय नहीं जबकि 25–30 साल पहले महानगरों तक में कार ड्राइव करती महिला घर–परिवार से लेकर मोहल्ले तक चर्चा में रहती थी। परिवार, समाज और सरकार का दायित्व है कि वह बेटियों को छोटे–बड़े क्षेत्र में हर काम करने के लिए प्रोत्साहित करे।

बेशक अलग–अलग महिलाओं की नजर में प्रगति और सशक्त होने के अपने–अपने नजरिये हैं और किन्हीं अर्थों में ये विवाद का कारण भी बनते रहे हैं। जैसे सुरक्षा के मद्देनजर सलाह भर दे दीजिए कि महिलाओं को देर रात बेवजह बाहर नहीं निकलना चाहिए या समय से घर आ जाना चाहिए तो पक्ष–विपक्ष में विमर्श शुरू हो जाता है। महिला हितैषी एक्टिविस्ट का एक वर्ग इसे उनकी निजता का हनन मानता है जबकि दूसरा वर्ग बढ़ते यौन अपराधों के मद्देनजर सलाह देता है कि स्वविवेक से देर रात घर से बाहर रहने की परिस्थितियां भरसक टाली जा सकें तो बुराई नहीं है। प्रगतिशील महिलाओं का एक वर्ग एक हद तक दूसरे वर्ग को ही सही मानता है क्योंकि प्रकृति ने पुरुष को शारीरिक रूप से नारी से ज्यादा बलशाली, कामुक और हिंसक बनाया है। ऐसे में कोई महिला दरिंदों की हवस का शिकार बन जाए तो बाद में लकीर पीटने के सिवा कुछ नहीं बचता।

यहां परिवार, समाज और सरकार सबकी जिम्मेदारी है। परिवार घर की बेटी को ही नसीहत न दे। बेटों को भी अनुशासन और नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए घर–बाहर लड़कियों का सम्मान करना सिखाये। समाज के प्रेरक माहौल में लड़कियां किसी भी समय कहीं भी आने–जाने में न हिचकें और सरकार सुरक्षा संबंधी कड़े कानून बना सख्ती से अमल कराये ताकि कोई दरिंदा यौन आक्रमण करने से पहले सौ बार सोचे। लेकिन दुर्भाग्य से घर–परिवार, समाज और सरकार – किसी भी मोर्चे पर अभी महिला सुरक्षा के मामले में अपेक्षित अनुकूल माहौल नहीं दिखता है। फिर भी पहले जैसी स्थितियां अब कतई नहीं हैं। जोखिम के बावजूद आज दिल्ली–मुंबई जैसे महानगरों में महिलाएं देर रात बेहिचक घर से बाहर निकलती हैं। गांव–देहात में पढ़ी लड़कियां महानगरों में अकेले दम करियर संवार रही हैं और शहरों–महानगरों की लड़कियां विदेश आ–जा रही हैं। फिर भी सचेत रहना होगा, क्योंकि दुर्घटना के बाद कानून अपराधी को बेशक कठोर सजा दे दे लेकिन हो चुके नुकसान की भरपाई नामुमकिन है।

कुछ ऐसा ही वाद–विवाद परिधान के मामले में भी चलता रहा है कि महिलाएं क्या पहनें, क्या नहीं! इस मुद्दे पर भी घर–परिवार से लेकर समाज तक लड़ाई

* *'राष्ट्रीय सहारा' में मुख्य उप संपादक रही हैं और संप्रति 'अलकनंदा' मासिक पत्रिका की सलाहकार संपादक हैं।*

जारी है। महिला सुरक्षा के लिहाज से पुलिस में महिलाओं की जरूरत महसूस हुई तो शुरू में महिला पुलिस के लिए साड़ी या सलवार सूट वाली यूनीफार्म थीं लेकिन सत्तर के दशक में देश की पहली महिला आईपीएस किरन बेदी जब पुरुष अधिकारियों के बीच उनके जैसी वर्दी में कुर्सी पर विराजीं तो स्त्री सशक्तिकरण की नायाब मिसाल बन गईं। आज हर स्तर की महिला पुलिसकर्मियों के लिए पुरुषों जैसी वर्दी मान्य है। लेकिन कथित नारी मुक्ति के नाम पर परिधानों में ऊल–जलूल प्रयोगों पर बहस तो होगी ही और महिलाओं का ही एक वर्ग उनके विरुद्ध बोलता दिखेगा। जो हो, सामंती सोच वाली खाप पंचायतें बेशक महिलाओं के परिधानों के विरुद्ध फतवे जारी करती रहें, लेकिन प्रगतिशील समाज के साथ ही सरकारें उनके पक्ष में खुलकर खड़ी रहती हैं।

अधिसंख्य समाजों में किसी समय विवाह के बाद महिलाओं के लिए साड़ी ही स्वीकृत परिधान था। किशोरवय में कदम रखते ही उन्हें साड़ी तक सीमित कर दिया जाता था, लेकिन आज नगरों–महानगरों में 60–70 साल की ज्यादातर महिलाएं शौक से ही साड़ी पहनती हैं। उनका सबसे सुविधाजनक पहनावा सलवार सूट है और युवा महिलाओं का टॉप जींस। लेकिन इसके बरक्स यह भी कम विचारणीय नहीं कि पुरुषों से बराबरी की झोंक में महिलाएं क्यों उनके जैसे कपड़े पहनें और क्यों पश्चिम के आंदोलनों को अपने भारतीय परिवेश पर थोपें। महिला पुरुष से मानसिक और वैचारिक बराबरी करे, वेशभूषा की नहीं। क्योंकि यदि परिधान ही मानक है तो समझ लें कि जब तक पुरुष महिलाओं जैसे कपड़े न पहनें, तब तक तो स्त्री बराबरी पर आ ही नहीं पाएगी, पर क्या ये संभव है! क्योंकि फैशन के प्रयोगवादी दौर में कोई पुरुष ऐसा करता भी है तो खुद ही विवाद में आ जाता है।

शैक्षिक क्षेत्र में भी महिलाएं बराबरी का हक पा रही है। हालांकि पुरुष और महिला साक्षरता के बीच अभी बड़ा फासला है जो उच्च व व्यावसायिक शिक्षा के स्तर तक पहुंचते–पहुंचते बढ़ता जाता है लेकिन इसे पाटने की कोशिशें जारी हैं। आज मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग बेशक बेटियों को बहुत आगे न पढ़ा पाता हो लेकिन प्राइमरी और हाईस्कूल–इंटर तक पढ़ा ही लेता है। इनमें कई बालिकाएं आत्मविश्वास के बल पर चमकदार करियर बना रही हैं जिसमें समाज और सरकार मददगार होती है। इससे नीचे का वंचित तबका बच्चियों को बेशक स्कूल न भेज पाए लेकिन इसके लिए तरसता है यानी जागरूक है। जबकि पहले अच्छे खाते–पीते घरों में भी लड़कियों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता था। जिसके भीतर करियर बनाने की ललक होती थी वही लड़–झगड़कर आगे पढ़ पाती थी अन्यथा इंटर, बीए करते न करते मां–बाप उसका विवाह कर गंगा नहा लेते थे। लेकिन अब ज्यादातर माता–पिता बेटी को आत्मनिर्भर बनाने के बाद ही उसके विवाह के बारे में सोचते हैं। समाज में इस सोच को बराबर समर्थन मिल रहा है। सरकारों के स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा और रोजगार के लिए अनेक योजनाएं लागू हैं। सबसे बड़ी बात कि आज बालक–बालिकाओं के लिए समान शिक्षा नीति लागू है अन्यथा पहले पाठ्यक्रम में ही लैंगिक भेदभाव था। बतौर उदाहरण– तीन चार दशक पहले तक उत्तर प्रदेश में हाईस्कूल तक का पाठ्यक्रम लैंगिक आधार पर तैयार होता था। पांचवी तक लड़कों को रचनात्मक शिक्षा के तहत रूई कातना और बुक बाइंडिंग आदि सिखाया जाता था तो बालिकाओं को सिलाई–कढ़ाई। छठवीं से आठवीं तक लड़के कृषि–बागवानी सीखते थे तो लड़कियां गृहशिल्प की शिक्षा पाती थीं। बालिका विद्यालयों में दसवीं में कला वर्ग की छात्राएं होम साइंस पढ़ती थीं जबकि लड़कों को 10वीं तक गणित पढ़नी होती थी। यानी माइंड सेट था कि लड़कियों को घर–गृहस्थी संभालनी है इसलिए स्कूल में भी उन्हें इसी के लिए दीक्षित किया जाए लेकिन आज लड़के–लड़कियां गृह विज्ञान और गणित दोनों विषय मन मुताबिक पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। शैक्षिक नीति में लैंगिक भेद अब इतिहास है।

समाज में बाल–विवाह, वैधव्य, सती कुप्रथा से लेकर तलाक और हलाला जैसे संताप महिलाओं के ही हिस्से आये हैं। हालांकि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक पत्नी के रहते दूसरा विवाह, बाल विवाह और सती जैसी कुप्रथा बहुत पहले ही कानूनी तौर पर अपराध मान ली गई हैं और हाल में तुरंत तीन तलाक भी अपराध मान लिया गया है जिसके चलते हलाला जैसी कुप्रथा पर स्वतः अंकुश लग जाएगा लेकिन धार्मिक–सामाजिक कुरीतियों के मामले में सदियों से बने माइंडसेट से पार पाना कानून के लिए भी संभव नहीं होता। जैसे शनि शिंगणापुर में रजस्वला स्त्रियों के प्रवेश का मामला हो या मस्जिदों में महिलाओं का प्रवेश– कानून के बावजूद आस्थावान महिलाएं यदि यहां प्रवेश ही नहीं करती हैं तो तृप्ति देसाई जैसी कुछेक एक्टिविस्ट महिलाओं की जबरिया मुहिम स्वतः निरर्थक सिद्ध हो जाती है। तृप्ति की यह मुहिम एक क्षण के लिए तब सही मानी जा सकती है जब वह स्वयं विधि–विधान से मंदिर आकर पूजा–अर्चना करें। लेकिन क्या वे कर पाएंगी! और न कर पायें तो उन्हें स्त्रियों के हक में ऐसे आंदोलन चलाने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। सच यह है कि इस तरह की कई धार्मिक वर्जनाएं समय के साथ स्वतः समाप्त हो रही हैं। पहले तकरीबन हर समाज में रजस्वला स्त्री को पांच दिन घर में

अलग–थलग रखने का नियम था लेकिन सदियों से चली आ रही यह प्रथा अपवादों को छोड़ पिछले 50–60 सालों में खुद ब खुद खत्म हो गई है। नई पीढ़ी की अधिसंख्य बालिकाओं को इसका कुछ पता नहीं है लेकिन यह स्थिति तृप्ति देसाई जैसी किसी एक्टिविस्ट के आंदोलन का नहीं बल्कि शिक्षा के प्रसार और घर–परिवारों की प्रगतिशील सोच का परिणाम है। शिक्षित और जागरूक होते समाज में इस तरह की अधिसंख्य धार्मिक वर्जनाएं या तो टूट चुकी हैं या टूट के कगार पर हैं। आज बेटों के होते हुए बेटियां माता–पिता की अर्थी को कंधा देने से आगे मुखाग्नि दे रही हैं। शास्त्रों की कई वर्जनाएं और सामाजिक रूढ़ियां बहुत पीछे छोड़ आई हैं महिलाएं।

निष्कर्षतः महिला के सशक्त हुए बिना समाज सशक्त नहीं हो सकता और समाज की पहली इकाई परिवार के सहयोग बिना महिला सशक्त नहीं हो सकती। जैसे परिवार आदर्श नागरिकता की प्रथम पाठशाला है, वैसे ही परिवार स्त्री सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी है। जब तक माता–पिता नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी आत्मनिर्भर होकर सशक्त नागरिक बने, तब तक समाज या राज्य द्वारा शुरू की गई हर कोशिश अधूरी होगी। समाज का वातावरण ऐसा हो कि भरोसा रहे कि कोई भी मां, बहन या बेटी सार्वजनिक जगह पर सुरक्षित है। बेफिक्री रहे कि कानून उसे सुरक्षित रखेगा। इन तीनों स्थितियों में आवश्यक संतुलन रहे तो यकीनन हमारी महिला शक्ति दुनिया के सब देशों में सबसे सशक्त होने का दमखम रखती है।

सच यही है कि महिला को सशक्त या अशक्त उसका परिवेश बनाता है। इतिहास देखिए, जिस परिवार ने बेटियों को बेटों के समानांतर पाला पोसा, वहां आदिकाल में भी स्त्रियां समाज की सशक्त धारा बनीं और उस समाज के लिए मार्गदर्शक की भूमिका में आगे आईं जिनका पारिवारिक और सामाजिक परिवेश लड़कियों को बोझ समझता आया है। 'मनुस्मृति' की आलोचना वर्ण व्यवस्था जैसे नियमों के साथ ही स्त्री विरोधी ग्रंथ के रूप में भी होती है। मनु ने कहा कि स्त्री को आजीवन पुरुष के संरक्षण में रहना चाहिए लेकिन उसी वैदिक काल में अपाला, घोषा, गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषी स्त्रियां वेदपाठी होने के साथ शास्त्रार्थ में भी निपुण बताई गई हैं। यानी वातावरण निर्मित होता रहे तो महिला को सशक्त होने से कोई नहीं रोक सकता।

बेशक आज महिला सशक्तिकरण की नई इबारत लिखी जा रही है लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद दो स्थितियों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है – एक है वंश वृद्धि के लिए अदद पुत्र की चाह – जिसके चलते बेटियों को गर्भ में मारने का सिलसिला चोरी–छिपे जारी है, दूसरा बढ़ती यौन हिंसा। इनसे पार पाये बिना सशक्तिकरण की हर कोशिश अधूरी है और विडम्बना यह कि अभी परिवार, समाज और सरकार तीनों को इसके लिए मीलों चलना है। गाँधीजी की 150वीं जयंती पर संकल्प लेना होगा कि कन्या भ्रूण हत्या और यौन हिंसा के विरूद्ध तीनों अपनी जिम्मेदारी का फिर–फिर मूल्यांकन करें।

श्रद्धांजलि बापू को.....

नरेंद्र कुमार मिश्र*

बापू नमन है तुझको, तेरे सत–चित उस शाश्वत विचार को,
सोचता हूं तो पुलकित हुआ मन, पाकर इस प्रेम के संसार को!

संकुचित, दग्ध, स्वार्थ के इस व्यापार में.....
मन चंचल, कलुषित मन, उलझे हैं हम तकरार में!

तुमने कहा..... आगे बढ़ो ,अहिंसा पर चलो––
मत डिगो तुम सच से, इस झूठ के अंबार में,
तन मन बने स्वच्छ जब, औ शुद्ध तब व्यवहार हो
अहिंसा जीवन बने तब, मानव धन श्रृंगार हो!

आज भी लगते, यूं ही बस आस–पास हो–––
मानवता जगे, बुद्धि खुले तब.....मन में फिर विश्वास हो!
चलूं कदम दर कदम, सच्चे तेरे पथ पर,
संकल्प लूँ जब स्वच्छता का, शुचिता का.....
बढ़ चलूं तब.....जीवन के स्वर्णिम रथ पर.....
बापू तेरे पथ पर.....बापू तेरे पथ पर.....

वंदन है....तेरे विश्व परिवार को, वसुधैव कुटुंबकम ऐसे संसार को!
बापू नमन है तुझको, तेरे सत–चित शाश्वत विचार को।

* *वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, कर्मचारी राज्य जीवन बीमा मॉडल अस्पताल, नौएडा*

गाँधी के स्त्री–विषयक विचार

डॉ. शिव पूजन प्रसाद पाठक*

महात्मा गाँधी समग्र दृष्टि के विचारक हैं। इसलिए गाँधी के स्त्री–विषयक विचारों को उनके संपूर्ण चिंतन के संदर्भ में ही समझना होगा। स्त्री के विषय में सभी सभ्यताओं और सभी युगों में विद्वानों ने अपने विचार विभिन्न परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से अधिकांश विचार पुरुषों के हैं। किसी विचारक या विद्वान को समझने के लिए दो बातें आवश्यक हैं: पहली, विचारक या दार्शनिक के समय का परिवेश क्या है। परिवेश ही विचारों का परिमार्जन और परिष्करण करता हैं। और दूसरी, वह व्यक्ति मनुष्य के स्वभाव के विषय में क्या सोचता है अर्थात उसकी सोच में मानव का स्वभाव कैसा है? क्या वह मानता है कि मनुष्य स्वभावतः अच्छा है या बुरा। ये दो बातें किसी भी विचारक के चिंतन के निर्माण का आधार होती हैं। गाँधी के परिवेश में राष्ट्र की परतंत्रता सबसे बड़ा तत्व है ।

गाँधी की दृष्टि में मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य उसका नैतिक विकास है। उनके लिए मनुष्य की नैतिक शक्ति सर्वोपरि है। गाँधी के लिए मानव स्वभावतः अच्छा है। उसकी आत्मा में अनंत शक्ति सुशुप्त अवस्था में है। इसी मानवीय स्वभाव की नींव पर गाँधी के चिंतन का प्रासाद खड़ा हुआ है। उनके अनुसार जीवन में शुचिता, अनुशासनबद्धता और नैतिकता सत्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने व्यक्ति की गरिमा तथा उसके अंतःकरण की सम्माननीयता को विशेष महत्व दिया। सत्य पर अधिक बल इसलिए दिया गया क्योंकि मनुष्य के अन्दर सत्यानुभूति की संभावना विद्यमान है।

सर्वोदय, स्वराज, सत्याग्रह और स्वदेशी व साध्य, साधन, साधक और साधना

गाँधी के जीवन–दर्शन का मूल उद्देश्य सर्वोदय है। सर्वोदय ऐसे समाज के निर्माण की संकल्पना है जिसमें सभी व्यक्तियों का उदय सुनिश्चित हो। यह सरल कार्य नहीं है। इसके लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ हैं जिनके अभाव में यह सर्वोदय की प्राप्ति संभव नहीं है। सर्वोदय के लिए स्वराज आवश्यक शर्त है। स्वराज की प्राप्ति व्यक्ति और राष्ट्र के स्तर पर होनी चाहिए। इसकी स्थापना स्वदेशी पर होनी चाहिए। गाँधी राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्वदेशी के बात करते हैं। सर्वोदय को प्राप्त करने का साधन सत्याग्रह है। सत्याग्रह ही वह माध्यम है जिससे स्वदेशी पर आधारित स्वराज्य की स्थापना करके सर्वोदय की प्राप्ति की जा सकती है। गांधी सत्याग्रह पर बल इसलिए अधिक देते है क्योंकि गाँधी के लिए साध्य के साथ साधन की पवित्रता आवश्यक है। साधन की पवित्रता और साधना की तीव्रता साधक के चरित्र पर निर्भर करती है। इस प्रकार गाँधी के लिए सत्याग्रह चरित्र–निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है ।

चिंतन पद्धति

गाँधी की सोच–पद्धति की मूल विशेषता यह है कि वे विषय–वस्तु और संरचना (frame of reference and referent object) दोनों को पुनः परिभाषित कर देते हैं। दूसरे शब्दों में, गाँधी वंचना को ही शक्ति बना देते हैं। उदाहरण के लिए सामान्य जीवन में यदि भोजन और वस्त्र का अभाव है, तो समाज उस व्यक्ति को वंचित मानता है और हेय दृष्टि से देखता है। लेकिन गाँधी ने भूख और निर्वस्त्रता दोनों को शक्ति बना लिया। यही कार्य स्त्री के संदर्भ में भी किया। स्त्री की अवधारणा को पुनः परिभाषित किया। स्त्री की उन प्रवृतियों को बल प्रदान किया जिनके कारण स्त्री को शक्तिहीन माना जाता है ।

स्त्री को लेकर समाज में नकारात्मक अवधारणा बनी रही है कि स्त्रियाँ भावुक होती हैं, शीघ्र ही रोने लगती हैं, शारीरिक दृष्टि से बलहीन होती हैं। गाँधी ने स्त्री स्वभाव के इन गुणों को सकारात्मक माना है। उनका कहना है कि स्त्री का सबसे बड़ा गुण उसका आत्म–त्याग की भावना ही है। निःस्वार्थ भाव से पूरे परिवार की सेवा करना उसके त्याग और बलिदान का प्रतीक है। अपनी माँ के विषय में लिखते हैं कि आत्म त्यागी, सेवा–भाव से युक्त, सामाजिक दृष्टि से उदार, धार्मिक और स्वतंत्र विचार की थीं। गाँधी मानते थे कि स्त्री का धैर्य, मन की कोमलता और सेवा का भाव उसे सबसे अच्छा सत्याग्रही बना सकता है। स्त्री की सहनशीलता ही मानव समाज की आवश्यकता है।

गाँधी श्रम विभाजन के समर्थक हैं। उनके अनुसार लैंगिक समानता के अर्थ किसी प्रकार से पुरुष और स्त्री के बीच प्रतियोगिता नहीं है, जिससे परिवार और समाज में सतत संघर्ष का निर्माण हो। स्त्री को अपने प्राथमिक रूप से घरेलू कार्य करना चाहिए और पुरुष को घर चलाने के लिए जीविकोपार्जन की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि स्त्री

* *असिस्टेंट प्रोफेसर, आर्यभट्ट महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय*

को बाहरी कार्य नहीं करने चाहिए या फिर उसे स्वतंत्र विचार के अवसर न दिए जाएं। इसका कारण यह कि परिवार व्यवस्था समुचित रूप में चलती रहे। परिवार समाज की मूल इकाई है। सुव्यवस्थित और हिंसाविहीन समाज के निर्माण में परिवार की सकारात्मक भूमिका है। व्यक्ति परिवार में ही सामाजिक और नैतिक मूल्य जैसे दया, सत्य, आत्म–बलिदान को सीखता है। वे पुनः कहते हैं कि परिवार व्यवस्था में पत्नी कोई गुड़िया या मनोरंजन की वस्तु नहीं है बल्कि उसके साथ सम्मान और मित्र भाव से व्यवहार होना चाहिए।

इसी कारण गाँधी के विषय में स्त्रियाँ भी सकारात्मक सोचती हैं। स्त्री को समानता और सम्मान के भाव से देखने के कारण स्त्रियों के मन में उनके प्रति सम्मान का भाव था। इसका सबसे बड़ा कारण है कि स्त्री के मनोविज्ञान में सबसे अधिक महत्व सुरक्षा की अवधारणा होती है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अमृत कौर के शब्दों में हमने उनमें बापू पाया। माता और पिता का प्यार और स्नेह दिखा। सुश्री मैडलीन स्लाड़े, जो ब्रिटिश एडमिरल सर एडमंड स्लाड़े की बेटी थीं, ने कहा था कि गाँधी दूसरे 'ईसा मसीह' हैं।

भारत में हमेशा एक आध्यात्मिक जनतंत्र (spiritual democracy) रहा है। वह मानते हैं कि हम सब एक ईश्वर की संतान होने के कारण सभी लोग समान हैं। गाँधी यह बात स्त्री के लिए विशेष रूप से कहते हैं। वह कहते हैं कि हम सब में एक ही ईश्वर की आत्मा का वास है, हम कैसे दोनों में भेद कर सकते हैं। सर्वोदय में गाँधी राजनीतिक और सामाजिक समानता से अधिक भौतिक समानता की भी बात करते हैं। इसलिये वे संपत्ति पर बेटों के समान बेटियों के अधिकार की बात करते हैं। यहाँ तक कि समान कार्य के लिए समान वेतन की भी बात करते हैं।

स्त्री विमर्श में घरेलू हिंसा सबसे ऊपर है। स्त्रियाँ सबसे अधिक घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। गाँधी के अनुसार अहिंसा केवल समाज या राष्ट्र के लिए नहीं अपितु व्यक्ति के लिए भी उतनी ही आवश्यक है। अहिंसा नकारात्मक दृष्टि से किसी का अमंगल न सोचना है और सकारात्मक रूप से सक्रिय प्रेम और करुणा है। यदि व्यक्ति के अंदर ये मानवीय गुण विकसित रहेंगे तो घरेलू हिंसा अपने आप समाप्त हो जाएगी।

वर्तमान संदर्भ में गाँधी

गाँधी के समय में स्त्री से संबंधित प्रमुख विषयों में पर्दा प्रथा, बालविवाह, बलात विधवापन, दहेज प्रथा, विवाह और तलाक, देवदासी और वेश्यावृति थे। पर्दा–प्रथा, बालविवाह, बलात विधवापन जैसी सामाजिक कुरीतियाँ आज समाप्त हो गई हैं लेकिन दहेज प्रथा समाज के लिए अभिशाप बना हुआ है। स्त्रियों के प्रति हिंसा का प्रमुख कारण दहेज है। इसके लिए गाँधी हमेशा कहा करते थे कि विवाह अधिक खर्चीला न हो। समय के साथ, स्त्री विमर्श के समक्ष चुनौतियाँ बदल गयी हैं। आज समाज में स्त्री को लेकर भ्रूणहत्या, बलात्कार, समलैंगिक विवाह और वृद्ध–विवाह जैसी नयी चुनौतियाँ प्रस्तुत हो रही हैं।

गाँधी दर्शन का सार यही है कि व्यक्ति अपना नैतिक विकास करके किसी के अधीन न हो क्योंकि किसी भी प्रकार की अधीनता या परनिर्भरता कष्टदायक होती है। गाँधी का सर्वाधिक योगदान सामाजिक व राजनीतिक जीवन में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाना है। असहयोग आंदोलन के समय में स्त्रियों ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। बहुत सारी स्त्रियों ने कई स्थानों पर आंदोलन का स्वतंत्र नेतृत्व किया। स्वतंत्र भारत की राजनीति में कितनी स्त्रियाँ हैं जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है और वे राजनीति में सफल हैं। उत्तर न में ही मिलेगा। इसका प्रमुख कारण राजनीति में गाँधी जैसे चरित्र का न होना है। गाँधी के लिए सामाजिक व राजनीतिक जीवन में स्त्रियों का केवल प्रवेश आवश्यक नहीं है, बल्कि सहभागिता का सदुपयोग आवश्यक है। उनका स्वतंत्र नेतृत्व आवश्यक है। उदाहरण के लिए शाहीनबाग में स्त्रियों की सहभागिता है। वे आगे आकर नेतृत्व भी कर रही हैं परंतु उनका दुरुपयोग किया गया है। शाहीनबाग की स्त्रियाँ दुश्चक्र की ढाल बन रही थीं। गाँधी के लिए व्यक्ति हमेशा साध्य है, यदि वह किसी का साधन बनता है तो यह मानवीय मूल्यों का ह्रास होता है। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि गाँधी सनातनी हैं। उनके सुधार का केंद्र हिंदू धर्म में स्त्रियों के लेकर व्याप्त कुरीतियाँ है। वह मूलतः इस्लाम में फैली कुरुतियों पर ध्यान नहीं दे पाये। इस्लाम में बहू–पत्नी विवाह, खतना, तीनतलाक और हलाला जैसे अमानवीय कुरीतियों विषय पर गाँधी व्यापक सुधार नहीं कर पाये।

सांस्कृतिक नारीवाद

गाँधी कर्मयोगी हैं। वे घर बैठकर विचार नहीं दे रहे। उनके विचार सामाजिक जीवन से उभरी चुनौतियाँ और उनके समाधान हैं। आधुनिक स्त्री विमर्श के अनुसार गाँधी सांस्कृतिक नारीवादी हैं। सांस्कृतिक नारीवाद मानता है कि स्त्री और पुरुष में मौलिक भेद है, लेकिन वे असमान नहीं हैं। स्त्रियों की विभेदता विशेष है और उन्हें इस पर गर्व होना चाहिए। स्त्रियाँ अगर दयालु और उदार हैं तो यह स्त्री का विशेष गुण है। समाज की सुव्यवस्था के लिए दया, करुणा और त्याग की आवश्यकता होती है। सार यह है कि स्त्री का स्वभाव प्रकृति के सबसे निकट है और स्त्री अपने आप में पूर्ण है, उसे पुरुष जैसे होने की आवश्यकता नहीं है।

बापू

डॉ. सविता जेमिनी*

बापू तुम एक ही थे
हे जगत पिता श्रद्धांजलि मेरी
अर्पित है सादर तुम्हें, है प्रणाम
मेरा शत–शत बार तुम्हें ओ पिता।
बापू माना कि तुम्हारी
सूखी ढाई पसली की देह थी
परंतु फिर भी नहीं आ पाती
किसी परिभाषा के कटघरे में
न बंध पाती है छंदों के बंधन में
पर फिर भी प्रयास करती हूं
तुम्हें कविता के घेरे में लाने का, हे पिता!
क्षमा करना मेरी इस भूल को नादान जानकर
जन्म लिया तुमने 02 अक्तूबर को पोरबंदर में
पोरबंदर और अक्तूबर की 02 तारीख
ऋणी रहेगी हे बापू – सदैव तुम्हारी
बापू नाम तुम्हारा मोहन दास कर्मचंद गांधी
परंतु तुमने चंपारण के किसानों
और अफ्रीका के रंगभेद से कालों को
कराया था मुक्त, इसीलिए
लोगों ने तुम्हें स्वीकारा, राष्ट्रपिता
आसीन किया हृदय के सिंहासन में
राष्ट्रपिता शरीर से भले ही तुम दुर्बल थे
लेकिन आत्मा सबल थी तुम्हारी
तुम्हारी इसी सबलता पर
हुआ सफल सत्याग्रह
व्यर्थ हुआ नमक कानून आपके ही द्वारा
असहयोग आंदोलन भी चलाया तुम्हीं ने
स्वदेशी का प्रचार किया तुम्हीं ने
चरखे का भाग्य जगाया तुम्हीं ने
अपना हाथ जगन्नाथ सफल बनाया तुम्हीं ने
तन पर एक लंगोटी बांधे
सर्दी, गर्मी, बारिश और गरीबी को
अंगूठा दिखाया तुम्हीं ने
पराधीन भारत को अहिंसा के बल पर
स्वाधीन कराया तुम्हीं ने
हे बापू!
अंग्रेज भी तुम्हारे व्यक्तित्व के समक्ष
नत मस्तक रहे सदैव सच्चे हृदय से
आजाद भारत का तुमने
न तख्त लिया न ताज लिया
राष्ट्रपिता बनने का गौरव ही केवल
तुम्हारे स्वाभिमान ने स्वीकार किया
हे बापू! तुम महान थे, महान हो और महान ही रहोगे।
बापू जो जाने पीर पराई
ऐसे नर की तुम करते थे बड़ाई
क्योंकि तुम स्वयं नर की इसी परिभाषा को
सार्थक करते रहे जीवन–पर्यंत
ओ पिता! जिस दिन चिता जली तुम्हारी
महाकाल भी रोया था क्योंकि
सभी ने तुम्हारा वात्सल्य खोया था।
हे पिता! तुम भले कालातीत हो गए
पर आज भी जीवित हो
हर सज्जन सुहृदय व्यक्तित्व में ।
लाठी तुम्हारी अहिंसा का पाठ पढ़ाती है
किसी का सहारा बनो यही सिखाती है
हे साबरमती के संत! आज हिंसा ने
हर जगह तांडव मचाया है, जिसने
मानव–मात्र को जलाया है।
इस जलते भारत की
एक जीवित लाश हूं मैं – स्वयं
मेरी तरह हर जलती आत्मा
शांति की तलाश में रास्ता तय करती हुई
हर बार केवल तुम तक पहुंचती है।

* *असिस्टेंट प्रोफेसर, भारती महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय*

विस्तारवादी चीन की धूर्तता और भारतीय सैनिकों का अदम्य साहस

बीरेंद्र सिंह रावत*

विस्तारवादी मानसिकता से ग्रस्त चीन अपनी वर्षों पुरानी इस रणनीति के तहत काम करता है कि पहले खाली पड़े इलाकों में अपने सैनिक भेजो, उन पर कब्जा करो और फिर चुनौती देने वाले पर वार करने के बजाय, उसे पहले हमला करने के लिए ललकारो ताकि विश्व समुदाय के सामने वह आक्रांता के तौर पर न जाना जाए। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं, पर ज्यादातर मामलों में चीन की रणनीति यही रही है कि किसी इलाके पर कब्जा करने के लिए अपनी 'सैन्य ताकत' का इस्तेमाल करने की बजाय अपने 'सैनिकों की ताकत' का इस्तेमाल किया जाए। इस काम में उसे अब महारत हासिल हो गयी है। चीन को यह पता है कि एक बार उसके सैनिकों का कब्जा किसी इलाके में हो गया, तो फिर अपनी जबरदस्त सैन्य ताकत के जरिए वह छोटे पड़ोसी देशों को दबा देगा। इसके बाद किसी भी देश के पास यही विकल्प बचता है कि वह कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सहारा ले। लेकिन इन विकल्पों के जरिए ज्यादा कुछ हासिल नहीं होता। अपनी इसी नीति पर चलते हुए चीन ने एक बार फिर हमारे प्यारे भारतवर्ष के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया।

अप्रैल 2020 में जब भारत कोविड–19 महामारी, जिसे कुछ विशेषज्ञ चीन के जैविक हथियार तैयार करने के कुत्सित प्रयास की असफलता का परिणाम मानते हैं, के फैलाव को रोकने के लिए प्रयासरत था और इसी क्रम में बॉर्डर एरिया में सैनिकों को भी सामाजिक दूरी के नियमों के तहत कम संख्या में तैनात किया गया था तो चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा संबंधी आपसी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए उन क्षेत्रों में अतिक्रमण करना शुरु कर दिया जिन पर भारत अपना दावा करता है। दरअसल, दोनों देशों के बीच अब तक पूरी तरह से सीमांकन नहीं हुआ है, क्योंकि कई इलाकों को लेकर दोनों के बीच सीमा विवाद है। भारत पश्चिमी सेक्टर में अक्साईचिन पर अपना दावा करता है, जो फिलहाल चीन के नियंत्रण में है। भारत के साथ 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था। वहीं पूर्वी सेक्टर में चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। चीन कहता है कि यह दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच की मैकमोहन रेखा को भी नहीं मानता है और अक्साईचिन पर भारत के दावे को भी खारिज करता है। इन विवादों की वजह से दोनों देशों के बीच कभी सीमा निर्धारण नहीं हो सका। हालांकि यथास्थिति बनाए रखने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा (लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी) का इस्तेमाल किया जाने लगा। हालांकि अभी ये भी स्पष्ट नहीं है। दोनों देश अपनी अलग–अलग वास्तविक नियंत्रण रेखा बताते हैं। उदाहरणार्थ, लद्दाख में फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 (पश्चिम से पूर्व की ओर) तक आठ पहाड़ियाँ हैं। जहां एक ओर भारत फिंगर 8 तक अपना दावा करता है तो वहीं दूसरी ओर चीन फिंगर 4 तक अपना दावा करता है। दोनों देशों की सेनाएं फिंगर 4 से फिंगर 8 तक गश्त करती थीं। अप्रैल 2020 में चीनी सेना ने इसी क्षेत्र (फिंगर 4 से फिंगर 8) तथा ऐसे ही अन्य क्षेत्रों जैसे कि पैंगॉन्ग झील, गलवान घाटी में पेट्रोलिंग प्वाइंट 14 एवं 15 आदि में अतिक्रमण करते हुए भारतीय सैनिकों को इन क्षेत्रों में गश्त करने से रोक दिया।

वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों के हथियारों एवं बख्तरबंद गाड़ियों के साथ भारी जमावड़े को देखते हुए भारत सरकार ने भी तुरंत बॉर्डर एरिया में सेना एवं वायुसेना की यूनिटों को अलर्ट करते हुए गतिरोध वाले क्षेत्रों में चीनी सैनिकों के बराबरी में उतने ही सैनिकों की तैनाती कर दी, जो गतिरोध वाले क्षेत्रों में अभी भी आमने–सामने की स्थिति में हैं। इस गतिरोध को दूर करने के लिए कई दौर की वार्ता हो चुकी है किंतु शातिर चीन इन वार्ताओं को सफल नहीं होने दे रहा। ऐसी ही कमांडर स्तर की एक वार्ता 06 जून को हुई थी जिसमें निर्णय लिया गया था कि चीनी सैनिक अन्य क्षेत्रों के साथ–साथ गलवान घाटी में पेट्रोलिंग प्वाइंट 14 से पीछे हटेंगे। वस्तुस्थिति का जायजा लेने जब 15 और 16 जून 2020 की दरम्यानी रात को 16 बिहार रेजीमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू अपने कुछ जवानों

* *वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

के साथ पेट्रोलिंग प्वाइंट 14 पर गए तो चीनी सैनिकों ने धोखे से कंटीली तारों से युक्त डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। पांच घंटे तक चली बिना हथियारों वाली इस हिंसक झड़प में कुल 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए जबकि चीन के कम–से–कम 43 सैनिक हताहत हुए।

यहां एक बात गौर करने योग्य है कि जब भी भारत–चीन का रणभूमि में आमना–सामना हुआ, भारतीय सैनिकों ने हमेशा ही चीनी सेना को भारी क्षति पहुंचाई। तभी तो 1962 के भारत–चीन युद्ध के बाद हिंदी के महान कवि प्रदीप ने अपने लोकप्रिय गाने 'ऐ मेरे वतन के लोगो' में भारत मां के वीर सपूतों के अदम्य साहस, पराक्रम और अमर बलिदान को याद करते और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा था:– *"दस–दस को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के, जब अंत समय आया तो कह गए कि हम चलते हैं, खुश रहना देश के प्यारो, अब हम तो सफर करते हैं।"* विस्तारवादी मानसिकता वाले चीन की धोखेबाजी से शुरु हुए 1962 के युद्ध का परिणाम हालाँकि चीन के पक्ष में रहा परंतु भारत माँ के अनेकानेक वीर सपूतों ने उन्नत हथियारों के साथ–साथ कुछ बुनियादी वस्तुओं के अभाव और विषम से विषम परिस्थितियों में भी चीनी सेना के दांत खट्टे किए थे। इनमें से कुछ अमर शहीदों और 1967 के युद्ध में चीनियों को सबक सिखाने वाले जनरल सगत सिंह की वीरगाथा इस प्रकार है:

i) राइफलमैन जसवंत सिंह रावत

17 नवंबर 1962 को चीनी सेना ने अरुणाचल को हथियाने के उद्देश्य से वहाँ के नूरानांग इलाके में धावा बोला। उस समय नूरानांग पुल की सुरक्षा के लिए गढ़वाल राइफल्स की चौथी बटालियन की एक कंपनी तैनात थी, जिसमें राइफलमैन जसवंत सिंह रावत भी थे। चीनी सेना को हावी होते देख गढ़वाल राइफल्स को वहाँ से वापस बुला लिया गया। लेकिन इसमें शामिल लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत और राइफलमैन गोपाल गुसाईं नहीं लौटे। तीनों जवान चट्टानों और झाड़ियों में छिपकर भारी गोलीबारी से बचते हुए चीनी सेना के बंकर के पास जा पहुंचे और महज 15 गज की दूरी से हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मन सेना के कई सैनिकों को मारकर मशीनगन छीन ले आए। अगले दिन की लड़ाई में त्रिलोक सिंह नेगी और गोपाल गुसाईं शहीद हो गए। फिर जसवंत सिंह रावत ने मोनपा जनजाति की दो लड़कियों नूरा और सेला की मदद से चीनी सैनिकों को भ्रम में रखने के लिए मशीनगन और बंदूकें तीन स्थानों पर रखीं ताकि चीनी सैनिक यह समझते रहें कि भारतीय सेना बड़ी संख्या में है और वह तीनों स्थानों से चीनियों पर हमला करते रहे और इस प्रकार वह न केवल चीनी सैनिकों को तीन दिन तक आगे बढ़ने से रोकने में सफल रहे अपितु उन्होंने 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। लेकिन दुर्भाग्य से उनको राशन की आपूर्ति करने वाले शख्स को चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया। उसने चीनी सैनिकों को जसवंत सिंह रावत के बारे में सारी बातें बता दीं। इसके बाद चीनी सैनिकों ने जसवंत सिंह को चारों तरफ से घेरकर हमला किया। इस हमले में सेला मारी गई लेकिन नूरा को चीनी सैनिकों ने जिंदा पकड़ लिया। जब जसवंत सिंह को अहसास हो गया कि उनको पकड़ लिया जाएगा तो उन्होंने युद्धबंदी बनने से बचने के लिए एक गोली खुद को मार ली। चीनी सैनिक जसवंत सिंह का सिर काटकर अपने साथ ले गए लेकिन उनके कमांडिंग अफसर ने इस बहादुरी से प्रभावित होकर सिर वापस भारतीय सेना को सौंप दिया। चीनियों ने युद्धबंदी बने गढ़वाली सैनिकों को ज्यादा कठोर बर्ताव का निशाना बनाया, ये गढ़वालियों के हाथों हुई हार की खीझ थी। चौथी गढ़वाल राइफल्स को बैटल ऑनर नूरानांग दिया गया जो उस युद्ध में अरुणाचल में भारतीय सेना को मिला इकलौता युद्ध सम्मान था। राइफलमैन जसवंतसिंह को मरणोपरांत महावीर चक्र मिला और नूरानांग को तब से जसवंतगढ़ के नाम से जाना जाता है। जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल में चौबीसों घंटे उनकी सेवा में सेना के पांच जवान लगे रहते हैं। यही नहीं, रोजाना उनके जूतों पर पॉलिश की जाती है और उनके कपड़े भी प्रेस किए जाते हैं। बताया जाता है कि शहीद जसवंत सिंह के मंदिर में बिना मत्था टेके कोई फौजी अफसर आगे नहीं बढ़ता। जसवंत सिंह को मरणोपरांत भी रिटायर नहीं किया गया, उनके नाम के आगे स्वर्गीय नहीं लगाया जाता और उन्हें समय–समय पर प्रमोशन दिए जाते हैं।

ii) सूबेदार जोगिंदर सिंह

चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को अपनी सेना की एक पूरी डिविजन बमला इलाके में जमा करनी शुरू कर दी जिसके दक्षिण पश्चिम में ट्विन पीक्स नाम की एक जगह थी जिस पर खड़े होकर मैकमोहन लाइन तक चीन की हर हरकत पर नजर रखी जा सकती थी। इन दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण

जगह थी जिसका नाम था आईबी रिज। ट्विन पीक्स से एक किलोमीटर दक्षिण–पश्चिम में टॉन्गपेंग ला पर पहली सिख बटालियन की एक डेल्टा कंपनी ने अपना बेस बनाया था जिसके कमांडर थे लेफ्टिनेंट हरीपाल कौशिक। उनकी डेल्टा कंपनी की 11वीं प्लाटून आईबी रिज पर तैनात थी जिसके कमांडर थे सूबेदार जोगिंदर सिंह। बमला में चीनी सेना के जमावड़े की खबर पाते ही जोगिंदर सिंह ने तुंरत हलवदार सुचा सिंह के नेतृत्व ने एक सेक्शन बमला पोस्ट भेजा। फिर उन्होंने अपने कंपनी हेडक्वार्टर से 'सेकेंड लाइन' गोला–बारूद मुहैया कराने के लिए कहा और उसके बाद सब अपने–अपने हथियारों के साथ तैयार हो गए। 23 अक्टूबर 1962 को चीनी सेना ने वहां हमला बोल दिया। सुचा सिंह ने अपने साथियों के साथ बहादुरी से मुकाबला किया किंतु चीनी सेना के हथियारों व सैनिकों की भारी तादाद को देखते हुए उन्होंने अपनी टुकड़ी के साथ आईबी रिज की पलटन के साथ मिलना ही उचित समझा। ट्विन पीक्स को हथियाने की नीयत से अब चीनी सेना ने आईबी रिज पर आक्रमण कर दिया। सूबेदार जोगिंदर सिंह को ये पता था कि चीनी फौज बमला से तीखी चढ़ाई करके आ रही है और वे लोग ज्यादा मजबूत आईबी रिज पर बैठे हैं। यानी सिख पलटन के जांबाज अपनी पुरानी पड़ चुकी ली एनफील्ड 303 राइफल्स से भी दुश्मन को कुचल सकते हैं। इसके अलावा उनके पास गोलियां कम थीं इसलिए उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि हर गोली का हिसाब होना चाहिए। जब तक दुश्मन रेंज में न आ जाए तब तक फायर रोक कर रखो, उसके बाद चलाओ। जल्द ही इस फ्रंट पर लड़ाई शुरू हो गई। पहले हमले में करीब 200 चीनी सैनिक सामने थे, वहीं भारतीय पलटन छोटी सी। लेकिन बताया जाता है कि जोगिंदर सिंह और उनके साथियों ने चीनी सेना का बुरा हाल किया, उनका जवाब इतना प्रखर था कि चीनी सेना को पहले छुपना पड़ा और उसके बाद पीछे हटना पड़ा। लेकिन इसमें भारतीय पलटन को भी नुकसान पहुंचा। इसके बाद जोगिंदर ने टॉन्गपेंग ला के कमांड सेंटर से और गोला–बारूद भिजवाने के लिए कहा। इतने में 200 की क्षमता वाली एक और चीनी टुकड़ी फिर से एकत्रित हुई और दूसरी बार फिर से आक्रमण कर दिया। इस बीच भारतीय पलटन की नजरों में आए बगैर एक चीनी टोली ऊपर चढ़ गई। भयंकर गोलीबारी हुई। जोगिंदर को मशीनगन से जांघ में गोली लगी, वे एक बंकर में घुसे और वहां पट्टी बांधी। एकदम विपरीत हालात में भी वे पीछे नहीं हटे और अपने साथियों को चिल्लाकर निर्देश देते रहे। जब उनका साथी गनर शहीद हो गया तो उन्होंने 2–इंच वाली मोर्टार खुद ले ली और कई राउंड दुश्मन पर चलाए। उनकी पलटन ने बहुत सारे चीनी सैनिकों को मार दिया था लेकिन उनके भी ज्यादातर लोग मारे जा चुके थे या बुरी तरह घायल थे। कुछ विराम के बाद चीनी फौज की 200 सैनिकों की टुकड़ी फिर इकट्ठी हो चुकी थी और उन्होंने तीसरी बार आक्रमण कर दिया। कुछ देर बाद सूबेदार सिंह की पलटन के पास बारूद खत्म हो चुका था। सूबेदार सिंह ने अपनी पलटन के बचे–खुचे सैनिकों को तैयार किया और आखिरी धावा शत्रु पर बोला। उन्होंने अपनी–अपनी बंदूकों पर संगीन (बेयोनेट) लगाकर 'जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल' के नारे लगाते हुए चीनी सैनिकों पर जबरदस्त हमला कर दिया और कईयों को मार गिराया। लेकिन टिड्डियों की भाँति चीनी सैनिक आते गए। बुरी तरह से घायल सूबेदार जोगिंदर सिंह को युद्धबंदी बना लिया गया। वहां से तीन भारतीय सैनिक बच निकले थे जिन्होंने जाकर कई घंटों की इस लड़ाई की कहानी बताई। कुछ समय बाद पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बंदी के तौर पर सूबेदार जोगिंदर सिंह की मृत्यु हो गई। अदम्य शौर्य, प्रेरणादायी नेतृत्व, अद्भुत साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए सूबेदार जोगिंदर सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जब चीनी आर्मी को पता चला कि सूबेदार सिंह को परमवीर चक्र का अलंकरण मिला है तो वे भी सम्मान से भर गए। चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को उनकी अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दीं। उनका अस्थि कलश मेरठ में सिख रेजीमेंट के सेंटर लाया गया। अगले दिन गुरुद्वारा साहिब में उनकी श्रद्धांजलि सभा हुई। फिर एक सैरेमनी आयोजित की गई जहां पर वो कलश उनकी पत्नी गुरदयाल कौर और बेटे को सौंप दिया गया। भारतीय सेना ने उनकी वीरता की स्मृति के तौर पर आईबी रिज पर ही स्मारक बनाया।

iii) मेजर शैतान सिंह

18 नवंबर 1962 को चीनी सैनिकों ने लद्दाख के चुशूल सैक्टर में रेजांग ला में भारतीयों सेना पर हमला बोला था, तब वहाँ कुमाऊं रेजीमेंट की 13वीं बटालियन

की 'सी' कंपनी तैनात थी। उस समय वहाँ भारत के पास मेजर शैतान सिंह की कमान में कुल 120 सैनिक थे तो चीन के पास करीब 2000 हजार सैनिक थे। बता दें, जब चीन ने भारत पर हमला किया उस वक्त न तो जवानों के पास ऐसे हथियार थे जो चीन के सामने टिक सकते, न भीषण ठंड से बचने के लिए कपड़े थे। भारतीय सैनिक पतले कपड़ों में कड़ाके की सर्दी में युद्ध लड़ रहे थे। जब शैतान सिंह को आभास हुआ कि चीन की ओर से बड़ा हमला होने वाला है तो उन्होंने अपने अधिकारियों को रेडियो संदेश भेजा और मदद मांगी। परंतु संसाधनों के अभाव में उन्हें कहा गया कि अभी कोई मदद मुमकिन नहीं है, इसलिए सभी सैनिकों को लेकर चौकी छोड़कर पीछे हट जाओ (बता दें, चौकी छोड़ने का मतलब हार मानना होता है)। मेजर शैतान सिंह ने पीछे न हटने का फैसला लिया। वह ये बात बखूबी जानते थे कि वक्त कम है और चीन के सैनिक कभी भी हमला बोल सकते हैं। उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया और कहाः हम मात्र 120 हैं, दुश्मन के सैनिकों की संख्या हमसे कहीं ज्यादा हो सकती है., पीछे से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है, हो सकता है हमारे पास मौजूद हथियार कम पड़ जाएं, हो सकता है हम में से कोई न बचे और हम सब शहीद हो जाएं तो जो भी अपनी जान बचाना चाहते हैं वह पीछे हटने के लिए आजाद हैं लेकिन मैं मरते दम तक मुकाबला करूंगा। इस मीटिंग के बाद एक रणनीति तैयार की गई। शैतान सिंह ने कहा कि हमारे पास संसाधन कम हैं और दुश्मन के सैनिकों की संख्या कहीं ज्यादा है, ऐसे में कोशिश करें कि एक भी गोली बर्बाद न जाए, हर गोली निशाने पर लगे और इसी के साथ दुश्मनों के मारे जाने पर उनसे बंदूक छीन ली जाए। चीनी सेना ये मान चुकी थी कि भारतीय सेना ने चौकी छोड़ दी है। लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि उसका सामना जाबांज शैतान सिंह और उनके वीरों से है। सुबह के करीब 5 बजे भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना पर गोली बरसानी शुरू कर दी। कुछ ही देर में हर तरफ दुश्मन की लाशें पड़ी थीं, उस वक्त मेजर शैतान सिंह ने कहा था कि ये मत समझना कि युद्ध का अंत हो गया है, ये तो शुरुआत है। चीनियों ने रेजांग ला पर मोर्टार तथा रॉकेटों से गोलीबारी शुरू कर दी। भारतीय सैनिकों को केवल अपने जोश का सहारा था, क्योंकि रेजांग ला में बंकर भी नहीं थे और दुश्मन रॉकेट दागे जा रहा था। इस बीच शैतान सिंह के हाथ में गोली भी लग चुकी थी। शैतान सिंह जानते थे कि यदि सभी जवान शहीद हो गए तो भारत के लोग और सरकार यह बात कभी नहीं जान पाएगी कि आखिर रेजांग ला में क्या हुआ था, जिसके बाद उन्होंने दो घायल सैनिकों रामचंद्र और निहाल सिंह से कहा कि वह यहां से तुरंत चले जाएं। 13वीं कुमाऊं रेजीमेंट की इस पराक्रमी पलटन में केवल 14 जवान जिंदा बचे थे., इनमें भी 9 गंभीर रूप से घायल थे। परंतु भारत के 120 जवानों ने लगभग 1,300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। युद्ध को खत्म हुए 3 महीने हो गए थे। शैतान सिंह के शव के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। रेजांग ला की बर्फ पिघली और रेड क्रॉस सोसायटी और सेना के जवानों ने उन्हें खोजना शुरू किया। कुछ दिनों बाद जब एक गड़रिया अपनी भेड़ चराने के लिए रेजांग की ओर जा रहा था, उसे वहाँ बड़ी सी चट्टान में वर्दी में कुछ नजर आया तो उसने यह सूचना वहां मौजूद अधिकारियों को दी। जब सेना वहां पहुंची तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर सबके होश उड़ गए। एक–एक सैनिक उस दिन भी अपनी–अपनी बंदूकें थामे ऐसे बैठे थे जैसे मानो अभी भी लड़ाई चल रही हो। उनमें शैतान सिंह भी अपनी बंदूक थामे बैठे थे। वो ऐसे लग रहे थे जैसे मानो अभी भी युद्ध के लिए तैयार हैं। ऐसे लगता था कि उनमें अभी भी जोश बाकी है। ये तो नहीं मालूम चल पाया कि युद्ध कितनी देर तक चला पर भारत के जवान अपनी अंतिम सांस तक देश के लिए लड़ते रहे और लड़ते–लड़ते बर्फ की आगोश में आ गए। मेजर शैतान सिंह का उनके होमटाउन जोधपुर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद उन्हें देश के सबसे बड़े वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आज रेजांग ला शूरवीरों का तीर्थ है।

iv) मेजर धन सिंह थापा

प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने चीनी घुसपैठ का जवाब देने के लिए फॉरवर्ड पॉलिसी लागू की। भारत इस पॉलिसी के तहत चीनी सीमा पर छोटी–छोटी पोस्ट स्थापित कर चीनी सैनिकों की घुसपैठ रोकना चाहता था। फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत ही जम्मू–कश्मीर में लद्दाख से लगी हिमालयी चीनी सीमा पर पैंगॉन्ग झील के उत्तरी किनारे पर 8वीं गोरखा बटालियन्स की सिरिजैप 1 नामक पोस्ट स्थापित की गई और इस पोस्ट

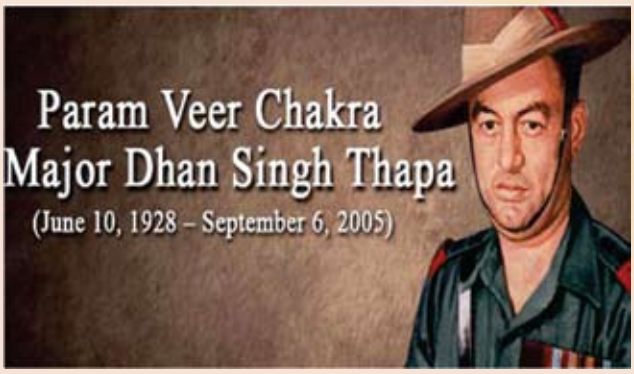

की कमान मेजर धन सिंह थापा को सौंपी गई। इसी बीच 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। चीन के चौतरफा आक्रमण का शिकार मेजर धन सिंह थापा की सिरिजैप 1 चौकी भी हुई। चीनी सेना ने तोप और मोर्टार से जोरदार बमबारी की। बमबारी के चलते वायरलेस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और वहाँ तैनात थापा सहित सभी जवानों का सेना से संपर्क टूट गया। अब चीनी सेना का मुकाबला अकेले दम पर करने के अलावा मेजर थापा और उनके साथियों के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने चीनी सैनिकों का जमकर मुकाबला किया और एक बार तो चीनी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, परंतु कुछ घंटों के बाद चीनी सेना ने और भी बड़े दम–खम के साथ फिर हमला बोल दिया। इस आक्रमण का मेजर थापा और उनके साथियों ने बहादुरी से सामना किया, परंतु गोला–बारूद खत्म हो जाने के बाद भारत के अनेक सैनिक शहीद हो गए तो तीन सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया गया। इस चौकी पर चीनी सेना का नियंत्रण हो गया। जब चीनी सेना ने आगे बढ़ते हुए चुशूल चौकी पर भी कब्जा कर लिया, तो भारत में यह मान लिया गया कि मेजर धन सिंह थापा और उनके सभी साथी वीरगति को प्राप्त हो गए। 28 अक्टूबर 1962 को भारतीय सेना के तत्कालीन जनरल पी. एन. थापर ने थापा की पत्नी को पत्र लिख कर उनके शहीद होने की सूचना दी। परिवार में दुःख और शोक की लहर दौड़ गई, परंतु शौर्य और साहस का जज्बा नहीं मरा। थापा के परिवार ने सीने पर पत्थर रख कर उनके अंतिम संस्कार की औपचारिकताएँ पूरी कर दीं। सेना के अनुरोध पर भारत सरकार ने मेजर धनसिंह थापा को मरणोपरान्त 'परमवीर चक्र' देने की घोषणा कर दी, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद जब चीन ने भारत को उसके युद्धबंदियों की सूची दी, तो उसमें मेजर थापा का भी नाम था। इस समाचार से पूरे देश में प्रसन्नता की लहर दौड़ गयी। उनके घर देहरादून में उनकी माँ, बहन और पत्नी की खुशी की कोई सीमा न रही। इसी बीच उनकी पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया था। मेजर धन सिंह थापा को 21 अक्टूबर 1962 को चीनी सैनिकों ने बंदी बनाया था, गोरखा परंपरा का निर्वहन करते हुए मेजर थापा चीनी युद्धबंदी शिविर से चाकचौबंद चौकसी को धता देते हुए वहाँ से भागने में सफल हुए। कई दिनों तक पहाडियों में भटकते रहने के बाद थापा भारतीय सीमा क्षेत्र में प्रविष्ट हुए और भारतीय सैनिक चौकी तक पहुँचे। वह घायल अवस्था में थे, परंतु इसके बावजूद उनके बुलंद हौसले ने अन्य भारतीय जवानो में भी नव उत्साह का संचार कर दिया। इस घटना ने ना केवल चीनी पक्ष का मनोबल गिराया, वरन भारतीय सैनिको की निर्भीकता से दुनियाभर को संदेश भी दिया। 10 मई 1963 को भारत लौटने पर सेना मुख्यालय में उनका भव्य स्वागत किया गया। दो दिन बाद 12 मई को वे अपने घर देहरादून पहुँच गये, पर वहाँ उनका अंतिम संस्कार हो चुका था और उनकी पत्नी विधवा की तरह रह रही थी। अतः गोरखों की धार्मिक परम्पराओं के अनुसार उनके कुल पुरोहित ने उनका मुंडन कर फिर से नामकरण किया। इसके बाद उन्हें विवाह की वेदी पर खड़े होकर अग्नि के सात फेरे लेने पड़े। इस प्रकार अपनी पत्नी के साथ उनका वैवाहिक जीवन फिर से प्रारम्भ हुआ।

v) लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह

1965 के भारत–पाकिस्तान युद्ध में जब भारत पाकिस्तान पर भारी पड़ने लगा तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खाँ गुप्त रूप से चीन गए और उन्होंने चीन से अनुरोध किया कि पाकिस्तान पर दबाव हटाने के लिए भारत पर सैनिक दबाव बनाए। चीन ने पाकिस्तान की मदद करने के लिए भारत को एक तरह से अल्टीमेटम दिया कि वो सिक्किम की सीमा पर नाथु ला और जेलेप ला की सीमा चौकियों को खाली कर दे। उस समय हमारी मुख्य रक्षा लाइन छंगू पर थी। कोर मुख्यालय के प्रमुख जनरल बेवूर ने लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह को आदेश दिया कि आप इन चौकियों को खाली कर दीजिए। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह ने कहा कि इसे खाली करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। नाथू ला ऊँचाई पर है और वहाँ से चीनी क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है, उस पर नजर रखी जा सकती है। उन्होंने कहा, ''अगर हम उसे खाली कर देंगे तो चीनी आगे बढ़ आएंगे और वहाँ से सिक्किम में हो रही हर गतिविधि को साफ–साफ देख पाएंगे। आप पहले ही मुझे आदेश दे चुके हैं कि नाथु ला को खाली करने के बारे में फैसला लेने का अधिकार मेरा होगा। मैं ऐसा नहीं करने जा रहा।''

दूसरी तरफ 27 माउंटेन डिविजन, जिसके अधिकार क्षेत्र में जेलेप ला आता था, ने वो चौकी खाली कर दी। चीन के सैनिकों ने फौरन आगे बढ़कर उस पर कब्जा भी कर लिया। ये चौकी आज तक चीन के नियंत्रण में है। इसके बाद चीनियों ने 17 असम राइफल्स की एक बटालियन पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें उसके दो सैनिक मारे गए। सगत सिंह इस पर बहुत नाराज हुए और उन्होंने उसी समय तय कर लिया कि वो मौका आने पर इसका बदला लेंगे। नाथु ला में दोनों सेनाओं का दिन सीमा पर गश्त के साथ शुरू होता था और इस दौरान दोनों देशों के फौजियों के बीच कुछ न कुछ तू–तू मैं–मैं शुरू हो जाती थी।

चीन की तरफ से सिर्फ इनका राजनीतिक कमीसार ही टूटी–फूटी अंग्रेजी बोल सकता था। उसकी पहचान थी कि उसकी टोपी पर एक लाल कपड़ा लगा रहता था। थोड़े दिनों बाद भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हो रही कहासुनी धक्का–मुक्की में बदल गई और 6 सितंबर 1967 को भारतीय सैनिकों ने चीन के राजनीतिक कमिसार को धक्का देकर गिरा दिया, जिससे उसका चश्मा टूट गया। इलाके में तनाव कम करने के लिए भारतीय सैनिक अधिकारियों ने तय किया कि वो नाथु ला से सेबु ला तक भारत चीन सीमा का सीमांकन करने के लिए तार की एक बाड़ लगाएंगे। 11 सितंबर 1967 की सुबह 70 फील्ड कंपनी के इंजीनियर्स और 18 राजपूताना राइफल्स के जवानों ने बाड़ लगानी शुरू कर दी, जबकि 2 ग्रेनेडियर्स और सेबु ला पर आर्टिलरी ऑब्जरवेशन पोस्ट से कहा गया कि वो किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सावधान रहें।

जैसे ही काम शुरू हुआ चीन के राजनीतिक कमिसार अपने कुछ सैनिकों के साथ उस जगह पर पहुंच गए जहाँ 2 ग्रेनेडियर्स के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह अपनी कमांडो प्लाटून के साथ खड़े थे। कमिसार ने राय सिंह से कहा कि वो तार बिछाना बंद कर दें लेकिन उनको आदेश थे कि चीन के ऐसे किसी अनुरोध को स्वीकार न किया जाए। तभी अचानक चीनियों ने मशीन गन फायरिंग शुरू कर दी। राय सिंह को तीन गोलियाँ लगीं। उनके मेडिकल अफसर उन्हें खींचकर अपेक्षाकृत सुरक्षित जगह पर ले गए। मिनटों में ही जितने भी भारतीय सैनिक खुले में खड़े थे या काम कर रहे थे, धराशायी कर दिए गए। फायरिंग इतनी जबरदस्त थी कि भारतीयों को अपने घायलों तक को उठाने का मौका नहीं मिला। हताहतों की संख्या इसलिए भी अधिक थी क्योंकि भारत के सभी सैनिक बाहर थे और वहाँ आड़ लेने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसके बाद तो पूरे स्तर पर लड़ाई शुरू हो गई जो तीन दिन तक चली। जब सगत सिंह ने देखा कि चीनी असरदार फायरिंग कर रहे हैं तो उन्होंने तोप से फायरिंग का हुकुम दे दिया। उस समय तोपखाने की फायरिंग का हुक्म देने का अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री के पास था, यहाँ तक कि सेनाध्यक्ष को भी ये फैसला लेने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब ऊपर से कोई हुक्म नहीं आया और चीनी दबाव बढ़ने लगा तो सगत सिंह ने तोपों से फायर खुलवा दिया। इस युद्ध में भारत ने भी अपने 88 वीर जवानों को खोया परंतु चीन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उसके 300 से अधिक सैनिक मारे गए। यहां यह बताना भी महत्वपूर्ण होगा कि लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह ने 1961 के गोवा मुक्ति अभियान और 1971 के भारत–पाकिस्तान युद्ध में भी निर्णायक भूमिका निभाई थी।

अंत में यह कहा जा सकता है कि विस्तारवादी मानसिकता से ग्रस्त चीन जब–तब नए–नए क्षेत्रों पर अपना अधिकार का दावा करता है जैसा कि उसने 15–16 जून 2020 की दरम्यानी रात को हुए हिंसक संघर्ष के बाद गलवान घाटी पर पहली बार अपना दावा किया परंतु उसे यह भी याद रखना चाहिए कि भारत माँ के उपरोक्त अमर बलिदानियों और ऐसे ही असंख्य वीर जवानों ने अपने अदम्य साहस, पराक्रम एवं दूरदर्शितापूर्ण निर्णयों के बल पर धोखेबाज चीनियों को हमेशा ही जबरदस्त आघात पहुंचाया है। भारतीय फौज दुनियों की सर्वोत्तम एवं अनुशासित फौजों में से एक है और भारत माँ के वीर सपूत अपना सर्वस्व न्यौछावर करके अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। साथ ही, भारत के सैनिक नेतृत्व के साथ–साथ अब राजनैतिक नेतृत्व ने भी यह भलीभांति समझ लिया है कि सुरक्षा का सर्वोत्तम साधन आक्रामकता है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण हाल ही में चीनी सेना को आक्रामक तरीके से ब्लैक टॉप पर्वत चोटी की तरफ बढ़ता देखकर भारतीय सेना द्वारा ब्लैक टॉप, हैल्मेट टॉप आदि अनेक पर्वत चोटियों, जिन पर अभी तक केवल गश्त की जाती थी, पर कब्जा कर लिया जाना है। अतः, अब आक्रामक चीनियों को उनकी ही भाषा में जवाब दिया जा रहा है। जय हिंद, जय हिंद की सेना।

आधुनिक भारत में गाँधीवादी दर्शन

रुचिका चौहान*

वैज्ञानिक विकास से युक्त वर्तमान काल में जहां एक ओर हम आधुनिक हो चुके हैं और सभ्य होने का दंभ भरते हैं, वहीं नैतिक मूल्यों का मजाक आज समाज की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। भारत में नैतिक मूल्यों का पालन करने की आवश्यकता सिर्फ दूसरों को समझाने भर के लिए है। किंतु प्रश्न यह है कि क्या हम खुद उस कसौटी पर खरे उतरते हैं या नहीं। समय–समय पर अनेक महापुरुषों ने इस अवधारणा को तरो–ताजा भी किया और स्वयं भी इन आदर्शों का अनुपालन किया। ऐसे ही एक महापुरुष हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी थे। प्यार से समस्त राष्ट्र उन्हें बापू कहकर पुकारता है। व्यक्ति के कर्म ही उसे महान बनाते हैं। महात्मा गाँधी सिर्फ एक नाम नहीं है, अपितु एक ऐसी विचारधारा है जिसका संपूर्ण विश्व ने अनुपालन किया। गाँधी जी के कुछ मूल सिद्धांत थे जैसे कि सत्य, अहिंसा, शारीरिक श्रम, स्वदेशी, ब्रह्मचर्य, सर्वधर्म समभाव, अस्वाद, अस्पृश्यता का निवारण, सादगी एवं अपरिग्रह आदि। आज के समय में समाज से नैतिक मूल्य तेजी से समाप्त होते जा रहे है। जिसके परिणामस्वरूप समाज में अनैतिकता फैलती जा रही है। इसकी वजह से समाज में चोरी, हत्या, भय, हिंसा, बलात्कार, आतंकवाद, रिश्वतखोरी, बेरोजगारी, जमाखोरी, गरीबी, शोषण, धार्मिक एवं जातिगत विद्वेष आदि बढ़ते जा रहे हैं या फिर ये कह सकते है इन सब ने समाज में अपनी जड़ें जमा ली हैं। इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु गाँधी जी ने उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों के अनुपालन को आवश्यक बताया है। गाँधी जी का मानना था कि यदि सभी लोग इन सिद्धांतों का पालन करें तो ये सारी समस्याएँ उत्पन्न ही नहीं होंगी और हमारा समाज कल्याण के पथ पर अग्रसर होगा। गाँधी जी ने इन सभी सिद्धांतों के साथ–साथ हमारी मातृ भाषा हिन्दी के महत्व को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने एक बार एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मातृभाषा का अनादर माँ के अनादर के समान है। जो अपनी मातृभाषा का अपमान करता है, वह देशभक्त कहलाने के काबिल नहीं है। हमारी मातृभाषा हमारा प्रतिबिम्ब है। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि आजाद हिंदुस्तान में अंग्रेजी माध्यम से चलने वाले स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है और राष्ट्रभाषा हिन्दी में बात करना जुर्म माना जाता है, जिसके लिए बच्चों को दंडित भी किया जाता है। आज की इस शिक्षा प्रणाली में न मातृभाषा का महत्व है, न शारीरिक श्रम का, न चरित्र–निर्माण का। आज की शिक्षा प्रणाली से तथा अंग्रेजी के बढ़ते वर्चस्व से केवल सभी पैसा कमाने में लगे है।

* एडमिन एसोसिएट, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

गाँधी जी के मूल सिद्धांत

यदि हमें आज के समाज में फैली समस्याओं का समाधान चाहिए तो हमें गाँधी जी के द्वारा बताए गए सिद्धांतों का अनुपालन करना चाहिए। सत्य, अहिंसा, शारीरिक श्रम, स्वदेशी, ब्रह्मचर्य, सर्वधर्म समभाव, अस्वाद, अस्पृश्यता का निवारण, सादगी एवं अपरिग्रह आदि गाँधी जी के मूल सिद्धांतों द्वारा हम एक स्वस्थ, सम्पूर्ण और खुशहाल राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। गाँधी जी ने इन सब के साथ–साथ शाकाहारी रवैया, स्वच्छता तथा राष्ट्रभाषा हिन्दी को भी प्रोत्साहन दिया। गाँधी जी द्वारा बताए गए सिद्धांतों का विवरण इस प्रकार है:

सत्य

गाँधी जी ने अपना जीवन सत्य, या सच्चाई की व्यापक खोज में समर्पित कर दिया। उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की गल्तियों और खुद पर प्रयोग करते हुए सीखने की कोशिश की और इसीलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा को 'सत्य के प्रयोग' का नाम दिया। सत्य ही ईश्वर है, सत्य पालन से ईश्वर स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। मात्र सत्य बोलना ही सत्य नहीं है अपितु विचार तथा आचरण द्वारा भी हमें सत्य का अनुपालन करना आवश्यक है। वर्तमान काल में हम सभी सत्य से दूर होते जा रहे हैं और इसी कारण हम समाज में व्याप्त बुराइयों पर अंकुश लगाने में असफल हो रहे हैं। सत्य अपनाने से समाज में व्याप्त बुराइयां दूर हो सकती हैं।

अहिंसा

मन, वचन एवं कर्म आदि से किसी भी प्राणी को पीड़ा न पहुँचाना ही अहिंसा है। सत्य यदि परमेश्वर है तो अहिंसा उसको प्राप्त करने का मार्ग है। हिंसा, आतंकवाद आदि के समाधान के लिए अहिंसा ही एकमात्र उपाय है। हालांकि गाँधी जी अहिंसा के सिद्धांत के प्रवर्तक बिल्कुल नहीं थे फिर भी इसे बड़े पैमाने पर राजनैतिक क्षेत्र में इस्तेमाल करने वाले वे पहले व्यक्ति थे। गाँधी जी ने अपनी आत्मकथा 'द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ' में दर्शन और अपने जीवन के मार्ग का वर्णन किया है। उनके कुछ उद्धरण इस प्रकार हैं:

'जब मैं निराश होता हूँ तब मैं याद करता हूँ कि हालांकि इतिहास सत्य का मार्ग होता है किंतु प्रेम इसे सदैव जीत लेता है। यहां अत्याचारी और हत्यारे भी हुए हैं और कुछ समय के लिए वे अपराजेय लगते थे किंतु अंत में उनका पतन ही होता है–इसका सदैव विचार करें।'

'एक आंख के लिए दूसरी आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी।'

'मरने के लिए मेरे पास बहुत से कारण हैं किंतु मेरे पास किसी को मारने का कोई भी कारण नहीं है।'

अतः यदि हम अपने जीवन में अहिंसा को अपनाएं तो समाज में बहुत सी बुरी गतिविधियों पर रोक लगा सकते है।

शारीरिक श्रम

गाँधी जी के अनुसार कोई कितना भी अमीर व्यक्ति क्यों न हो उसे अपने सभी कार्य स्वयं ही करने चाहिए। शारीरिक मेहनत करने से स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और शरीर का व्यायाम भी होता है। जिससे मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। आज के समय में वैज्ञानिक आविष्कारों की वजह से हमारे पास हर एक काम के लिए आधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं जिसके कारण शारीरिक श्रम समाप्त होता जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप समाज में बहुत–सी बीमारियाँ फैलती जा रही हैं। यदि हम अपना कार्य स्वयं करें तो शारीरिक तथा मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे।

स्वदेशी

स्वदेशी से अभिप्राय है, अपने ही देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करना। ऐसा करने से हमारे देश का धन देश में ही रहता है। गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान होगा। वर्तमान में हम सभी विदेशी वस्तुओं की चमक–दमक देखकर इनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं तथा ज्यादातर विदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करते हैं चाहे वह भोजन हो, कपड़े हों या फिर कोई अन्य वस्तु हो। गाँधी जी ने स्वदेशी वस्त्रों के निर्माण हेतु चरखे को बहुत प्रोत्साहन दिया था। वे स्वयं भी चरखा चलाते थे। यदि हम आज के समाज में स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें तो आज जो हमारे देश में बेरोजगारी तथा गरीबी की समस्या है उसका समाधान हो सकता है और हमारे देश में फिर से संपन्नता एवं सुख समृद्धि बढ़ जाएगी।

अस्वाद

आधुनिक युग में अधिकांश व्यक्ति आवश्यकता न होने पर भी मात्र अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए जरूरत से ज्यादा तथा अनेक प्रकार का भोजन, अनेक प्रकार के कपड़े तथा मकानों का निर्माण करवाता है। यह समाज की एक बड़ी समस्या है। हमें अस्वाद का अनुपालन करते हुए अपने भोजन में से प्रतिदिन किसी भी जरूरतमंद को भोजन करवाना चाहिए। अभी भी भारत में करोड़ो की आबादी रात को भूखी सोती है। इसलिए हमें स्वाद का त्याग करते हुए गरीबों को अपने भोजन में से दान करना चाहिए। इस प्रकार सभी को भोजन प्राप्त हो सकता है।

अस्पृश्यता

व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म, जाति, देश, क्षेत्र तथा कुल का हो, उसे मनुष्य मात्र समझकर प्रेम करना चाहिए। छुआछूत की भावना किसी भी देश को पतन की ओर ले जाती है। भेदभाव उत्पन्न होने से मन में विद्वेष उत्पन्न होता है। ऐसा होने पर समाज में हिंसा आदि फैलती है। आजकल लोग धर्म–जाति एवं संप्रदाय के नाम पर लड़ते रहते हैं। इन सभी समस्याओं से बचने का एक मात्र साधन है अस्पृश्यता का निवारण।

स्वच्छता

आज हम विदेशों में घूमने जाते हैं और वहाँ से वापस आकर बहुत खुश होकर वहाँ की साफ–सफाई के बारे में दूसरे व्यक्तियों को बताते हैं। परंतु अपने देश की स्वच्छता के बारे में कोई नहीं सोचता। यदि हम खुद अपने आप में सुधार लाएं तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। हमें अपने घर से शुरुआत करनी होगी तथा अगर हम अपने साथ–साथ अपने सभी मित्रजनों, रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों को साफ–सफाई के लिए प्रोत्साहित कर सकें तो हमारा देश भी साफ और स्वच्छ हो सकता है। गाँधी जी ने स्वच्छता को सदैव महत्व दिया, उन्हीं से प्रेरित होकर हमारे देश में वर्तमान सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है, परंतु बड़े दुःख की बात है कि साफ–सफाई के कार्य पर सिर्फ अभियान के समय पर ही ध्यान दिया जाता है, बाकी दिन यह बोलकर छोड़ दिया जाता है कि हमारे एक के करने से क्या होगा। यदि हम स्वच्छता पर ध्यान दें तो हमारे देश से बीमारियों कम होंगी और दूसरे देशो की तरह हमारे देश की भी प्रशंसा होगी।

इन सब सिद्धांतों के साथ–साथ गाँधी जी ने सर्वधर्म समभाव को भी प्रोत्साहन दिया था। उनके अनुसार सब धर्म समान हैं इसलिए हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। परंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि यदि किसी धर्म में कोई बुराई प्रविष्ट हो गई है तो हम उसकी अनदेखी कर दें। ऐसा धर्म तो हमारा अपना धर्म भी हो सकता है, इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए। दूसरे धर्मों की अच्छाई को अपने धर्म में सम्मिलित कराना चाहिए। सर्वधर्म समता का यह अर्थ नहीं है कि हम धर्म पर अविश्वास करने लगें या पर–धर्म का अनादर करें, इसका यह अर्थ भी नहीं है कि हम धर्म–अधर्म में भेद न करें । सर्व धर्म समानत्व का अर्थ है हम धर्म के मूल आदर्शों का सम्मान करें।

यदि हम सब मिलकर प्रयास करें और गाँधी जी के सिद्धांतों का अनुपालन करें तो हम एक स्वस्थ, सुंदर, स्वच्छ एवं समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं।

व्यापक असर वाली नई शिक्षा नीति

राजेश कुमार कर्ण*

पिछली शिक्षा नीति 1986 में बनी थी जिसमें 1992 में मामूली संशोधन किया गया था। पिछले तीन दशकों में देश और दुनिया में अनेकानेक परिवर्तन हुए। देश वैश्वीकरण, उदारीकरण और आर्थिक विस्तार के दौर से गुजरा, परंतु नई शिक्षा नीति का आगाज नहीं हुआ। देश बदला, दुनिया बदली, समाज और उद्योगों की जरूरतें भी बदलीं किंतु शिक्षा जगत में कोई क्रांतिकारी मोड़ नहीं आया और 1986 की शिक्षा नीति अप्रासंगिक नजर आने लगी। इसी पृष्ठभूमि में नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की घोषणा केन्द्र सरकार ने की है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य यह है कि शिक्षा का आधार भारतीयता पर टिका हो और उसका स्तर अंतर्राष्ट्रीय हो। यह देश–दुनिया की बदलती हुई जरूरतों के मद्देनजर शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव है जो 21वीं सदी के भारत की नींव रख सकती है।

नई शिक्षा नीति 2020 एक प्रजातांत्रिक नीति है जिसमें पंचायत से लेकर संसद तक, ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, छात्र से लेकर अभिभावक तक, शिक्षक से लेकर शिक्षाविदों तक और गरीब से लेकर उद्योगपतियों तक, सभी का विमर्श, सहयोग और योगदान है। इस नीति को बनाने के लिए देश के कोने–कोने से सभी वर्गों के लोगों की राय ली गई। एनईपी बनाने के लिए देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6600 ब्लॉक और 676 जिलों से सलाह ली गई। शिक्षाविदों, अध्यापकों, जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों और छात्रों तक के दो लाख से अधिक सुझावों पर मंथन कर जन आकांक्षाओं के अनुरूप ही एनईपी को साकार किया गया। एनईपी 135 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं, उम्मीदों और भावनाओं को अपने अंदर समेटे स्वर्णिम भारत का स्वप्न लिए एक विजन डॉक्यूमेंट है। सबके सुझावों पर आधारित गुणवत्तापरक, नवचारयुक्त, प्रौद्योगिकी एवं संस्कारयुक्त नई शिक्षा नीति 2020 एक ऐसा माध्यम बनेगी जिससे भारत अपने खोये हुए वैभव को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होगा। एनईपी 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।

नई शिक्षा नीति में छह वर्ष से पहले ही बच्चों की शिक्षा शुरू कराने पर काफी जोर दिया गया है। बच्चों के मस्तिष्क का 85% हिस्सा छह वर्ष के पहले ही विकसित हो जाता है। अनेकों शोधों से यह साबित हुआ है कि बच्चों के पढ़ने की क्षमता उन्हें बचपन में मिले संतुलित आहार से प्रभावित होती है। गरीब परिवारों के बच्चे संतुलित आहार नहीं मिलने के कारण कुपोषण के शिकार हो जाते हैं और पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। इसी के मद्देजनर देश में आंगनबाड़ी के माध्यम से बाल–पोषाहार और प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था की गई है। एनईपी में अब बच्चों को भोजन के पहले पौष्टिक नाश्ता देने की भी बात है। इससे बच्चों का बेहतर शारीरिक एवं मानसिक विकास होगा।

नई शिक्षा नीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है तीन श्रेणी की भाषाओं – देशी भाषा, क्लासकी भाषा और विदेशी भाषा के बीच स्वस्थ एवं व्यावहारिक संतुलन स्थापित करना। इन तीन श्रेणी की भाषाओं के महत्व और उपयोगिता को यथोचित मान्यता दी गई है। 2 से 8 वर्षों के बीच बच्चे भाषाएं बहुत तेजी से सीखते हैं और बहुभाषी होना बच्चों की ग्रहणशीलता के लिए लाभकारी है। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में जो बात सबसे महत्वपूर्ण है, वह है सीखना और अवधारणात्मक क्षमता को विकसित करना। मातृभाषा का ठोस आधार जिन बच्चों को प्राप्त होता है, उनकी अवधारणात्मक क्षमता और चिंतन की पद्धति अधिक पुष्ट और विकसित देखी जाती है। मातृभाषा में अध्ययन से बच्चे तेजी से सीखते हैं, क्योंकि सोच–विचार, चिंतन की स्वाभाविक प्रक्रिया मातृभाषा के द्वारा ही संभव हो पाती है। मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा से समझ कर पढ़ने की योग्यता आती है जो आगे की कक्षाओं में बच्चों के सीखने–समझने का प्रवेश द्वार भी है। पढ़कर सीखना बच्चों को तार्किक और समस्याओं का समाधान कर पाने के कौशल का धनी बनाता है। प्रारंभिक स्तर पर शिक्षण के माध्यम के रूप में मातृभाषा की प्रभावशीलता पूरे विश्व में वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो चुकी है किंतु स्वतंत्र भारत को इसका लाभ मिलने में सत्तर वर्ष से ज्यादा लग गए। शैक्षणिक मनोविज्ञान और यूनेस्को की 2008 की रिपोर्ट के अनुसार बाल्यावस्था में ग्राह्यता एवं नए सिद्धांतों को आत्मसात करने के लिए मातृभाषा ही सर्वश्रेष्ठ है, इसमें

* *आशुलिपिक ग्रेड–II, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

संप्रेषण और संज्ञान सहज एवं शीघ्र हो जाता है। इसी के मद्देनजर कक्षा 2 तक मातृभाषा पर जोर होगा; जबकि दो अन्य भाषाएं भी कक्षा 3 से 5 के बीच सिखाई जाएंगी; कक्षा 6 से 12 के बीच बच्चों को दो क्लासिकी भाषाओं (संस्कृत, तमिल, तेलगु, मलयालम, ओडिया, पाली, प्राकृत व फारसी) का विकल्प दिया जाएगा; माध्यमिक स्तर पर छात्रों को एक विदेशी भाषा (अंग्रेजी, कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पोर्तुगीज और रुसी) का विकल्प दिया जाएगा। इससे न केवल देशी भाषाएं विकसित होंगी बल्कि छात्रों की विषय–वस्तु समझने की क्षमताएं भी बढ़ेंगी। विज्ञान व गणित की किताबों का मातृभाषा में विकास स्थानीय भाषाओं की उन्नति में महत्वपूर्ण प्रयास साबित होगा। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सभी भाषाओं की स्वतंत्र अकादमी का गठन किया जाएगा। क्लासिकी भाषाओं का संरक्षण एवं संवर्धन पाली, प्राकृत एवं फारसी के राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करके किया जाएगा। संस्कृत विश्वविद्यालयों को बहुविषयी संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद भारतीय भाषाओं में शोध को बढ़ावा मिलेगा।

अंग्रेजी हमारे देश की आबादी के मात्र 15–16 प्रतिशत लोगों द्वारा ही व्यवहार में आती है, ऐसे में मातृभाषा में शिक्षा अधिकांश नागरिकों की शिक्षा संबंधी हितों को ध्यान में रखने की दृष्टि से समुचित है। आज जितने भी देश विश्व में उन्नत हुए हैं वे अपनी मातृभाषा में पढ़कर ही हुए हैं। मातृभाषा राष्ट्र की संस्कृति, दर्शन, इतिहास, और धर्म का वाहक तत्व होती है। इस प्राण तत्व से जब बच्चे सिंचित होते हैं तो उनमें राष्ट्र का गौरव, स्वाभिमान और आत्मसम्मान जैसी भावनाएं सहज विकसित होती हैं। गाँधी जी का मानना था कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। इसी विचार को समाहित करते हुए तीन भाषा का फॉर्मूला दिया गया है। एनईपी हर क्षेत्र–प्रक्षेत्र के विशिष्ट सांस्कृतिक समूह से जुड़ी भाषा व बोली को सम्मान देती है और तीन भाषाओं का विकल्प देती है, जिनमें से एक विदेशी भाषा हो सकती है। एनईपी में त्रिभाषा फार्मूला को जरूर अपनाया गया है, लेकिन वह अभी जारी फार्मूले से अलग है क्योंकि ये मातृभाषा केंद्रित है। इसमें किसी भाषा की अपरिहार्यता और अनिर्वायता नहीं है। कोई भाषा न थोपी जाए, इसे भी सुनिश्चित किया गया है। भाषाओं के चयन का अधिकार राज्य, क्षेत्र और छात्र के जिम्मे है। यह भारतीय भाषाओं और संस्कृति की मजबूती की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

मातृभाषाएं और स्थानीय भाषाएं अपने साथ सामाजिक अनुभव, संवेदना, मूल्य और भावनात्मकता की धरोहर लेकर चलती है। अभी स्कूल में जाने के बाद हमारा संबंध इनसे कम होने लगता है और नतीजतन हम अपने सामाजिक अनुभवों, संवेदनाओं की परंपरा से कटने लगते हैं। भारतीय परंपरा में शिक्षा वस्तुतः हमारे जीवन की समग्रता की ओर संकेत करती है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों का समावेश है। शैक्षिक विचारक श्री अतुल कोठारी के विचार प्रासंगिक हैं– ''भाषा संस्कृति और संस्कार की वाहक है। भाषा के विलुप्त होने से संस्कृति और संस्कार का क्षय हो जाता है। भाषा बदलने से मूल्य भी बदल जाते हैं।'' यदि भविष्य के शिक्षित मनुष्य के निर्माण में यह ज्ञान, अनुभव और संवेदनात्मक परंपराएं आधार तत्व की तरह मौजूद रहें तो यह बेहतर नागरिक बनाने के हमारे मिशन को पूरा करने में सक्षम होगा। शिक्षाविद डॉ. विजयकांत दास की अपील उल्लेखनीय है ''भारतवासी काफी दिनों से एक कर्णप्रिय उद्घोष सुनते आये हैं, विविधता में एकता। परन्तु उत्तर औपनिवेशिक भारत में हमने सिर्फ संस्कृतियों की ऐसी विविधता का अनुभव किया है जो परस्पर विरोध में खड़ा रहता है, लेकिन हमने कभी उनमें ऐसी एकता नहीं देखी है जो एक भारत का अहसास दे सके। विभिन्न संस्कृतियों में वांछित एकता और समन्वय बहुत हद तक इस भाषा नीति से संभव हो सकेगा। भारत की विविध संस्कृतियों को स्वतंत्र रूप से फलने–फूलने देते हुए सभी सांस्कृतिक जन–समूह को यह अहसास दिलाना कि सभी स्वदेशी संस्कृति एक ही भ्रूण से निकले धागे से गुंथे हुए हैं – एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे यह भाषा नीति साधती नजर आती है। हर भारतीय को इस नीति का स्वागत करना चाहिए। इसकी आलोचना, हिंदी के नाम पर – जिसे थोपा नहीं गया है, या अंग्रेजी के नाम पर – जिसे प्रतिबंधित नहीं किया गया है, पूर्णतः अनुपयुक्त है। यह सही समय है कि भारत के बुद्धिजीवी राजनीतिक एवं क्षेत्रीय भावनाओं से ऊपर उठकर 2000 देशी भाषाओं के स्वरों के मिश्रण से एक मधुर सिम्फनी की रचना करने में हृदय से सहयोग करें।''

अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा हमें पाश्चात्य जीवन मूल्यों और सभ्यता की ओर ले जाती है, क्योंकि भाषा अपने साथ अपनी संस्कृति भी अपरिहार्यतः ले आती है। शिक्षा के संदर्भ में गाँधी जी के विचार उल्लेखनीय हैं कि मातृभाषा से इतर छात्रों पर अंग्रेजी भाषा लादना वास्तव में विद्यार्थी समाज के प्रति एक कपटपूर्ण वृत्ति है। गाँधी जी ने इस बात को भी स्पष्ट रूप से कहा था कि विदेशी माध्यम बच्चों पर अनावश्यक दबाव डालने, रटने और नकल करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के साथ–साथ उनकी स्वयं की मौलिकता को भी धीरे–धीरे समाप्त करता जाता है। बेशक ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू किए गए 'अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835' के साथ ही भारत के परंपरागत विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी, उर्दू और संस्कृत का धीरे–धीरे अंत होने लगा। वैसे तो स्वतंत्रता के बाद देश की शिक्षा नीति में समसामयिक बदलाव किए जाते रहे हैं लेकिन अंग्रेजी के प्रति झुकाव की नीति लागू

रखी गई जिसके परिणामस्वरूप भारत की 220 से ज्यादा भाषाएं विलुप्त हो गईं। बौद्धिक या मानसिक दृष्टि से देखें तो शिक्षण संस्थाओं की संख्या में तो काफी वृद्धि हुई पर हम गुणवत्ता के साथ समझौता करते गए। ज्ञान का सांस्कृतिक अनुबंधन जानते हुए भी हम यहां के समाज और ज्ञान को हीन मानते हुए विदेशी ज्ञान जाल की पकड़ को ही सुदृढ़ करते गए। एनईपी 2020 में पहली बार शिक्षा में भाषा की ताकत को पहचाना गया है। भाषा को शिक्षा में मूल्यबोध, दृष्टिकोण और सृजनात्मक कल्पना के निर्मिति का साधन भी माना गया है। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा पद्धति में बड़ा बदलाव होगा, जो मैकाले की शिक्षा पद्धति (जिसने हमें हीनभावना से ग्रसित कर पश्चिमी सभ्यता को उच्चतर बताने का काम किया) को खत्म करेगा, छात्रों के स्वतंत्र विकास के लिए उनकी मौलिक एवं भारतीय सोच को मजबूत करेगा। तकनीक के दौर में यह ऐसे वैश्विक नागरिक का विकास करेगी जो देश की चुनौतियों के मध्य समस्याओं का समाधान खोजने में अहम भूमिका निभाएंगे। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में नई शिक्षा नीति एक अभूतपूर्व पहल है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए।

नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में शैक्षणिक पाठ्यक्रम, पाठ्येत्तर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच अंतर नहीं किया जाएगा, बल्कि व्यावसायिक शिक्षा को इसका अभिन्न अंग बनाया जाएगा। यह सुझाव अत्यंत सराहनीय एवं सामयिक है। कोडिंग जैसे आधुनिकतम वोकेशनल प्रशिक्षण छठी कक्षा से ही शुरू किए जाएंगे तथा वोकेशनल शिक्षा के अन्य उच्चतर रूप कॉलेज में भी मौजूद रहेंगे। माध्यमिक स्कूल में कोडिंग को एक भाषा के रूप में शामिल करने से नई पीढ़ी की रचनात्मक संभावनाओं को नए पंख लगेंगे। साक्षरता के साथ कौशल का समावेश करने का प्रावधान छठी कक्षा से किया गया है। एनईपी की एक बड़ी विशेषता यह है कि वह आरंभ से ही कौशल–युक्त व्यक्ति बनाना चाहती है। अभी तक ज्ञान और कौशल को अलग–अलग करके देखा जाता था। हमारा देश पुनः एक ज्ञान शक्ति का उत्कृष्ट केंद्र बने, इसके लिए शिक्षा नीति के स्वरूप को समकालिक बनाने का प्रयास किया गया है। रचनात्मक सोच, तर्कशक्ति निर्णयन और नवाचार को शामिल कर भारतीय शिक्षा दुनिया में संभवतः सबसे बेहतरीन व्यवस्था की पांत में शामिल हो जाएगी। यह युवाओं के लिए नौकरी, स्वरोजगार और उद्यमी बनने की दिशा में बहुत उपयोगी साबित होगा। व्यावसायिक कोर्स करने से रोजगार की संभावना तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'स्किल, रीस्किल व अपस्किल' का मंत्र दिया था। उनका कहना था कि कौशल द्वारा युवा अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। वैश्वीकरण, उदारीकरण व निजीकरण के इस युग में 'कौशल भारत–कुशल भारत' एक बड़ी जरूरत बन गई है। केन्द्र सरकार कुछ सुधारों के साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। 21वीं सदी के इस बदलते युग में युवा–कौशल को राष्ट्र–कल्याण की धुरी बनाने के लिए केन्द्र सरकार संकल्पित है। युवा कौशल राष्ट्रहित में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए निश्चय ही एक नया भारत बना सकता है, जिसे 'आत्मनिर्भर भारत' के रूप में पहचान मिलेगी। एनईपी में भाषा संबंधी प्रावधानों से देसी भाषाओं के डिग्रीधारकों के लिए नौकरी के अप्रत्याशित अवसर का सृजन होगा।

नई शिक्षा नीति 100% एनरोलमेंट दर प्राप्त करने का वादा कर रही है तथा इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, लड़कियों, दिव्यांगों और गरीब–वंचित तबके के लिए विशेष प्रावधान है। सार्वजनिक के साथ–साथ निजी क्षेत्रों के उच्च शिक्षण संस्थानों में भी इन तबकों के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे। मूक तथा बधिर छात्रों के लिए भारतीय साइन लैंग्वेज (आई.एस.एल.) को देशभर में मानकीकृत किया जाएगा। यह प्रस्ताव बेहद प्रासंगिक है क्योंकि वर्तमान समय में साइन लैंग्वेज के कई प्रकार–बेंगलुरु/मद्रास, मुंबई, कोलकाता, पंजाब और अलीपुर साइन लैंग्वेज उपयोग में हैं।

शिक्षा में स्ट्रीम के बंटवारे को लचीला बनाया गया है। विज्ञान, कॉमर्स या मानविकी के छात्रों को एक–दूसरे के विषयों को पढ़ने की छूट या वोकेशनल शिक्षा के समावेश के साथ–साथ संगीत, पेंटिंग, खेलकूद जैसे अतिरिक्त विषय (जिनके अंक अंतिम परिणाम में नहीं जुड़ते थे) मुख्य विषय बना दिए गए हैं। यह एनईपी पांचवीं कक्षा तक खेलो कूदो पढ़ो के सिद्धांत पर चलती है। नौवीं कक्षा के बाद छात्रों को विषय विशेष चुनने की आजादी मिलेगी। विज्ञान, कॉमर्स और कला का मिश्रण छात्रों में उत्सुकता का भाव इतना बढ़ा देगा कि इससे आजीवन सीखने की तत्परता बढ़ेगी। एनईपी में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई है, इसका मतलब यह नहीं है कि पारंपरिक शिक्षा पद्धति को कमजोर किया जाएगा। छात्रों और शिक्षकों के बीच कक्षा में जिस तरह का भावनात्मक संबंध बनता है उसका कोई विकल्प नहीं है।

स्नातक प्रोग्राम की एक बड़ी विशेषता होगी मल्टी–एंट्री और मल्टी–एग्जिट व्यवस्था जो शिक्षा को रोचक और लचीला बनाएगी। अभी स्नातक डिग्री तीन साल की होती है। यदि किन्हीं कारणों से छात्र को बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़े तो सारा समय, परिश्रम और धन बेकार चला जाता है। किंतु अब स्नातक चार साल का होगा, लेकिन उसमें भी बीच में कोर्स छोड़ने का प्रावधान होगा। यदि कोई एक साल में कोर्स छोड़ता है तो उसे सर्टिफिकेट, दो साल में डिप्लोमा, तीन साल में डिग्री मिलेगी तथा चार साल में बैचलर विद रिसर्च डिग्री मिलेगी। यह उनके लिए जरूरी है जो आगे मास्टर्स या पीएचडी करना चाहते हैं। चार वर्ष के स्नातक का मूल उद्देश्य प्रतिभावान छात्रों को शोध कार्य की तरफ मोड़ना है। अमेरिका, यूरोप, जापान आदि

विकसित देशों में इस तरह की व्यवस्था के सकारात्मक परिणाम आए हैं। एनईपी में भारत को उच्च शिक्षा की वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए उच्च शिक्षा में एक मजबूत शोध–अनुसंधान संस्कृति और क्षमता को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव है। इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना होगा। इससे शोध आधारित विश्वविद्यालयों की कल्पना साकार हो सकेगी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन शोध–अनुसंधान को एक नया क्षितिज देगा। जय जवान–जय किसान, जय विज्ञान–जय अनुसंधान की संस्कृति को एक नया स्वरूप मिलेगा। साथ ही किसी संस्थान के संचालन में पूर्व छात्रों की वांछित भूमिका भी शैक्षणिक तंत्र को समग्र रूप से प्रभावित करेगी। एमफिल की डिग्री को समाप्त कर दिया गया है।

नई शिक्षा नीति के तहत छात्र कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला ले सकता है। एकेडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के प्रावधान के अनुसार छात्रों द्वारा किसी एक प्रोग्राम या संस्थान में प्राप्त क्रेडिट को दूसरे प्रोग्राम या संस्थानों में स्थानांतरित किया जा सकेगा। एनईपी में विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को क्रेडिट आधारित सिस्टम की तरफ बढ़ने को कहा गया है, जिसके तहत छात्र अपनी पसंद का विषय पढ़ सकता है। अगर वह विषय उसके विश्वविद्यालय/कॉलेज में नहीं है तो दूसरे विश्वविद्यालय से ऑनलाइन पढ़ सकता है, जिसे डिग्री कोर्स में अंकित किया जाएगा। इससे बड़ी संख्या में छात्रों को नामी–गिरामी शिक्षण संस्थानों से कोर्स करने का अवसर मिलेगा। यह शिक्षा के व्यापक विस्तार तथा छात्रों के सर्वांगीण विकास में बहुत लाभदायक होगा। अमेरिका एवं यूरोप के विश्वविद्यालयों में यह बहुत पहले से ही है। साथ ही, एकल विषयक संस्थानों जैसे कानून, कृषि विश्वविद्यालय आदि को समाप्त कर बहुविषयक संस्थानों में बदला जाएगा। यहां तक कि इंजीनियरिंग संस्थान भी कला और मानविकी का अधिकाधिक समन्वय करते हुए समग्र और बहुविषयक दिशा में आगे बढ़ेंगे। सरकारी एवं निजी संस्थानों के लिए एकसमान मानक सुनिश्चित करने से हम बेहतर नतीजों की उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि अब सभी के लिए मैदान एकसमान होगा।

अब तक यूजीसी, एआइसीटीई जैसी संस्थाएं उच्च शिक्षा पर निगरानी रखती थी जिससे एक जैसे मामलों में उनके अलग–अलग निर्णयों की वजह से बहुत दिक्कतें आ रही थी। अब ऐसी संस्थाओं के स्थान पर केवल एक 'राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग' होगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक ही नियामक संस्था होने से भारतीय उच्च शिक्षा के संचालन में आसानी होगी। देश के विश्वविद्यालयों को ब्रिटेन की तर्ज पर शोध केंद्रित और शिक्षण केंद्रित विश्वविद्यालयों में विभाजित किया जाएगा। तमाम डिग्री कॉलेजों को भी स्वायत्तता दी जाएगी। यदि छोटे शहरों के पुराने डिग्री कॉलेजों को स्वायत्तता मिलती है तो वहां भी शिक्षा की गुणवत्ता में काफी सुधार होगा। सभी डिग्री कॉलेजों पर विश्वविद्यालय की निगरानी रखने की नीति के परिणामतः अच्छे–खासे चल रहे डिग्री कॉलेज भी नए–नए खुले विश्वविद्यालय की प्रशासनिक निगरानी में आ गए। नए विश्वविद्यालय खुद ठीक से खड़े नहीं हो पाए और उन्होंने पुराने डिग्री कॉलेजों को भी डुबो दिया। 'मान्यता प्राप्त कॉलेज' प्रणाली अब अतीत की बात हो जाएगी। स्वायत्तता और नियमन के बीच का मार्ग चुनते हुए शिक्षण संस्थानों की आर्थिक, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक स्वायत्तता के लिए प्रावधान किए गए हैं ताकि वे स्वायत्त, पारदर्शी और उत्तरदायी भी हों।

नई शिक्षा नीति अनेक ऐसे सुझाव लेकर आई है, जिनका क्रियान्वयन भारत की शिक्षा का पूरा परिदृश्य बदल सकता है। अब बस्ते का बोझ कम होगा। परीक्षा पद्धति बदल जाएगी। अंकों की दौड़ को लेकर जो तनाव सारे बच्चों–अभिभावकों–शिक्षकों में फैल जाता था, उसे कम करने की संस्तुति की गई है। इससे परीक्षा का भय कम होगा। जो पढ़ा–लिखा–सीखा है, उसको रट लेने की आवश्यकता अब नहीं होगी, बल्कि उसे समझना होगा और यह सीखना होगा कि उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। मूल्यांकन को लेकर जो विशेष संस्तुतियां की गई हैं, वे कोचिंग संस्थानों से बच्चों और उनके पालकों को मुक्ति दिलाने की क्षमता रखती हैं। अभी 10–12वीं परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर उच्च शिक्षा यानी महाविद्यालयों–विश्वविद्यालयों में दाखिला होता है। एनईपी के तहत दाखिले की परीक्षा आयोजित की जाएगी, इसलिए दसवीं–बारहवीं में परीक्षार्थियों पर बनने वाला अंकों का दबाव खत्म हो जाएगा। यह परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर होगी जिससे बच्चे अपनी योग्यता के अनुसार महाविद्यालयों–विश्वविद्यालयों में दाखिला ले सकेंगे।

हमारा शिक्षा क्षेत्र योग्य शिक्षकों की कमी से लगातार जूझ रहा है। इनको प्रशिक्षण देने वाले बहुत से बीएड और डीएलएड कॉलेज शिक्षा माफिया के गढ़ बन गए हैं। इनमें से कई कॉलेज तो ऐसे हैं, जो अस्तित्व में ही नहीं हैं, लेकिन डिग्रियां खूब बांटते हैं। यहां से प्रशिक्षण पाने वाले शिक्षक छात्रों को कैसी शिक्षा दे पाएंगे, यह आसानी से समझा जा सकता है। एनईपी इस परंपरा को तोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। अब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद शिक्षकों के लिए पेशेवर मानक तो तैयार करेगा ही, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए 2021 तक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा विकसित भी करेगा जिसके तहत शिक्षण–कार्य के लिए कम से कम योग्यता चार वर्षीय बीए+बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स हो जाएगी। शिक्षकों की क्षमताओं पर शिक्षा की गुणवत्ता निर्भर करती है। इसके लिए आवश्यक है कि सभी शिक्षक पूर्णरूपेण प्रशिक्षित और संतुष्ट हों, उनकी नियुक्ति नियमित हो, कक्षा में उचित छात्र–शिक्षक अनुपात लागू हो, शिक्षकों को प्रशासनिक कार्यों से अलग रखा जाए, अधिकारीगण शिक्षकों

का यथोचित सम्मान करें और उनकी सभी आवश्यकताएं प्राथमिकता के आधार पर पूरी होती रहें। योग्य शिक्षकों का चयन भी एक बड़ी समस्या है। शिक्षक चयन में फर्जीवाड़े के कारण एक पूर्व मुख्यमंत्री इन दिनों जेल में हैं। इसी के मद्देनजर एनईपी पारदर्शी चयन परीक्षा की वकालत करती है। एनईपी यह भी सुनिश्चित करती है कि चयन के बाद शिक्षक पठन–पाठन में लगातार शामिल रहें और अपनी योग्यता को निखारने के लिए प्रशिक्षण कार्य करते रहें। बुनियादी बदलावों में शिक्षकों की केन्द्रीय भूमिका रहेगी। शिक्षकों पर नई शिक्षा नीति का भविष्य निर्भर करता है।

नई शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन और भावी भारत के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षकों की ही होगी। शिक्षकों को अपने हिसाब से पढ़ाने की आजादी होगी। अध्ययन के तौर–तरीके भी ऐसे अनुभव आधारित अधिक होंगे जिससे सीखने की प्रक्रिया में सहभागिता बढ़ेगी। इससे पाठ को रटने के बजाय वास्तव में ज्ञान का हस्तांतरण प्रभावी रूप में संभव हो सकेगा। शिक्षकों को समाज में सबसे ऊंचा सम्मान और दर्जा दिलाने का संकल्प लेते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (खंड 5.1) में कहा गया है कि 'शिक्षकों के लिए ऊंचा सम्मान और शिक्षा के पेशे के ऊंचे दर्जे को एक बार फिर स्थापित करना होगा, ताकि सबसे उम्दा लोगों को इस पेशे में आने के लिए प्रेरित किया जा सके। हमारे बच्चों और देश का बेहतरीन भविष्य सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि शिक्षक अपने पेशे के लिए उत्साहित और सशक्त महसूस करें।' गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए युवा वर्ग को शिक्षण व्यवसाय के प्रति आकर्षित करना आवश्यक है। इसके लिए शिक्षकों की नियुक्ति और सेवा–शर्तों के कई ज्वलंत मुद्दों को सुलझाना जरूरी है।

नई शिक्षा नीति के व्यापक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ज्यादा धन की जरूरत होगी इसलिए जीडीपी का 6% शिक्षा में खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है जो अभी 4.43% है। शिक्षा में निवेश का लाभ हमें पीढ़ी–दर–पीढ़ी मिलता रहता है। इसी सोच को सामने रखकर शिक्षा के लिए ज्यादा खर्च का प्रावधान रखा गया है ताकि उत्तम और गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा सुनिश्चित हो सके। पूर्व में अन्य संकल्पों को साकार करने की मोदी सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति को देखते हुए यह लक्ष्य कठिन नहीं है। एनईपी आने वाले समय में एक ऐसा मानव संसाधन तैयार करेगी जो राष्ट्र निर्माण में निर्णायक भूमिका अदा करेगा। प्रधानमंत्री के सहयोगात्मक संघवाद की आधारशिला पर सभी प्रदेशों को साथ लेकर इस नीति का क्रियान्वयन क्रमबद्ध एवं समयबद्ध रूप में किया जाएगा। यह शिक्षा नीति स्वीकार करती है कि अकादमिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता देना ही काफी नहीं है, उसके क्रियान्वयन पर भी ध्यान देना होगा। नई शिक्षा नीति में समस्याओं को स्वीकार करते हुए उन्हें दूर करने की बात कही गई है। इससे उम्मीद बंधती है कि नई शिक्षा नीति 21वीं सदी में भारत की जरूरतों–चुनौतियों को पूरा करने में सक्षम साबित होगी तथा यह भारत को विश्व शक्ति बनाने की राह पर ले जाएगी

शिक्षा से हर वर्ग को अपेक्षाएं हैं। हर वर्ग को अच्छे स्कूल में अच्छी गुणवत्ता वाली और कौशल सिखानेवाली शिक्षा चाहिए जो जीविकोपार्जन के लिए दर–दर भटकाए नहीं बल्कि व्यक्तित्व में आत्मविश्वास भर दे। भारत में पहली बार सही मायने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है जिसमें छात्रों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा देकर उनके सर्वांगीण विकास का ध्यान रखा गया है। नई शिक्षा नीति देश के युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के मुताबिक, शिक्षा और स्किल्स दोनों मोर्चों पर तैयार करेगी। अब देश के हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी और देश का हर छात्र शिक्षित मानव संसाधन के रूप में एक ताकत बनकर आत्मनिर्भर, सशक्त एवं शिक्षित भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाएगा। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में नई शिक्षा नीति का वादा किया गया था जो अब पूरा भी हो गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नवभारत के निर्माण की दिशा में निश्चित रूप से एक ऊंची छलांग है। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है कि इसकी व्याख्या और कार्यान्वयन इसकी मूल भावना के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के लिए इस शिक्षा नीति के रूप में एक आधारशिला रखी गई है। उम्मीद है कि इस नीति के सफल क्रियान्वयन में सभी हितधारकों का वही सहयोग मिलेगा जो नीति निर्माण के समय मिला था। अभी हमारे देश का पूरा तंत्र खासकर शिक्षा, न्याय, स्वास्थ्य आदि अंग्रेजीमय है। अपनी भाषा में शिक्षा, न्याय, स्वास्थ्य, व्यापार का होना राष्ट्रीय एकता के साथ–साथ हमारी आर्थिकी को भी मजबूत करेगा। जिस भाषा में हम सहज होते हैं, जिस भाषा में हम सोचते हैं, उसी में काम करने से बेहतर परिणाम मिलते हैं। अपनी भाषा से विश्वास बढ़ता है, विश्वास से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से आत्मनिर्भरता आती है। अर्थात हमारी आत्मनिर्भरता की कुंजी हमारी भाषाओं में छिपी है। वैश्विक फलक पर अपने देश की उपस्थिति को और अधिक मजबूत बनाने के लिए हमें अपनी भाषा और संस्कृति की एकजुटता प्रकट करनी होगी। यह शिक्षा नीति भारत केन्द्रित है जो भारत को विश्वगुरू और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

स्वदेशी भाषाओं में शिक्षा और कामकाज को बढ़ावा मिलने से सभी भारतीय भाषाओं के बीच आवाजाही बढ़ेगी। हमारी सभी प्रमुख भाषाएं अपने–अपने क्षेत्र में शिक्षा का माध्यम बनेंगी तो यह बाजार बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी कंप्यूटर सारे काम अंग्रेजी माध्यम में ही करता है। इसके अठारह भारतीय भाषाओं में होने पर बाजार के विस्तार की संभावना भी चार गुना से अधिक ही होगी। अनुवादकों, भाषाविदों, संपादकों की जरूरत इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। इन प्रयासों से हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर मजबूत कदम बढ़ा सकते हैं क्योंकि सम्मान, स्वाभिमान और बराबरी का भाव इसी से जुड़ा है।

कहानी (व्यंग्य)

वह जो आदमी है न

हरिशंकर परसाई

निंदा में विटामिन और प्रोटीन होते हैं। निंदा खून साफ करती है, पाचन–क्रिया ठीक करती है, बल और स्फूर्ति देती है। निंदा से मांसपेशियाँ पुष्ट होती हैं। निंदा पायरिया का तो शर्तिया इलाज है। संतों को परनिंदा की मनाही होती है, इसलिए वे स्वनिंदा करके स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं। 'मौसम कौन कुटिल खल कामी'– यह संत की विनय और आत्मग्लानि नहीं है, टॉनिक है। संत बड़ा कांइयाँ होता है। हम समझते हैं, वह आत्मस्वीकृति कर रहा है, पर वास्तव में वह विटामिन और प्रोटीन खा रहा है।

स्वास्थ्य विज्ञान की एक मूल स्थापना तो मैंने कर दी। अब डॉक्टरों का कुल इतना काम बचा कि वे शोध करें कि किस तरह की निंदा में कौन से और कितने विटामिन होते हैं, कितना प्रोटीन होता है। मेरा अंदाज है, स्त्री संबंधी निंदा में प्रोटीन बड़ी मात्रा में होता है और शराब संबंधी निंदा में विटामिन बहुत होते हैं।

मेरे सामने जो स्वस्थ सज्जन बैठे थे, वे कह रहे थे – आपको मालूम है, वह आदमी शराब पीता है?

मैंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने फिर कहा – वह शराब पीता है।

निंदा में अगर उत्साह न दिखाओ तो करने वालों को जूता–सा लगता है। वे तीन बार बात कह चुके और मैं चुप रहा, तीन जूते उन्हें लग गए। अब मुझे दया आ गई। उनका चेहरा उतर गया था।

मैंने कहा – पीने दो।

वे चकित हुए। बोले – पीने दो, आप कहते हैं पीने दो?

मैंने कहा – हाँ, हम लोग न उसके बाप हैं, न शुभचिंतक। उसके पीने से अपना कोई नुकसान भी नहीं है।

उन्हें संतोष नहीं हुआ। वे उस बात को फिर–फिर रेतते रहे।

तब मैंने लगातार उनसे कुछ सवाल कर डाले – आप चावल ज्यादा खाते हैं या रोटी? किस करवट सोते हैं? जूते में पहले दाहिना पाँव डालते हैं या बायाँ? स्त्री के साथ रोज संभोग करते हैं या कुछ अंतर देकर?

अब वे 'हीं–हीं' पर उतर आए। कहने लगे – ये तो प्राइवेट बातें हैं, इनसे क्या मतलब।

मैंने कहा – वह क्या खाता–पीता है, यह उसकी प्राइवेट बात है। मगर इससे आपको जरूर मतलब है। किसी दिन आप उसके रसोईघर में घुसकर पता लगा लेंगे कि कौन–सी दाल बनी है और सड़क पर खड़े होकर चिल्लाएँगे – वह बड़ा दुराचारी है। वह उड़द की दाल खाता है।

तनाव आ गया। मैं पोलाइट हो गया – छोड़ो यार, इस बात को। वेद में सोमरस की स्तुति में 60–62 मंत्र हैं। सोमरस को पिता और ईश्वर तक कहा गया है। कहते हैं – तुमने मुझे अमर बना दिया। यहाँ तक कहा है कि अब मैं पृथ्वी को अपनी हथेलियों में लेकर मसल सकता हूँ। (ऋषि को ज्यादा चढ़ गई होगी) चेतन को दबाकर राहत पाने या चेतना का विस्तार करने के लिए सब जातियों के ऋषि किसी मादक द्रव्य का उपयोग करते थे।

चेतना का विस्तार। हाँ, कई की चेतना का विस्तार देख चुका हूँ। एक संपन्न सज्जन की चेतना का इतना विस्तार हो जाता है कि वे रिक्शेवाले को रास्ते में पान खिलाते हैं, सिगरेट पिलाते हैं, और फिर दुगने पैसे देते हैं। पीने के बाद वे 'प्रोलेतारियत' हो जाते हैं। कभी–कभी रिक्शेवाले को बिठाकर खुद रिक्शा चलाने लगते हैं। वे यों भी भले आदमी हैं। पर कुछ मैंने ऐसे देखे हैं, जो होश में मानवीय हो ही नहीं सकते। मानवीयता उन पर रम के 'किक' की तरह चढ़ती–उतरती है। इन्हें मानवीयता के 'फिट' आते हैं – मिरगी की तरह। सुना है मिरगी जूता सुँघाने से उतर जाती है। इसका उल्टा भी होता है। किसी–किसी को जूता सुँघाने से मानवीयता का फिट भी आ जाता है। यह नुस्खा भी आजमाया हुआ है।

एक और चेतना का विस्तार मैंने देखा था। एक शाम रामविलास शर्मा के घर हम लोग बैठे थे (आगरा वाले रामविलास शर्मा नहीं, वे तो दुग्धपान करते हैं और प्रातः

समय की वायु को 'सेवन करता सुजान' होते हैं)। यह रोडवेज के अपने कवि रामविलास शर्मा हैं। उनके एक सहयोगी की चेतना का विस्तार कुल डेढ़ पेग में हो गया और वे अंग्रेजी बोलने लगे। कबीर ने कहा है – 'मन मस्त हुआ तब क्यों बोले'। यह क्यों नहीं कहा कि मन मस्त हुआ तब अंग्रेजी बोले। नीचे होटल से खाना उन्हीं को खाना था। हमने कहा – अब इन्हें मत भेजो। ये अंग्रेजी बोलने लगे। पर उनकी चेतना का विस्तार जरा ज्यादा ही हो गया था। कहने लगे – नो सर, नो सर, आई शैल ब्रिंग ब्यूटीफुल मुर्गा। 'अंग्रेजी' भाषा का कमाल देखिए। थोड़ी ही पढ़ी है, मगर खाने की चीज को खूबसूरत कह रहे हैं। जो भी खूबसूरत दिखा, उसे खा गए। यह भाषा रूप में भी स्वाद देखती है। रूप देखकर उल्लास नहीं होता, जीभ में पानी आने लगता है। ऐसी भाषा साम्राज्यवाद के बड़े काम की होती है। कहा – इंडिया इज ए ब्यूटीफुल कंट्री। और छुरी–काँटे से इंडिया को खाने लगे। जब आधा खा चुके, तब देशी खाने वालों ने कहा, अगर इंडिया इतना खूबसूरत है, तो बाकी हमें खा लेने दो। तुमने 'इंडिया' खा लिया। बाकी बचा 'भारत' हमें खाने दो। अंग्रेज ने कहा – अच्छा, हमें दस्त लगने लगे हैं। हम तो जाते हैं। तुम खाते रहना। यह बातचीत 1947 में हुई थी। हम लोगों ने कहा – अहिंसक क्रांति हो गई। बाहर वालों ने कहा– यह ट्रांसफर ऑफ पॉवर है – सत्ता का हस्तांतरण। मगर सच पूछो तो यह 'ट्रांसफर ऑफ डिश' हुआ – थाली उनके सामने से इनके सामने आ गई। वे देश को पश्चिमी सभ्यता के सलाद के साथ खाते थे। ये जनतंत्र के अचार के साथ खाते हैं।

फिर राजनीति आ गई। छोड़िए। बात शराब की हो रही थी। इस संबंध में जो शिक्षाप्रद बातें ऊपर कहीं हैं, उन पर कोई अमल करेगा, तो अपनी 'रिस्क' पर। नुकसान की जिम्मेदारी कंपनी की नहीं होगी। मगर बात शराब की भी नहीं, उस पवित्र आदमी की हो रही थी, जो मेरे सामने बैठा किसी के दुराचार पर चिंतित था।

मैं चिंतित नहीं था, इसलिए वह नाराज और दुखी था।

मुझे शामिल किए बिना वह मानेगा नहीं। वह शराब से स्त्री पर आ गया – और वह जो है न, अमुक स्त्री से उसके अनैतिक संबंध हैं।

मैंने कहा – हाँ, यह बड़ी खराब बात है।

उसका चेहरा अब खिल गया। बोला – है न?

मैंने कहा – हाँ खराब बात यह है कि उस स्त्री से अपना संबंध नहीं है।

वह मुझसे बिल्कुल निराश हो गया। सोचता होगा, कैसा पत्थर आदमी है यह कि इतने ऊँचे दर्जे के 'स्कैंडल' में भी दिलचस्पी नहीं ले रहा। वह उठ गया। और मैं सोचता रहा कि लोग समझते हैं कि हम खिड़की हवा और रोशनी के लिए बनवाते हैं, मगर वास्तव में खिड़की अंदर झाँकने के लिए होती है।

कितने लोग हैं जो 'चरित्रहीन' होने की इच्छा मन में पाले रहते हैं, मगर हो नहीं सकते और निरे 'चरित्रवान' होकर मर जाते हैं। आत्मा को परलोक में भी चैन नहीं मिलता होगा और वह पृथ्वी पर लोगों के घरों में झाँककर देखती होगी कि किसका संबंध किससे चल रहा है।

किसी स्त्री और पुरुष के संबंध में जो बात अखरती है, वह अनैतिकता नहीं है, बल्कि यह है कि हाय उसकी जगह हम नहीं हुए। ऐसे लोग मुझे चुंगी के दरोगा मालूम होते हैं। हर आते–जाते ठेले को रोककर झाँककर पूछते हैं–तेरे भीतर क्या छिपा है?

एक स्त्री के पिता के पास हितकारी लोग जाकर सलाह देते हैं – उस आदमी को घर में मत आने दिया करिए। वह चरित्रहीन है।

वे बेचारे वास्तव में शिकायत करते हैं कि पिताजी, आपकी बेटी हमें 'चरित्रहीन' होने का चांस नहीं दे रही है। उसे डाँटिए न कि हमें भी थोड़ा चरित्रहीन हो लेने दे।

जिस आदमी की स्त्री–संबंधी कलंक कथा वह कह रहा था, वह भला आदमी है – ईमानदार, सच्चा, दयालु, त्यागी। वह धोखा नहीं करता, कालाबाजारी नहीं करता, किसी को ठगता नहीं है, घूस नहीं खाता, किसी का बुरा नहीं करता।

एक स्त्री से उसकी मित्रता है। इससे वह आदमी बुरा और अनैतिक हो गया।

बड़ा सरल हिसाब है अपने यहाँ आदमी के बारे में निर्णय लेने का। कभी सवाल उठा होगा समाज के नीतिवानों के बीच कि नैतिक–अनैतिक, अच्छे–बुरे आदमी का निर्णय कैसे किया जाए। वे परेशान होंगे। बहुत सी बातों पर आदमी के बारे में विचार करना पड़ता है, तब निर्णय होता है। तब उन्होंने कहा होगा – ज्यादा झंझट में मत पड़ो। मामला सरल कर लो। सारी नैतिकता को समेटकर टाँगों के बीच में रख लो।

स्वाधीन भारत में गाँधीवादी दर्शन

राजेश कुमार कर्ण*

गाँधी जी भारत की सर्वतोन्मुखी उन्नति चाहते थे। न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक पराधीनता की बेड़ियों से भी अपने देश को मुक्त कराने के लिए उन्होंने अनेक आंदोलन चलाये और प्रायः सफलता भी प्राप्त की, भले ही उन्हें अनेक यातनाएं सहनी पड़ीं, जेल जाना पड़ा, भूखा रहना पड़ा, किंतु वह अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपना सबकुछ देश के लिए न्योछावर कर दिया।

सत्य, अहिंसा, नैतिकता पर निर्मित गाँधी जी के जीवन–दर्शन को 'गाँधीवाद' के नाम से जाना जाता है। उनकी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं था। गाँधीवाद उन सभी विचारों का एक समेकित रूप है जो गाँधी जी ने जीवनपर्यंत जिया एवं किया था।

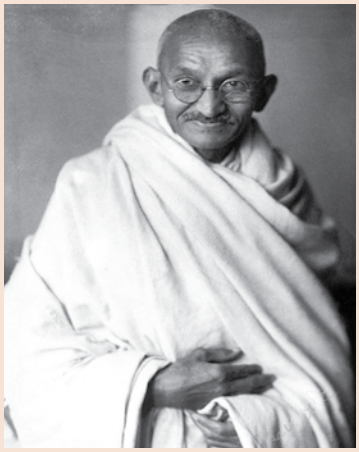

गाँधी जी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए समयबद्ध आंदोलन छेड़ दिया। उन्होंने चर्खे को स्वतंत्रता का प्रतीक बनाया और अहिंसा को इस आंदोलन का अस्त्र। वे अहिंसा के पुजारी थे किंतु उनकी अहिंसा में वीरता, निडरता तथा दृढ़ संकल्प विद्यमान थे।

उन्होंने हिंसा को अहिंसा से और शोषण एवं अन्याय को शांतिमय सत्याग्रह से हराने का अनोखा तरीका निकाला और उन्होंने अत्याचारी अंग्रेज शासन को सफलतापूर्वक उखाड़ फेंका। उनका लक्ष्य सत्याग्रह के जरिए विरोधी के हृदय परिवर्तन का होता था। सत्य, अहिंसा और धर्म का राजनीति में प्रयोग करके उन्होंने एक अदभुत आदर्श प्रस्तुत किया। गाँधी जी अहिंसक योद्धा थे।

गाँधी जी द्वारा प्रतिपादित मार्ग पर चलकर मार्टिन लूथर नीग्रो समाज को अपने मौलिक अधिकार दिलाने में सफल हुए तथा नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक सरकार बनाने में सफल हुए। सत्य और अहिंसा से रहित लोकतंत्र का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता है।

धर्म और राजनीति, सौहार्द

गाँधी जी सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत के घोर समर्थक थे। वे सभी को इस बात का स्मरण कराते थे कि किसी के भी धर्म ग्रंथ में दूसरे अन्य धर्म की निंदा नहीं की गई है। वे चाहते थे कि सभी जाति एवं धर्म के लोग एक–दूसरे के धर्म का आदर करें और आपसी भाईचारा एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखें। गाँधीवाद में साम्प्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए उन्हें अपनी जान भी गवांनी पड़ी थी। उनके विचार पर अमल कर हम आज धार्मिक विद्वेष और साम्प्रदायिकता जैसी समस्या से निजात पा सकते हैं।

उनके अनुसार धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता है क्योंकि सभी धर्म मनुष्य को सत्य बोलना, नैतिकता, परोपकार एवं सदाचारी बनने के लिए प्रेरित करते हैं। इन मूल्यों को अपनाने से ही राजनीति सेवा भाव से की जा सकेगी। उन्होंने धर्म एवं राजनीति का समन्वय किया। मानव सेवा को ही उन्होंने अपना धर्म माना।

अस्पृश्यता

गाँधी जी समाज में व्याप्त ऊंच–नीच, छुआछूत को समाज की प्रगति में बाधक मानते थे। जातिवाद, छूआछूत, पर्दा प्रथा, बहुविवाह, सांप्रदायिक भेदभाव, नशाखोरी जैसी बुराइयों की समाप्ति के लिए उन्होंने निरंतर संघर्ष किया। अछूतों को हरिजन कहकर सामाजिक सम्मान दिलाया। गाँधी जी के प्रयासों के फलस्वरूप हरिजनों के मंदिरों में प्रवेश पर लगाई गई रोक तथा छुआछूत धीरे–धीरे हटने लगी और आज यह पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। उनका रामराज्य एवं सर्वोदय का सिद्धांत सर्वधर्म समभाव और सर्व जन हिताय पर आधारित है जिससे समाज के सभी लोगों को बराबरी का अधिकार प्राप्त है।

रामराज्य

उन्होंने रामराज्य को अपना आदर्श घोषित किया जिसमें आसुरी शक्ति, तानाशाही और हिंसा का नामोनिशान न हो। उनका मानना था कि वह राज्य सर्वश्रेष्ठ है जो कम से कम राज करे। वर्तमान सरकार की 'न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन' नीति गाँधी जी के विचार से मेल खाती है। वह चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति इतना संयमशील एवं आत्मानुशासित हो कि राज्य को कानून की आवश्यकता ही न रह जाए। उनकी परिकल्पना का रामराज्य आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श रूप प्रस्तुत करता है।

स्त्री–पुरूष समानता

भारतीय समाज में सदा से ही स्त्री एवं पुरुष के मध्य असमानता विद्यमान रही है। गाँधी जी ने पुरुषों द्वारा स्त्री को अबला माने जाने का विरोध किया। उनका मानना था कि स्त्री भी वह सब कुछ कर सकती है जो पुरुष कर सकते हैं। उन्होंने हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को आवश्यक माना और महिलाओं की दशा सुधारने के लिए अनेक प्रयास किये।

* *वरिष्ठ आशुलिपिक ग्रेड –II, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

बुनियादी शिक्षा

उनके मतानुसार शिक्षा मातृभाषा में हो, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए, शिक्षा यथार्थ जीवन पर आधारित हो, स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा दी जाए, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जाए जो रोजगार की गारंटी दे, शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों में नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करे।

उद्योग धंधे, रोजगार

उनका मानना था कि हमारे उद्योग मानव प्रधान होने चाहिए न कि मशीन प्रधान। मशीनों के कारण उत्पादन की मात्रा तो बढ़ती है परंतु मानव के श्रम का महत्व कम होता है। इसलिए उन्होंने औद्योगिक विकेन्द्रीकरण को लक्ष्य करके ग्रामोत्थान का आंदोलन चलाया एवं कुटीर उद्योग धंधों के विकास पर बल दिया। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में उनकी नीति से बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। भारी उद्योगों से निकलने वाली गैसों ने पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है। कुटीर उद्योग धंधों की वापसी से ही आशा की एक किरण जग सकती है। इस संबंध में गाँधी जी का दृष्टिकोण अब भी कितना सार्थक है।

गाँधी जी आर्थिक और राजनीतिक दोनों प्रकार के विकेंद्रीकरण के पक्षधर थे। वे आत्मनिर्भर और स्वायत्त पंचायतों की स्थापना के पक्षधर थे। गांव की समस्याओं का समाधान गांव वालों के द्वारा होना चाहिए। देश में विकास की शुरूआत गांव से हो।

उनके आर्थिक विचार आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहित करने वाले एवं भौतिकवाद के विरोधी हैं। आज संपन्न देश के अधिकांश लोग बेचैन हैं।

गाँधी जी के विचार आज भी उतने प्रासंगिक लगते हैं जितने तब थे। यदि गाँधी जी के आदर्शों एवं विचारों को वास्तविक रूप में अमल में लाया जाए तो एक बेहतर राष्ट्र एवं समाज की स्थापना हो सकती है।

क्या आप जानते हैं?

बीरेंद्र सिंह रावत*

'इक' प्रत्यय लगने पर शब्द में क्या परिवर्तन होते हैं?

इक प्रत्यय लगने पर शब्द में दो परिवर्तन होते हैं–1. आदि स्वर को वृद्धि होती है। 2. अंतिम स्वर का लोप हो जाता है। जैसे सप्ताह + इक = साप्ताहिक, इसमें स के अ को वृद्धि हुई और स + अ = सा बन गया, तथा ह के अ का लोप हो गया और ह का ह् बन गया। फिर उसके साथ इक प्रत्यय लगने पर पूरा शब्द साप्ताहिक बना। इसी प्रकार इतिहास + इक= ऐतिहासिक एवं मूल + इक = मौलिक शब्द बने। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि आदि स्वर इ, ई को वृद्धि होने पर ऐ, तथा आदि स्वर उ, ऊ को वृद्धि होने पर औ बनता है। इस प्रकार बने कुछ और शब्द हैं:–

मासिक	वार्षिक	दैनिक	तात्कालिक	धार्मिक	भौतिक	पौराणिक
प्रामाणिक	नैतिक	सामाजिक	आर्थिक	भौगोलिक	सांसारिक	लौकिक
वैज्ञानिक	स्वाभाविक	प्राथमिक	शारीरिक	सांप्रदायिक	वैदिक	ऐच्छिक
सांस्कृतिक	शैक्षिक	आंतरिक	साप्ताहिक			

'दवाईयाँ' और 'दवाइयाँ' में से कौन-सा सही है?

'इकारांत' एवं 'ईकारांत' स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में 'याँ' जोड़ने और अंत के दीर्घ स्वर को ह्रस्व करने से बहुवचन बनते हैं।

लिपि–लिपियाँ	रीति–रीतियाँ	तिथि–तिथियाँ	देवी–देवियाँ	त्रुटि–त्रुटियाँ
थाली–थालियाँ	कमी–कमियाँ	रोटी– रोटियाँ	टोपी–टोपियाँ	शक्ति–शक्तियाँ
रानी–रानियाँ	मछली–मछलियाँ	नारी–नारियाँ	सखी–सखियाँ	दवाई–दवाइयाँ

अतः 'दवाइयाँ' सही है।

इसी प्रकार, 'उकारांत' एवं 'ऊकारांत' शब्दों के अंत में 'एँ' जोड़ने और अंत के दीर्घ स्वर को ह्रस्व करने से बहुवचन बनते हैं। वस्तु–वस्तुएँ ऋतु–ऋतुएँ बहू–बहुएँ, बधू–बधुएँ

भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएँ हैं?

भारत के संविधान के आठवीं अनुसूची में अभी कुल 22 भाषाएँ हैं। शुरु में इस अनुसूची में असमिया, उर्दू, ओडिया, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगू, पंजाबी, बंगाली, मराठी, मलयालम, संस्कृत एवं हिंदी भाषा (कुल 14 भाषाएँ) को शामिल किया गया था। बाद में, सिंधी भाषा को 1967 में; कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली भाषा को 1994 में तथा बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली भाषा को 2003 में आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया।

* *वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

भारतीय
श्रम पुस्तिका

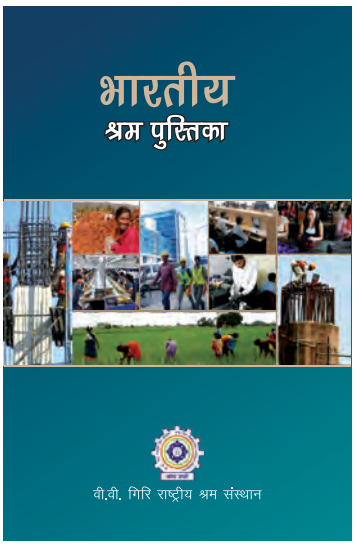

भारत विकास प्रक्रिया के एक बहुत महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है। विगत कुछ वर्षों से हमारा देश विश्व की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभर रहा है। यह अत्यावश्यक है कि आर्थिक विकास के इन लाभों का वितरण न्यायपूर्ण ढंग से किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचें। इस संबंध में सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्यकता, सभी के लिए गुणवत्ता वाला रोज़गार और श्रम मुद्दों का हल सुनिश्चित करना है, क्योंकि यह पहलू जनता की आजीविका से प्रत्यक्षतः जुड़ा हुआ है। श्रम के संबंध में देश अनेक और विविध प्रश्नों का सामना कर रहा है, जिनका विस्तार रोज़गार और अल्प–रोज़गार के बारे में सरोकारों से लेकर बाल श्रम का उन्मूलन करने के लिए कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा तक है। भारतीय श्रम मुद्दों की व्यापकता और विस्तार पर विचार करते हुए यह महत्त्वपूर्ण है कि इन मुद्दों का हल खोजने की प्रक्रिया में, बड़ी संख्या में सामाजिक साझेदारों तथा हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) को शामिल किया जाए। हितधारकों की रचनात्मक सहभागिता तभी संभव है, जब कि श्रम से संबंधित सूचना और विचारों को सुलभ बनाया जाए। इस परिप्रेक्ष्य में, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने यह पुस्तिका प्रकाशित की है। इसमें भारत में श्रम के परिदृश्य के प्रमुख आयामों से संबंधित मूलभूत सूचनाओं को समेकित करने का प्रयास किया गया है। इसका आशय यह है कि सुसंगत सूचनाएं एक सरल और बोधगम्य तरीके से उपलब्ध कराई जाएं, जिससे इन्हें समाज के व्यापक तबके तक पहुंचयोग्य बनाया जा सके। इस पुस्तिका का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया जा रहा है।

स्वच्छ भारत अभियान
एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छ, साफ–सुथरा एवं गरिमामय बनने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती।

आईये, जन भागीदारी के माध्यम से स्वच्छ भारत अभियान को एक उल्लेखनीय उपलब्धि बनाने हेतु मिलकर काम करें।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
नौएडा

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम एवं इससे संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श का अग्रणी संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1974 में की गई थी और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान विकास की कार्यसूची में श्रम और श्रम संबंधों को निम्नलिखित के द्वारा मुख्य स्थान देने के लिए समर्पित है:

- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना;
- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना;
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना;
- विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण तथा सहभागिता विकसित करना।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत निकाय)

सैक्टर 24, नौएडा–201 301

उत्तर प्रदेश (भारत)

वेबसाइट: www.vvgnli.gov.in